खण्ड-378, अंक-3
मंगलवार, 11 भाद्रपद, शक संवत् 1908
(2 सितम्बर, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 378 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय	पृष्ट संख्या
अनुदान संख्या–2 आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)...(स्वीकृत)	130
अनुदान संख्या 3--आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) ... (स्वीकृत)	130
अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (खान और खनिज) ...(स्वीकृत) ..	130
अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) ...(स्वीकृत) ..	131
अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) ...(स्वीकृत) ..	121
अनुदान संख्या 7--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम् उद्योग) (स्वीकृत) ..	131
अनुदान संख्या 9--उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ..	131
अनुदान संख्या 10--ऊर्जा विभाग .. (स्वीकृत) . ..	132
अनुदान संख्या 11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)	132 132
अनुदान संख्या 12--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ..	132
अनुदान संख्या 13--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास) (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या 14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	133
अनुदान संख्या 15--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ..	133
अनुदान संख्या 16--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	133
अनुदान संख्या 17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ..	133
अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या 19--कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या 22--खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ..	134
अनुदान संख्या 23--खेल विभाग (स्वीकृत)	135
अनुदान संख्या 24--गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत) ..	135
अनुदान संख्या 25--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ..	135
अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	135
अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	136
अनुदान संख्या 28--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	136
अनुदान संख्या 29--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) ..	136
अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत)	136
अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	137
अनुदान संख्या 34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत) ..	137

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	137
अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	137
अनुदान संख्या 37--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	138
अनुदान संख्या 38--नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	138
अनुदान संख्या 39--नियुक्ति विभाग (स्वीकृत)	138
अनुदान संख्या 40--नियोजन विभाग (स्वीकृत)	139
अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग (स्वीकृत)	139
अनुदान संख्या 43--परिवहन विभाग (स्वीकृत)	139
अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	139
अनुदान संख्या 45--प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	139
अनुदान संख्या 46--प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	139
अनुदान संख्या 47--पर्वतीय निकास विकास (स्वीकृत)	140
अनुदान संख्या 49--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	140
अनुदान संख्या 51--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	140
(स्वीकृत)	140
अनुदान संख्या 52--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	140
अनुदान संख्या 53--वन विभाग (स्वीकृत)	141
अनुदान संख्या 54--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	141
अनुदान संख्या 56--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	141
अनुदान संख्या 57--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	141
अनुदान संख्या 58--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)	142
अनुदान संख्या 59--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	142
अनुदान संख्या 60--विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	142
अनुदान संख्या 61--विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	142
अनुदान संख्या 63--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	143
अनुदान संख्या 64--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	143
अनुदान संख्या 65--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	143
अनुदान संख्या 66--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	143
अनुदान संख्या 67--शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) (स्वीकृत)	144
अनुदान संख्या 69--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	144
अनुदान संख्या 70--श्रम विभाग (सेवा योजना) (स्वीकृत)	144
अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)	144
अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत)	145

विषय	पृष्ठ
अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) 4 (स्वीकृत)	145
अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन).. (स्वीकृत)	145
अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) . . (स्वीकृत) ..	145
अनुदान संख्या 78—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) . . (स्वीकृत) ..	146
अनुदान संख्या 79—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) . .(स्वीकृत) ..	146
अनुदान संख्या 82—सचिवालय प्रशासन विभाग . . (स्वीकृत) ..	146
अनुदान संख्या 83—सतर्कता विभाग . .(स्वीकृत) ..	146
अनुदान संख्या 85—सांस्कृतिक कार्य विभाग . .(स्वीकृत) ..	147
अनुदान संख्या 86—सामान्य प्रशासन विभाग . . (स्वीकृत) ..	147
अनुदान संख्या 88—सूचना विभाग . . (स्वीकृत) ..	147
अनुदान संख्या 90—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग . . (स्वीकृत) ..	147
उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 (पारित)	148
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	155
कार्य-सूची की विधेयकों से सम्बन्धित मदों को अन्य दिन लिए जाने का सुझाव	155
नत्थियां	156—163

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 2-9-1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

1--कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
2--कृष्ण कुमार, श्री	फैजाबाद
3--कृष्णा रावत, कुमारी	लखनऊ
4--देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
5--बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
6--बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
7--बुधपाल सिंह 'खुर्जावाले', श्री	बुलन्दशहर
8--बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
9--माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
10--मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
11--राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
12--राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
13--राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
14--विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
15--वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
16--शैलेन्द्र कुमार, श्री	इलाहाबाद
17--सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
18--सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
19--सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
20--हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

नोट--श्री अरुण कुमार सिंह मा0 सदस्य, विधान परिषद (सहकारिता मन्त्री) ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर, 1986 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खुर्जा, जिला बुलन्दशहर में नि:शुल्क नेत्र शिविर द्वारा गलत चिकित्सा होने की घटना की न्यायिक जांच

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री सरदार सिंह, श्री मित्रसेन, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि खुर्जा जिला बुलन्दशहर में दिनांक 22 अप्रैल, 1986 के आस-पास आयोजित नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में गलत इलाज से 84 व्यक्तियों के नेत्रहीन हो जाने की जो घटना घटी है उसके बारे में कोई जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

जी हां । मामले की न्यायिक जांच परगनाधिकारी खुर्जा, जिला बुलन्दशहर तथा विभागीय जांच उप निदेशक (नेत्रोपचार) द्वारा करायी गयी । जांच के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 21-4-1986 को लायंस क्लब, पांटरी टाउन, खुर्जा द्वारा आयोजित नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में डा0आर0एम0 सहाय, सहाय हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, भगवा मार्ग मोती डूंगरी, जयपुर एवं उनकी टीम द्वारा नेत्र आपरेशन किये गये थे । उक्त शिविर में 122 मरीज आपरेशन के लिए पंजीकृत किये गये इनमें से 108 मरीजों के नेत्र मोतिया बिन्द आपरेशन किये गये परगनाधिकारी खुर्जा द्वारा 108 में से 88 व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया गया जिसमें से 84 व्यक्तियों की आखों की रोशनी समाप्त हो गयी थी तथा 4 व्यक्तियों की आखें ठीक पाई गई ।

न्यायिक जांच के आधार पर मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने के लिए डा0 आर0 एम0 सहाय, सहाय हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर जयपुर को दोषी पाया गया है तथा उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-338 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके अतिरिक्त शासन ने डा0 सहाय तथा उनके सहयोगी डा0 महेश पंजाबी, डा0 राजेश सेखड़ी तथा डा0 (श्रीमती) माधुरी सहाय को उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में कैटरैक्ट के आपरेशन या अन्य शल्प चिकित्सा करने की अनुमति न दिये जाने के आदेश समाप्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को जारी कर दिये गये है ।

विभागीय जांच के आधार पर उक्त शिविर का समुचित पर्यावेक्षण न करने के कारण तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी बुलन्दशहर एवं वरिष्ठ नेत्र सर्जन, जिला अस्पताल, बुलन्दशहर को दोषी पाया गया है । इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह तो एक घटना है जो कि प्रकाश में आ गयी और उसकी जांच करायी गयी और उसमें जो दोषी पाये गये उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी । सामान्यतः स्थिति यह है कि हमारे प्रदेश में आखों के कितने कैम्प लगाये जाते हैं और आये दिन इस तरह की घटनायें होती रहती हैं। क्या सरकार की ओर से कोई ऐसे निर्देश जारी किये गये हैं जिसके तहत ऐसी घटनायें दोहराई न जायं ? ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये क्या सरकार समुचित प्रबन्ध कर रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, शासन ने ऐसे निर्देश जारी किये हैं। सम्भवतः उत्तर प्रदेश ही पहला प्रदेश था जहां कैम्प के द्वारा नेत्र उपचार का कार्यक्रम आरम्भ किया गया था । उस समय शासन ने आदेश जारी किये थे कि जहां कहीं भी ऐसे कैम्पों की व्यवस्था की जाय उसमें यह कैम्प आठ दिन तक जारी रखे जायेंगे ताकि पोस्ट आपरेशन केयर उन लोगों की, की जा सके । अब पुनः उन आदेशों को दोहराया गया है कि मुख्य चिकित्साधिकारी ही एसे कैम्पों के लिए लाईसेन्सिंग अथारिटी है और आठ दिनों तक कैम्प जारी रहेंगे ताकि रोगियों की पोस्ट आपरेशन केयर हो सके ताकि भविष्य में फिर ऐसी दुर्घटनायें न हो सकें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ऐसे नेत्र शिविर लगाये जाते हैं तो क्या सरकार की ओर से उनके लिये कोई ऐसे निर्देश हैं कि जिला चिकित्साधिकारी से या फिर जिलाधिकारी से इसके लिये पहले अनुमति प्राप्त कर ली जाय ? जब तक ऐसे निर्देश नहीं होंगे तब तक कैसे पता चल पायेगा कि कैम्प लगाने वाला डाक्टर डिग्रीधारी है या नहीं है ? क्या पहले जो आदेश हुए हैं उनमें क्या ऐसी व्यवस्था है कि उन्हें शिविर लगाने के पहले चिकित्साधिकारी की या जिलाधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है ? अगर नहीं है, तो क्या इस तरह के आदेश माननीय मंत्री जी जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ऐसे पूर्व से आदेश हैं और आज भी हैं । बिना मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा जिलाधिकारी की अनुमति के कोई व्यक्ति या समूह, सामाजिक प्रतिष्ठान अथवा चिकित्सक नेत्र शिविर नहीं चला सकता है ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, इन्हीं डाक्टर साहेब के द्वारा मुरादाबाद में और खुर्जा में कैम्प लगाया गया था तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुरादाबाद के बारे में जांच करा ली है अथवा नहीं और यदि जांच करा ली गयी है तो उसमें कितने लोग नेत्र विहीन हो गये हैं । मान्यवर, आंखें ही नदारत नहीं हुई हैं, बल्कि लोगों की जाने भी गयी हैं । जगदीश प्रसाद जी जो सदस्य रहे हैं, उनकी आंख के अपरेशन में मृत्यु हो गयी है । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब खुर्जा में इस तरह की घटना हो गयी तो उनको मुरादाबाद में कैम्प लगाने से क्यों नहीं रोका गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मुरादाबाद में 22 तारीख को लगाया और खुर्जा में 21 अप्रैल को लगाया था । उसी दिन मुरादाबाद चले गये और मुरादाबाद में 445 लोगों के नेत्र का आपरेशन किया । अभी तक 196 व्यक्तियों से सम्पर्क किया जा चुका है और सम्पर्क अभी जारी है और आज की सूचना के अनुसार 15 व्यक्तियों की आंख खराब हुई है ।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खुर्जा में आपरेशन हुआ और 13 मई, 1986 को जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिये गये और उसके बाद 21-6-1986 को मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पेश की गयी, तो इस दो महीने के बीच में 84 व्यक्तियों की आंखे जाती रही । तो जांच के जो आदेश दिये गये वह जिलाधिकारी की जांच के बाद दिये गये या पहले दिये गये ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिये गये, वह लाइसेन्सिंग अथारिटी थे । 21 जून को एस0 डी0 एम0 की रिपोर्ट आयी । जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी ने लोगों से कान्टैक्ट किया और डाक्टर सहाय के यहां उन व्यक्तियों को भेजा तो पता चला कि डाक्टर सहाय 24 तारीख को मुरादाबाद से लौटे और 27 तारीख को खुर्जा से चले गये और यह कहकर चले गये कि अगर किसी को तकलीफ हो तो वह जयपुर चला आये, लोग जयपुर गये । जब इसकी सूचना मिली कि आपरेशन खराब हो गया है तो जिलाधिकारी ने रिपोर्ट कर दी और जांच करायी । जांच अधिकारी ने धारा 338 के अंतर्गत मुकदमा कायम कर दिया । पुलिस में एफ0 आई0 आर0 लिखा दी गयी और अब उन पर मुकदमा चलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिये हैं । यह जिम्मेदारी नेत्र सर्जन की थी और सी0 एम0 ओ0 की थी । जब नेत्र आपरेशन का कार्य हो रहा था और कैम्प चल रहा था तो उनको विजिट करना चाहिये था और यह देखना चाहिये था कि कार्य सुचारु रूप से चल रहा है अथवा नहीं। यह उन्होंने नहीं किया है । इसकी जांच मण्डलीय उप निदेशक को दी गई है । उनकी रिपोर्ट आने के बाद इनके ऊपर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, मैंने यह भी जानना चाहा था कि क्या उनको आर्थिक सहायता दी जायेगी । मेरी निश्चित जानकारी है कि यह डाक्टर दिनांक 2-5-86 को रोम चले गये हैं । उन्होंने 21 अप्रैल को खुर्जा में और 22 अप्रैल को मुरादाबाद में आपरेशन किया और उसके ठीक एक हफ्ते के बाद डाक्टर साहब रोम चले गये । उनके ऊपर एफ0 आई0 आर0 भी लाज हुई, वे विदेश चले गये हैं । जयपुर में जितने मरीज गये हैं, यह डाक्टर साहब उनसे नहीं मिले । वे तीन दिन पहले से रोम जाने की तैयारी करते रहे, अपना पास-पोर्ट और अन्य चीजें बनाते रहे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जो दवा उन्होंने उनकी आंखों में प्रयोग की वह जयपुर की एक मेसर्स मेहता कम्पनी की बनाई दवायें थीं, जो कि उन्होंने खुर्जा

में और मुरादाबाद में प्रयोग की । वे एक निश्चित कम्पनी की दवा का प्रयोग करते रहे । मेरा प्रश्न यह है कि जितने लोगों की आंखें जाती रहीं, उनकी रोशनी तो आप वापस नहीं कर सकते लेकिन क्या उनके इलाज की व्यवस्था भी नहीं कर सकते ? डाक्टर रोम चले गये हैं, तीन दिन से विदेश जाने की तैयारी करते रहे तो मैं कैसे मान लूं कि डाक्टर साहब इन लोगों को जयपुर में मिले ? वे नहीं मिले। मेरा निवेदन यह है कि आप सत्य को सत्य कहिये और सत्य के ऊपर जोर दीजिये ।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया)

श्री मित्रसेन–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आप जानते हैं ऐसे शिविर जो लगते हैं वे देहातों में भी लगते हैं और बहुत से गरीब आदमी उनके शिकार हो जाते हैं और जैसी लापरवाही का उदाहरण आपके सामने आया है, उसी तरह से शिवरों में भी होता है । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि ऐसे शिविरों में जिला अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं और वे परीक्षण करने का आदेश देते हैं । मुरादाबाद और बुलन्दशहर में जो शिविर लगे थे क्या उनका परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कर लिया था और जो दवा मरीजों को दी गई तथा जिन डाक्टरों ने वह दवा दी उनकी जानकारी इन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने कर ली थी या नहीं ? दूसरी बात यह है कि 84 आदमी जिनके नेत्र चले गये उनको कोई आर्थिक सहायता या पेंशन देने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रथम बात यह है कि डाक्टर सहाय एक विख्यात नेत्र सर्जन हैं और जो उपकरण और दवा थीं वह वे स्वयं लाये थे । दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने यह कैंप एरेन्ज किया उनका दायित्व है, शासन का नहीं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने पूर्व वक्तव्य में यह कहा कि ऐसे निर्देश पहले से हैं कि इस तरह के कैम्प जो लगें तो उनकी देखरेख वहां के सी0 एम0 ओ0 और सर्जन कर लें । तो क्या इस कैम्प का सी0 एम0 ओ0 और सर्जन ने निरीक्षण कर लिया था ? यदि नहीं किया था तो अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो पायी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

20 तारीख को अग्रवाल धर्मशाला खुर्जा का जहां यह कैंप होने वाला था, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने और सर्जन ने निरीक्षण कर लिया था । 21 तारीख को कैम्प हुआ था। 12/14 मई को सूचनायें आईं । मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है जिसका मुद्दा यह है कि 21 से 27 अप्रैल तक वह कैंप चला । डाक्टर सहाय ने अपना एक पत्र बांटा था जिसमें उन्होंने कहा था-एक दिन आओ और आंख का आपरेशन कराओ ।

उन्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है वे अपने घर चले जांय जो सरकारी नियम के विपरीत था । अगर यह पर्चा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने

गया तो उन्होंने इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की । अगर नहीं गया तो पुनः वे दोषी हैं कि जो पर्चा वितरित हुआ वह क्यों नहीं देखा और कार्यवाही क्यों नहीं की । इसकी जांच अपर निदेशक, मेरठ मण्डल कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जब कभी कोई नेत्र शिविर चलायेगा तो उसके लिये डी0 एम0 और वहां के सी0 एम0 ओ0 से परमीशन लेनी पड़ेगी । तो जैसा आपको ज्ञात है डा0 सहाय विख्यात नेत्र विशेषज्ञ हैं लेकिन कुख्यात हो गये । तो मैं जानना चाहता हूं कि डी0 एम0 तथा सी0 एम0 ओ0 बुलन्दशहर ने जब उनको परमीशन दी तो उनको इसकी क्या आवश्यकता पड़ी जब कि इतना बड़ा प्रदेश है यहां इतने सारे डाक्टर हैं इनके रहते हुये बाहरी आदमी को परमीशन देने की क्या आवश्यकता थी जिसके बारे में जानकारी नहीं है उनको इजाजत क्यों दे दी, किन परिस्थितियों में यह इजाजत दी गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में औसतन लगभग 14 लाख लोग मोतियाबिन्द से ग्रस्त हैं और यह बढ़ता जाता है और यह उम्र के हिसाब से होता है और हमारे प्रदेश में यह लगभग 50 वर्ष की उम्र से आरम्भ होता है । मोतियाबिन्द आपरेशन राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलाया जाता है और उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सकों की संख्या जो है उसमें 35 से 40 हजार के बीच लोगों के आपरेशन वे साल में कर सकते हैं । बाकी लोगों के लिये प्राइवेट चिकित्सक हैं उनके आपरेशन के लिये प्रदेश और प्रदेश के बाहर के चिकित्सकों का सहयोग लिया जाता है । तो किसी का कदापि यह उद्देश्य नहीं रहता है कि किसी की आंख अंधी कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो निजी व्यक्ति इस काम में लगे हुये हैं वही ऐसी दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सहायता के लिये जिम्मेदार है । माननीय मंत्री जी ने अभी सदन को जानकारी दी कि जब कोई कार्यक्रम निजी संस्था या चैरिटेबल ट्रस्ट इस तरह का चलाते हैं तो उसके लिये डी0 एम0 और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परमीशन लेंगे । इसलिये उनकी भी यह जिम्मेदारी है अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता तो शायद यह दुर्घटना नहीं होती । इसलिये इस दुर्घटना में शासन की भी जिम्मेदारी है जिसको वह नकार नहीं सकते हैं। तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जिन लोगों के नेत्र चले गये हैं उनका इलाज शासन की ओर से होगा और उनको सीतापुर नेत्र औषधालय में भेज दिया जाय जहां उनका सरकार इलाज कराये ।

दूसरी बात यह बताई गयी कि 108 लोगों का आपरेशन हुआ जिसमें से 84 आदमियों से सम्पर्क किया जा सका है शेष लोगों से सम्पर्क नहीं हुआ । मेरी जानकारी के अनुसार विदेशी संस्थायें इस तरह के कार्यों के लिये सहायता देती हैं । तो ऐसा तो नहीं है कि

शेष लोगों को फर्जी दिखा दिया गया हो, तो क्या इसकी भी जांच करायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, जहां तक खुर्जा के आपरेशन का प्रश्न है इसमें कोई फर्जी मामला नहीं है । जहां तक सरकारी दायित्व का प्रश्न है और उसमें आर्थिक सहायता की बात है, वह जिम्मेदारी उसी की है जो आपरेशन करायेगा ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा का नाम पुकारने पर)

मान्यवर, हम भी इस सदन में बैठते हैं, हमें भी अवसर मिलना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, डा0 सहाय के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज है तो उन्होंने जमानत कराई है कि नहीं ? यदि जमानत नहीं कराई है तो उनकी कुर्की क्यों नहीं की गयी, यह बता दें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, अभी इसकी सूचना तो नहीं है लेकिन दफा 338 में, वह वकील है, बता दें कि क्या जमानत जरूरी है?

सिविल लाइन्स, इलाहाबाद के सागर पेशा निवासियों की आवासीय समस्या

**2–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा सिविल लाइंस इलाहाबाद के सागर पेशा निवासियों की आवासीय समस्या से सम्बन्धित दिनांकित 13-7-86 का पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो समस्या समाधान हेतु क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

प्रश्न में संदर्भित माननीय विधायक का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । जहां तक सिविल लाइन्स, इलाहाबाद के सागर पेशा निवासियों का आवासीय समस्या का प्रश्न है, स्थिति यह है कि सिविल लाइन्स के अवधि समाप्त पट्टों के स्थान पर नये पट्टे दिये जाने के संबंध में दिनांक 19-4-81 को एक शासनादेश जारी किया गया था। उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार भूतपूर्व पट्टेदारों को पट्टा दिये जाने के पश्चात जो भूमि बचती उसे निर्बल वर्ग के लोगों को सुनियोजित ढंग से निर्माण करके निर्मित भवनों का आवंटन किया जाता और इस आवंटन में प्राथमिकता अनिवार्य रूप से उन व्यक्तियों को दी जाती जो आउट हाउसेज के अध्यासी हैं। सिविल लाइन्स के पूर्व पट्टेदारों ने उच्च न्यायालय में उक्त शासनादेश के विरुद्ध कई रिट याचिकायें प्रस्तुत की थीं, जिस पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 25-3-86 को शासन के विरुद्ध निर्णय दिया यदि इस निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाती तो सागर पेशा लोगों को सुनियोजित ढंग से बसाने के लिये कोई भूमि उपलब्ध न होती। अतः उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हो जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, उत्तर से ही विभाग की कार्य कुशलता का पता चलता है। हमारे पत्रों की पहले तो प्राप्ति ही स्वीकार नहीं होती है और दूसरे इस तरह का जवाब दिया गया है। मैं

जानना चाहता हूं कि सिविल लाइन्स क्षेत्र में कितने पट्टों की अवधि समाप्त हो गयी है और कितने पूर्व पट्टेदारों ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला चला गया है तो उन्हीं का जब निर्णय होगा तभी हम कुछ कर पायेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, जैसा उत्तर में कहा है कि कुछ पूर्व पट्टेदार उच्च न्यायालय में गये थे, 1981 में ही एक शासनादेश जारी किया गया था कि जिन भूमि के पट्टे समाप्त हो गये थे उन पर सागर पेशा निवासियों के आवास बनाये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पूर्व पट्टेदारों में बहुत से लोग उच्च न्यायालय नहीं गये थे और जमीन देना चाहते थे, इसलिये उन पर आवास न बनाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जैसा मैंने कहा जो पट्टेदार पहले रिट में गये थे उसके विरुद्ध शासन यानी हम हार गये और अब जो उच्च न्यायालय में निर्णय होगा वह सभी पट्टेदारों पर लागू होगा।

श्री जवाहर सिंह यादव–

मान्यवर, इलाहाबाद नगर महापालिका के सिविल लाइन्स में सैकड़ों बंगले हैं, जिनके रिनीवल पट्टे सरकार कई वर्षों से नहीं कर रही है और उनके बारे में कहा गया कि कुछ लोग रिट में गये हैं, लेकिन जो लोग नहीं गये हैं, उन बंगलों को लेकर क्यों नहीं आवासीय कार्यवाही की जाती है, न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मैं जानकारी कर सूचना उपलब्ध करा दूंगी।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

इस प्रश्न का चूंकि मंत्री जी पूरी तरह से उत्तर नहीं दे पा रही हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार जो जहां पर है, उसके आवास के लिए वहीं पर भूमि देने की कोई योजना बनाने जा रही है ? क्योंकि आपके सरकारी विभाग और सरकारी परिषदें जो मकान बनवा रही हैं वे काफी मूल्यवान हैं, जिन्हें गरीब और मध्यम श्रेणी के व्यक्ति नहीं ले सकते हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जो उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ था, वह सभी पट्टेदारों पर लागू होता है और जब उसका निर्णय मिल जाएगा, तो अवश्य हम योजना बनायेंगे। हम उनकी मदद करने के लिए कटिबद्ध हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह करीब 770 एकड़ भूमि का मामला है और बहुत दिनों से लम्बित है, तो क्या इस पर शासन नये सिरे से विचार करेगा कि जितने पट्टेदार हैं, उनको फ्री-होल्ड कर दिया जाए और बाकी के लिए भूमि एक्वायर कर उनके लिए आवासों की व्यवस्था कर दी जाए? इनको फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, विचार कर लेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पट्टेदार हैं और जिनकी अवधि

समाप्त हो गई है और कोर्ट में नहीं गये हैं, उनको बेदखल करके क्या आप कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

देख लेंगे, मान्यवर।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

(व्यवधान) विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में स्पष्ट कर दिया गया था कि इनको नहीं हटायेंगे और जो लीज मालिक हैं उनके पट्टे रद्द कर दिये गये हैं और रद्द करने के बाद वह मालिक नहीं रह जाते हैं और इसके बावजूद यदि वे अपनी भूमि का विक्रय करते हैं तो उनको बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है, तो क्या मंत्री जी को मालूम है कि वहां की भूमि अवैध मालिकों और सोसाइटियों द्वारा बेची जा रही है और इस प्रकार से नये लोगों द्वारा उस पर अवैध निर्माण हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उनके नक्शे महापालिका अधिकारियों द्वारा पास किये गये हैं?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये । आप तो सिविल लाइन्स का इतिहास बयान कर रहे हैं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, सिविल लाइन्स सागर पेशा के जो मालिक हैं उनकी लीज रद्द कर दी गयी। उनकी लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ तो उनको भूमि बेचने का कोई हक नहीं है। लेकिन वहां पर जमीनें बिक रही हैं और सोसायटियों द्वारा निर्माण कार्य हो रहे हैं। क्या नगर पालिका द्वारा इनका नक्शा पास किया गया है। अगर नहीं पास किया गया है तो यह सब अवैध निर्माण है। तो क्या इन अवैध निर्माणों को रोकने के लिये आदेश जारी करेंगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, अभी तो सारा मामला न्यायालय में पड़ा हुआ है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हजरतगंज, लखनऊ स्थित बापू की प्रतिमा के नीचे मांगों के सम्बन्ध में धरना

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सरदार सिंह तथा श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने हजरतगंज, लखनऊ स्थित पूज्य बापू की प्रतिमा के पास अपनी कुछ मांगों को लेकर दिनांक 23-5-86 को एवं उसके आस-पास किसी दिन धरना दिया ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थी तथा उन पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

जी हां ।

सम्बन्धित अधिकारी ने शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–831/सात/28/दिनांक 21-5-1986 में यह सूचित करते हुए कि वह इलाहाबाद राजस्व परिषद् के न्यायिक सदस्य के पद पर अपने स्थानान्तरण को सिद्धान्तः स्वीकार नहीं करते और यह कि विकासशील व्यवस्था के लिए नयी परम्परायें चाहिये उन्होंने सूचित किया कि वह 22-5-86 से पांच दिनों तक सचिवालय के सामने निराहार धरना देंगे ।

सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शासन के आदेशों को सिद्धान्तः स्वीकार न करना तथा तथाकथित शिकायतों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति करना अखिल भारतीय

प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में उनका यह अशोभनीय कृत्य अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली के विरुद्ध था। नई परम्पराओं की स्थापना की मांग अस्पष्ट थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि पूज्य बापू की प्रतिमा के पास अपनी कुछ मांगों को लेकर, मेरा जो जोर था वह कुछ मांगों के बारे में था। माननीय मंत्री जी ने धर्म सिंह रावत के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की चर्चा कर दी और कहा कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शासन के आदेशों को सिद्धान्तः स्वीकार न करना तथा तथाकथित शिकायतों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति करना अपराध है तो इस पर मैं सवाल बाद में करूंगा। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री धर्म सिंह रावत ने जो शिकायतें की थीं उनमें यह भी था कि सीलिंग एक्ट, 1976 की धारा 33 के अन्तर्गत जो उनके द्वारा मामले उजागर किये गये और जो भूमि स्कैण्डलस हैं उन पर सख्त कार्यवाही हो। उच्च प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त किया जाय। भूमि सीमा रोपण निदेशालय की 8232 फाइलों के सिलसिले में सरकार जनता को भुलावे में रखने के लिये झूठ बोलना बन्द करे। धनी भू-स्वामियों की गोद में प्रदेश सरकार न खेले। इसके अलावा भी बहुत सी उनकी मांगें थीं जिनको उन्होंने सार्वजनिक रूप से उजागर किया था। वह मांगें क्या थीं और उन मांगों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सारांश में अवलोकन करने से स्पष्ट होगा कि उन्होंने अपने पत्र में निदेशक के रूप में विशेष सचिव का दर्जा दिये जाने की बात कही थी। इसके साथ ही साथ शासन के कुछ आदेशों की आलोचना करने की बात कही थी जिनसे वह सहमत नहीं थे। एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने 8232 पत्रावलियों जिनकी चोरी हुई थी या हबीबुल्ला स्टेट के सम्बन्ध में जो गड़बड़ियां हैं उनको उजागर किया। 2 जुलाई, 85 से 21 मई, 86 तक वह इस पद पर रहे हैं। पत्रावलियों की चोरी हुई या गायब हुई, उसके लिये जांच का आदेश बहुत पहले 4-6-84 को कर दिया गया था। यह शहादत वह अपने सर पर कि उन्होंने इस बात को उजागर किया है, गलत है। उसके लिये बहुत पहले ही कार्यवाही हो चुकी है। मान्यवर, जहां तक हबीबुल्ला भवन की बात है, उसके लिये 3-5-85 को डी0 आई0 जी0 द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं। इसमें मान्यवर, सरकार पहले से ही कार्यवाही कर रही थी, श्री रावत का कंडक्ट उचित नहीं पाया गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि श्री धर्म सिंह रावत ने क्या-क्या शिकायतें की थीं और कौन-कौन से प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा था, जिन्होंने नाजायज तरीके से भूमि अधिग्रहण किया था। माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नाजायज तरीके से भूमि अधिग्रहण करने में कौन-कौन से लोग थे और उ0 प्र0 सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार के पास जांच

की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गयी है ? यदि आ गयी है, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आ गयी है या नहीं आयी लेकिन सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही है। उसकी कोई रिपोर्ट शासन के समक्ष नहीं आयी है। जहां तक किसी अधिकारी विशेष की बात है, ऐसी कोई शिकायत नहीं की गयी है। उसमें कोई अधिकारी अपने नाम से भी जमीन ले सकता है, अपने परिवार के नाम से भी ले सकता है, या बेनामी भी ले सकता है, ऐसा हो सकता है इसी की जांच हो रही है। मान्यवर, वह कौन-कौन से अधिकारी है, यह प्रश्न जरा कुछ समझ में नहीं आता है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने कहा कि 8,232 पत्रावलियां जो गायब हुई हैं, उसके लिए शिकायत की गई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन संबंधित पत्रावलियों के गायब होने के संबंध में कि वह कैसे गायब हुई किनके द्वारा गायब हुई और उसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पत्रावलियां गायब हुई और उसकी जांच हुई, जांच रिपोर्ट के आधार पर उन पत्रावलियों से संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

श्री मैनेजर सिंह –

माननीय अध्यक्ष जी, इसी आदरणीय सदन में माननीय नगर विकास मंत्री जी ने कहा था कि जांच रिपोर्ट आई है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जांच रिपोर्ट आई ही नहीं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी बात सही है। पहले इन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आई ही नहीं, या रिपोर्ट आयी और 15 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी, कौन सी बात सही है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, दोनों बातें सही है दो जांच चल रही है, एक तो जो हबीबुल्ला भवन से सम्बन्धित पत्रावलियां गायब हुई हैं, वह एक विभिन्न स्थिति है। जहां तक जांच की बात है, जांच पहले से ही चल रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पेशे से वकील है और भ्रष्टाचार को छिपाने में बड़ी अच्छी वकालत कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर, देखना यह है कि श्री धर्म सिंह रावत की शिकायत पर भू-स्वामियों और अधिकारियों के खिलाफ जो आरोप हैं, उनके खिलाफ सरकार दृढ़ता से कार्यवाही नहीं कर रही है।

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि यह आठ हजार फाइल के गायब होने का मामला है। हबीबुल्ला स्टेट में अपने नाम पर बेनामी पर और कम दाम पर, असली मामला कम दाम का है। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में कार्यवाही किस स्तर पर हुई है। डी0 आई0 जी0 की जो जांच की गई उसके संदर्भित बिन्दु क्या-क्या है? किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। जो प्राग्दर्शन में सूचना दी गई है उसमें किन-किन

अधिकारियों के नाम लिये गये हैं कृपया उनके नाम बताने का कष्ट करें और जो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई उसे भी बताने का कष्ट करें?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 21 तारीख को उनका अन्तिम दिन था सेवा में रहने का, जब वह निदेशक के रूप में हटे थे। उसके बाद कोई पद उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। मैं इनके पत्र के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के नाम बतायें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने डी0 आई0 जी0 की जांच के बारे में जानना चाहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

गुप्ता जी ने प्रश्न किया है मंत्री जी को जवाब देना है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

जो सवाल किया है उसका जवाब नहीं आ रहा है यह तो पत्र पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर से संतुष्ट न हों तो नियमों में लिखकर दें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें जो लोग दोषी पाये जायेंगे उसमें सरकार उनको दंडित करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप इन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री मैनेजर सिंह–

यह गलत बयानी कर रहे। मैं इनके खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इनको उत्तर देने दीजिए वरना आपका समय खतम हो जाएगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें दो तीन प्रश्न माननीय सदस्य ने किए थे उसके संदर्भ में यह कहना है कि हबीबुल्ला स्टेट के मामले की जांच में जो बता रहे हैं...

(व्यवधान)

मान्यवर, इसमें यह भी हो सकता है जैसा कि राजेन्द्र गुप्त जी ने भी कहा, हो सकता है कि जिस मूल्य में जमीन खरीदी गयी उससे कम मूल्य में खरीदी गयी हो, हो सकता है नाम से न खरीद-कर बेनामी खरीदी गयी हो, यह भी हो सकता है कि कुछ अधिकारियों ने उसे अपने परिवार के नाम से खरीदी हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से प्रश्नों का समय समाप्त हो जायेगा, हम भी खामोश बैठे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हम लोग आपका संरक्षण चाहते हैं। प्रश्न सीधा सा है उसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन-कौन से आई0 ए0एस0 अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध जांच चल रही है उनके नाम मंत्री जी बता दें और सी0 आई0 डी0 की जो रिपोर्ट आ गयी है जिसको कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जांच की जा रही

है और जो रिपोर्ट आ गयी है उसका परीक्षण किया जा रहा है। तो जो रिपोर्ट आ गयी है वह क्या रिपोर्ट आयी है और कौन-कौन से बड़े अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध जांच चल रही है और किन-किन बिन्दुओं पर परीक्षण चल रहा है? यह बात बताने में मंत्री जी को क्या आपत्ति है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, केवल दो बातों की जानकारी चाही गयी है एक तो यह कि सी0आई0 डी0 रिपोर्ट आ गयी है या नहीं आई है तो मान्यवर, मैं बता दूं कि हबीबुल्ला स्टेट में सी0 आई0 डी0 की जो जांच अधिकारियों की चल रही है अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया–

सी0 आई0 डी0 जांच की रिपोर्ट आ गयी है मुख्य मंत्री जी ने पत्र में लिखा है।

(कई विपक्षी माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय, सदस्य इस तरह न खड़े हों। अगर संतुष्ट न हों तो दूसरे नियमों के अन्दर लिख कर दे दें, तो हम विचार कर लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि यह सूचना जो मैंने दी है उस पर मैं अभी भी बल देता हूं। सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि यह आरोप लगा है हबीबुल्ला स्टेट में जो मकान खरीदे गये हैं उसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कम दाम पर जमीन खरीद ली है उनके विरुद्ध जो आरोप लगे हैं उनकी जांच हो रही है। उस जांच से जब तक कोई दोषी नहीं होता तो मैं कैसे कह दूं कि कौन दोषी है या नहीं है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के उस पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास है जिसका हवाला दे रहा हूं....

उसमें माननीय मुख्य मंत्री ने लिखा है कि जांच अभी चल रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुझे माफ करेंगे, हमें आपसे शिकायत है, इसलिये शिकायत है कि सभी माननीय सदस्यों ने पूछा कि किन-किन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। मंत्री जी सवाल को घुमाकर दूसरी तरह से उत्तर दे रहे हैं। किन-किन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, उनके नाम बता दें। यह नाम नहीं बताते हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरह से बेईमानों को संरक्षण दे रही है, चाहे संसदीय कार्यमंत्री यहां बैठे हों या अन्य मंत्री हो, वह खड़े हो कर कहें कि हमारी सरकार बेईमानों की है और बेईमानों को संरक्षण दे रही है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रजातंत्र में प्रश्न करने का अधिकार आपको है। प्रश्न यह हो रहा है कि किन-किन अधिकारियों के खिलाफ जांच हो रही है, खिलाफ तो कुछ है नहीं, जब दोषी पाये जाते हैं तब खिलाफ कहा जाता है। अभी तो जांच चल रही है...

(व्यवधान)

मान्यवर, प्रश्न करें, जानकारी लें नाम की। खिलाफ का क्या सवाल है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम लोग प्रश्न करना नहीं जानते हैं।

हम इनसे सीखेंगे । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि किन-किन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है।

श्री प्रमोद कुमार–

हबीबुल्ला स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल ने सवाल किया है, शुक्ल जी आप खड़े हो गये उत्तर नहीं दिये दे रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

उस स्टेट को जिन लोगों ने खरीदा है एक तरफ से मैं उन नामों को पढ़ रहा हूं । आप मालूम करलें कि कौन-कौन अधिकारी दोषी है और किन-किन मुद्दों पर जांच हो रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय, अध्यक्ष जी, कम से कम दो घंटे की चर्चा आप इस पर स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों के अन्दर दीजिये। मैं देखूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार

मान्यवर, मैं नाम बताना चाहता हूं, ये सुनना नहीं चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अध्यक्ष महोदय, मा0 नेता विरोधी दल ने अपनी बात कही। मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है, आप बहुत ही तजुर्बेकार हैं और यहां के और काउन्सिल दोनों जगह मेम्बर रह चुके हैं। जो प्रश्न है, उसे पढ़ा जाय, इसमें चर्चा स्वीकार हो ही नहीं सकती। इस प्रश्न में तीन चीजें पूछी गयी थीं । एक यह कि कोई प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार की हड़-ताल पर बैठा था, दूसरी यह कि उसकी मुख्य मांगें क्या थीं और तीसरे उस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है। इन तीनों बातों का जवाब दिया गया। इसके अतिरिक्त और कुछ पूछना चाहते हैं तो उसमें नोटिस की आवश्यकता है। इस तरह से सरकार को प्रेस नहीं किया जा सकता। इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आप नियमों के अन्तर्गत लिख कर दे दीजिये चर्चा के लिये। मैं देख करके जैसा होगा निर्णय लूंगा।

ब्लाक आर्गनाइजर्स (होमगार्ड) के चुनाव में हुई अनियमितताओं की जांच ।

*2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि जुलाई, 1986 में ब्लाक आर्गनाइजर्स (होमगार्ड) के चुनाव में कमान्डेन्ट जनरल, डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, गोपनीय सहायक सी0 जे0 डिवीजनल कमाण्डेन्ट **वाराणसी एवं डिवीजनल कामाण्डेन्ट** लखनऊ द्वारा व्यापक पैमाने पर अनियमितताएं बरतने का प्रकरण प्रकाश में आया है? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नही, तो **क्या चयन सम्बन्धी सारे** रिकार्ड सील कराकर सी0 बी0 आई0 द्वारा इसकी जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, **तो क्यों ?**

नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)–

ब्लाक आर्गनाइजर्स (होमगार्ड) के चुनाव में अनियमितताएं बरतने की शिकायत कानपुर के एक साप्ताहिक समाचार पत्र "मिशन" के दिनांक 5 से 11 जुलाई, 1986 के अंक में प्रकाशित हुई थी । शिकायत की जानकारी होते ही इस मामले की जांच संयुक्त निदेशक, नागरिक

सुरक्षा को सौंप दी गयी और सारे रिकार्ड सील कर दिये गये हैं। जांच में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, होमगार्ड के लगभग 250 आर्गनाइजर्स का चयन होना है। होमगार्ड नियमावली में जो चयन समिति है उसके प्रारूप को लिख दिया गया है। जो चयन समिति बनेगी उसमें तीन लोग होंगे, **डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल (होमगार्ड)**, ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारी (होमगार्ड) और कमाण्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (होमगार्ड) इस चयन समिति का काम होगा, **अभ्यर्थियों द्वारा लिखित और** शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को सारिणीबद्ध करना । मैं जानना चाहता हूं कि जब सेवा नियमावली में चयन समिति का गठन स्पष्ट रूप से कर दिया गया है तो ब्लाक आर्गनाइजर्स के चुनाव में नये आर्गनाइजर्स की आवश्यकता क्यों पड़ गयी। दूसरे आपने बताया कि जांच नागरिक सुरक्षा के एक अधिकारी के सुपुर्द कर दी गयी तो मान्यवर, उसकी प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट भी उनकी ओर से आ गयी है, वह क्या है और अनियमितताए क्या क्या पायी गयीं?

श्री राम नरेश शुक्ल–

मान्यवर, प्राथमिक रिपोर्ट तो अभी पूरी नहीं बतायी जा सकती है। टेबुलेशन की गल्ती उन्होंने बतायी है। मान्यवर, इसमें एक दिक्कत यह आ गयी है कि एक श्री विपिन कुमार ने माननीय मुंसिफ (हवाली) लखनऊ की अदालत में एक वाद दायर कर दिया है इसी संबंध में।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी माइक पर कहें, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है।

श्री राम नरेश शुक्ल–

श्री विपिन कुमार द्वारा अदालत में वाद दायर किये जाने के फलस्वरूप यह सारा मामला सब-जुडिस हो गया है, न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, टेबुलेशन का मामला अदालत में विचाराधीन है। उस अदालत में यह मामला विचाराधीन नहीं है कि सेवा नियमावली में जिस चयन समिति का उल्लेख किया गया है उसे बदलने का क्या कारण है? इसमें विभागीय जांच भी करायी जा रही है, जिस अधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है, माननीय मंत्री जी को कदाचित ज्ञात है कि उसे डिप्टी कमांडेंट जनरल इसलिये बना दिया गया है ताकि मामला रफा-दफा हो सके। मान्यवर, यह तो विदित है कि कमाडेंट जनरल के विरुद्ध शिकायत है, कोई भी मातहत अपने उच्च अधिकारी की जांच कैसे निष्पक्ष कर सकेगा। ऐसी स्थिति में इस पूरे प्रकरण की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने में माननीय मंत्री जी को क्या आपत्ति है?

श्री राम नरेश शुक्ल–

मान्यवर, इस समय तो सारा मामला अदालत में विचाराधीन है। जहां तक सी0 आई0 डी0 से जांच कराने का प्रश्न है, वह प्रश्न ही नहीं उठता है। हमने इसमें विभागीय जांच के आदेश पहले ही कर दिये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

सेवा नियमावली में जिस चयन समिति की व्यवस्था की गयी, उसे बदलने का क्या कारण है?

श्री राम नरेश शुक्ल–

मान्यवर, चयन समिति में 3 व्यक्ति हैं, जो उसके अनुरूप हैं।

सरकारी संस्थानों, विभागों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक मार्गों की भूमि पर धार्मिक भवन निर्माण पर रोक

*3–श्री मित्रसेन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी संस्थानों, विभागों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक सरकारी मार्गों की भूमि पर साम्प्रदायिक सद्भावना एवं सौहार्द को बनाये रखने की दृष्टि से मंदिरों, मस्जिदों एवं गुरुद्वारों के निर्माण पर मानव एवं राष्ट्र हित को देखते हुए रोक लगाने पर विचार करेंगे और क्या इस संदर्भ में कोई आदेश पारित किया गया है ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

सरकारी संस्थानों, विभागों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक सरकारी मार्गों की भूमि पर धार्मिक भवन निर्मित करने का किसी को अधिकार नहीं है।

जी हां। वर्ष 1984 में पुलिस महानिदेशक को इस प्रकार के निर्माण न होने देने के आदेश भेजे गये थे।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए जहां कहीं भी स्थान मिल रहा है-चौराहों पर, जेलों में, थानों पर, सरकारी दफ्तरों में अधिकतर मंदिर बन रहे हैं और जहां कहीं कब्रिस्तान हैं उस पर मस्जिद खड़े किये जा रहे हैं। मैंने इन पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार के संबंध में जो जानकारी की है, उस पर माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि वर्ष 1984 में पुलिस महानिदेशक को इस प्रकार के निर्माण न होने देने के आदेश भेजे गये थे। मान्यवर, सम्प्रति स्थिति यह है कि जहां कहीं भी कोई नया निर्माण हो रहा है, वहां मंदिर/मस्जिद स्थापित किये जा रहे हैं ताकि आये दिन साम्प्रदायिक तनाव और बढ़े।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न करें।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी इस संदर्भ में तत्काल कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार ने 25 जून, 1984 को डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस को यह आदेश दिये थे कि सार्वजनिक स्थलों, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी भवनों के प्रांगणों में इस तरह के धार्मिक मन्दिर और मस्जिदों का निर्माण न हो। तत्पश्चात् 26 जून को निदेशक ने अपने यहां से स्पष्ट रूप में आदेश दिये लेकिन उसके बाद भी कुछ शिकायतों संज्ञान में आयी कि इस तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। अन्त में 27 जनवरी, 1986 को पुलिस महानिदेशालय से स्पष्ट रूप से आदेश गये कि इस तरह के निर्माण न किये जायें क्योंकि हम और हमारी सरकार सैक्यूलरिज्म पर अटूट आस्था और विश्वास रखती है। इस तरह का निर्माण किसी अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद ही

होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय से हर जनपद को स्पष्ट और सुनिश्चित आदेश इस प्रकार के जा चुके हैं कि कोई ऐसा निर्माण कार्य सार्वजनिक स्थलों, सरकरी दफ्तरों आदि के आगे न हों।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार के निर्माण न हों इसके लिए स्पष्ट आदेश जा चुके हैं परन्तु यह जानने के लिए कौन सा निर्माण पहले हुआ है और कौन सा निर्माण नया है क्या इस संबंध में माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें इन पूजा स्थलों का रिकार्ड अंकित हो ताकि आदेशों की अवहेलना न होने पावे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

माननीय सदस्य के सुझाव को देख लिया जायेगा।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1984 में इस तरह के आदेश दिये गये थे इसके बावजूद भी मन्दिरों और मस्जिदों व पूजा स्थलों के निर्माण की शिकायतें संज्ञान में आयीं। मंत्री जी ने यह भी कहा कि 1986 में स्पष्ट आदेश दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 84 के आदेशों के बावजूद भी जो निर्माण कार्य हुए हैं वे कहां-कहां कि शिकायतें हैं? क्या उन मामलों पर माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करने की सोच रहे हैं या नहीं? दूसरा माननीय मंत्री जी से यह भी चाहूंगा कि विभिन्न थानों पर जन्माष्टमी का जो त्योहार मनाया जाता है जिसके बारे हमको और मंत्री जी को भी आते हैं क्या माननीय मंत्री जी ऐसे उत्सवों पर रोक लगाने के निर्देश जारी करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है कि जनवरी, 86 में हर जनपद को यह स्पष्ट आदेश जा चके हैं कि सार्वजनिक स्थलों दफ्तरों आदि के प्रांगण में इस प्रकार के मन्दिरों, पूजास्थलों व मस्जिदों का निर्माण कार्य नहीं होगा। जहां तक माननीय सदस्य ने यह दूसरा प्रश्न किया है कि पुलिस लाइन में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसमें यहीं कहूंगा कि जो परम्परायें हैं, कनवेन्शन्स हैं, प्रेसीडेन्ट्स हैं, उसमें कभी-कभी ला एवाइड भी हो जाता है। मैं समझता हूं कि पिछले पचासियों वर्ष से पुलिस लाइन में यह श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं, यह कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई नई बात होती, कोई नया काम शुरू हुआ होता, तो बुरी बात थी। हर व्यक्ति को चाहे वह किसी भी सरकारी सेवा में हों, उसको अपने धर्म के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। इस त्योहार को तो वे हमेशा से मनाते चले आ रहे हैं।

[मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

इन्सपेक्टर/सब इन्सपेक्टर को एक माह के वेतन के बराबर मानदेय देने पर विचार

*1–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के जनवरी, 1985 के निर्णयानुसार इन्सपेक्टर/सब

इन्स्पेक्टर को वर्ष में एक मास के वेतन के बराबर मानदेय न दिये जाने का क्या कारण है जबकि वे भी अनुसंधान/जांच कार्य के कारण राजपत्रित अवकाश नहीं ले पाते हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह विषय शासन के विचाराधीन है।

श्री शारदा प्रताप–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शासन के पास कब से विचाराधीन है और कब तक शासन इस पर फैसला ले लेगा, कोई निश्चित तिथि बता दें?

श्री सरेन्द्र सिंह चौहान–

इसमें परीक्षण चल रहा है। हाई कोर्ट का एक निर्णय हुआ और हाई कोर्ट के निर्णय का परीक्षण न्याय विभाग कर रहा है, उसको देख रहा है। यह प्रयास किस जायेगा जल्द ही इसमें निर्णय हो जाय ।

प्रभावहीन दवाओं के प्रयोग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना के उत्पादन में क्षति

*2–श्री कनक सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 2-8-85 (गन्ना मंत्री) के सम्बन्ध में जिला गन्ना अधिकारी, गाजियाबाद ने 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में स्वीकार किया था कि दवा प्रभावहीन थी और दवा गन्ना आयुक्त द्वारा सप्लाई की जाती है, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

दिनांक 1-7-1985 को जनपद गाजियाबाद की 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक की कार्यवाही के सम्बन्ध में तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी, गाजियाबाद ने यह स्पष्ट किया है कि बैठक में उन्होंने यह कहा था कि जो दवा प्रारम्भ में आयी थी वह काला चिकटा कीट के नियंत्रण के लिये उपयोगी थी और पायरिला कीट के लिये कम असरदार थी परन्तु बाद में जो दवा "डाईमोक्रोन" आई वह पायरिला कीट के लिये असरदार थी। दवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में उनका कहना है कि दवायें गन्ना आयुक्त, लखनऊ के यहां से आती हैं का तात्पर्य यह नहीं है कि दवाओं के सप्लायर गन्ना आयुक्त, लखनऊ हैं बल्कि यह बतलाया था कि दवाओं के आपूर्ति आदेश गन्ना आयुक्त उ0 प्र0 के निर्देशानुसार फर्मों को उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0 लखनऊ द्वारा दिये जाते हैं और प्री-डिस्पैच सैंपलिंग के बाद फर्में सीधे समितियों को आई0 एस0 आई0 मार्क युक्त दवायें आपूर्ति करती हैं।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कनक सिंह–

यह मेरे पास 1-7-85 की कार्यवाही है, जवाब कुछ गलत दिया गया है . . .

(आवाज अस्पष्ट होने के कारण)

श्री अध्यक्ष–

आप माइक पर बोलें ।

श्री रामनाथ मुन्शी–

मान्यवर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री कनक सिंह–

मान्यवर, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जिलाधिकारी गन्ना का स्पष्ट रूप से कहना है कि दवाई प्रभावहीन थी, मेरे पास भी इसका सबूत है । मैं चाहूंगा कि जो दवा इस्तेमाल की गयी और जिसे

गन्ना अधिकारी ने प्रभावहीन बतलाया है तो क्या उसके विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामनाथ मुन्शी–

मान्यवर, दवा जो लगाई गयी उसमें 94 नं0 की दवा में कुछ कमियां थी । जांच के बाद उस दवा का उत्पादन नहीं किया गया था । अदालत में उस कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो दवा के लिये मंत्री जी ने अपने मूल उत्तर में बतलाया है कि वह काला चिकटा कीट के नियंत्रण के लिये भेजी गयी थी, परन्तु क्या यह सही नहीं है कि उस दवा का इस्तेमाल पायरिला कीट के लिये किया गया जिसके कारण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तमाम गन्ना समाप्त हो गया। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस अधिकारी ने इसको दिया था और किस अधिकारी के द्वारा यह क्रय की गयी थी और किसने इसका भुगतान किया ?

श्री रामनाथ मुन्शी–

मान्यवर, जो दवा शुरू में आयी वह बी0 एच0सी0 डस्ट थी और उसके साथ पायरिला के लिए और काला चिकटा रोग के लिये भी दवा आयी । काला चिकटा की दवा ने पायरिला पर कम प्रभाव किया । डाईमेक्रोन पायरिला के रोकथाम के लिये छिड़की गयी थी ।

श्री कनक सिंह–

जो जिला के गन्नाधिकारी का बयान है वह मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूं । श्री अध्यक्ष–

जरा घड़ी की तरफ भी देखिये, तब कहिये ।

श्री कनक सिंह–

गन्ना के कीट नाशक के लिए जो दवा आयी थी वह कम असरदार थी । उसके बाद जो दवा सप्लाई की गयी उसका कुछ असर हुआ । काला चिकटा की कोई दवा नहीं आयी थी यह उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न रह गया है, उस पर चर्चा करा दें ।

ओ0 सी0 आर0, (पुराना विधायक निवास) के ऊपरी मंजिलों के कक्षों से पानी की निकासी की व्यवस्था

*3–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओ0 सी0 आर0 (पुराना विधायक निवास) के भवन निर्माण का नक्शा किस विशेषज्ञ के द्वारा बनवाया गया ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 15 मंजिला भवन में निवास करने वाले लोगों के कक्ष के पानी निकास की कोई तकनीकी व्यवस्था न होने के कारण नीचे के कमरे में निवास करने वालों के लान एवं पोर्टिको में ऊपरी मंजिल से गन्दा पानी निरन्तर गिरा करता है जिससे नीचे के कमरे में निवास करने वालों का रहना कठिन हो गया है ? यदि हां, तो निर्माण मंत्री क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि ऊपरी मंजिल के गन्दे पानी से नीचे के आवास में

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

रहने वालों के लान एवं फूल-पौधों की सुरक्षा हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

ओ0 सी0 आर0 पुराना विधायक निवास के भवन निर्माण का नक्शा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के वास्तुविद अनुभाग द्वारा बनाया गया।भवन के कक्षों से पानी निकास की समुचित व्यवस्था है, अतः ऊपरी मंजिल से गन्दा पानी निरन्तर गिरने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भवन में ऊपरी मंजिल के कक्षों से पानी निकास की समुचित व्यवस्था है, अतः किसी अन्य व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

*4–श्री राम आसरे वर्मा–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

इलाहाबाद नगर एवं जिले की पेयजलापूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु प्रस्तावित योजना

...

*5–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर एवं ज़िले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने हेतु क्या-क्या योजनायें प्रस्तावित हैं और क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि कोई नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

इलाहाबाद में पेयजलापूर्ति में सुधार हेतु निम्न योजनायें प्रस्तावित हैं:–

(क) शहर

1–दारागंज पुनर्गठन

2–सिविल लाइन्स जोन

3–सुलेम सराय जोन

4–विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनायें ।

उपर्युक्त के विरुद्ध दो नलकूप कर दिये गये हैं तथा 6 नलकूपों का निर्माण प्रगति पर है ।

(ख) अन्य नागर क्षेत्र

भरवारी, भारत गंज, फूलपुर तथा मउमाइम में एक-एक नलकूप बनाने का प्रस्ताव है । भरवारी नलकूप का कार्य प्रगति पर है ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र

वर्ष 1972 की सूची में घोषित 1291 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 1045 ग्रामों को पाइप लाइन द्वारा एवं शेष 246 ग्रामों में एक या दो इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाकर लाभान्वित किया जा चुका है ।

वर्ष 1985 में जिलाधिकारी द्वारा घोषित 488 नये समस्याग्रस्त ग्रामों में से 164 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के खेड़ा-बखेड़ा गन्ना क्रय केन्द्र के कुछ कर्मचारियों तथा कुछ अज्ञात लोगों के बीच मारपीट

*6–श्री राम सरन –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 15-1-86 को कुछ अराजक तत्वों ने जनपद शाहजहांपुर के खेड़ा-बखेड़ा गन्ना क्रय केन्द्र पर दि किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर के कुछ कर्मचारियों की पिटाई की जिसकी नामजदगी रिपोर्ट भी 15-1-86 को कर्मचारियों ने थाना जैतीपुर में दर्ज करायी और आज तक कार्यवाही न होने पर मिल कर्मचारियों ने हड़ताल का आवाहन भी किया है ? यदि हां, तो अविलम्ब क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-1-86 को वादी श्री संतोष कुमार शर्मा, जीप चालक, चीनी मिल तिलहर ने महेन्द्र सिंह, प्रेमपाल सिंह, राजपाल सिंह, निवासीगण ग्राम हिम्मतपुर, तथा ऋषिपाल सिंह, निवासी ग्राम मगनपुर व अन्य दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध सरकारी कार्य के दौरान, मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर अपराध संख्या 8/86, धारा 147/332 भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया। नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 20-2-86 को न्यायालय भेजा गया। विवेचना के दौरान अन्य दो अज्ञात अभियुक्तों का कुछ पता नहीं चल सका। मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। चीनी मिल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बलरामपुर टावर्स के निर्माण योजना की नामंजूरी

*7–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि माह अप्रैल, 86 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बलरामपुर टावर्स के निर्माण के लिए दिये गये भवन मानचित्र की मंजूरी वापस लेकर दिया गया अनुज्ञा पत्र रद्द कर दिया है? यदि हां, तो वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण प्राधिकरण के अधिकारियों को यह निर्णय लेना पड़ा? क्या इन कारनामों में कुछ अधिकारीगण दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो उनके नाम व पद क्या हैं और उनके खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सही है कि अप्रैल, 1986 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बलरामपुर टावर्स के निर्माण की जो मंजूरी दे दी गई थी, उसे वापस ले ली गई है।

मंजूरी वापस लेने का कारण यह था कि जिस भूमि पर निर्माण प्रस्तावित था, वह नजूल की भूमि है और पट्टेदार पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करके निर्माण करा रहे थे तथा नक्शा पास कराने में उन्होंने अवैधानिकताएं, अनियमितताएं व गलत कथन का सहारा लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण को गुमराह करके गलत ढंग से नक्शा पास करा लिया था।

इस प्रकरण के लिए अधिकारियों का उत्तरदायित्व व दोष निर्धारण करने के लिए जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कौन से अधिकारी दोषी हैं।

नगर महापालिका, गोरखपुर में निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों की श्रेणी

*8–श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका, गोरखपुर में निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों की श्रेणी बनाकर उनका रजिस्ट्रेशन नगर महापालिका, गोरखपुर में किया गया था जबकि 16 अप्रैल, 86 को श्रेणी प्रशासक नगर महापालिका ने तोड़कर (समाप्त कर) निर्माण कार्यों का ठेका दिया और 3 मई, 86 के टेण्डरों में श्रेणी बहाल किया और ठेके दिए गए हैं? यदि हां, तो श्रेणी समाप्त करने और पुनः श्रेणी लागू करने का क्या औचित्य है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, केवल दिनांक 16-4-86 के टेण्डर में तत्कालीन प्रशासक ने निविदाओं में समुचित प्रतियोगिता हो, को ध्यान में रखते हुए श्रेणी को तोड़कर समाप्त कर दिया था। उपरोक्त टेण्डर सूची में चार ऐसे कार्य थे जो रु0 5 लाख से अधिक के थे तथा "ए" श्रेणी के रहे हैं। उक्त तिथि तक "ए" श्रेणी के मात्र 4 ठेकेदारों का चरित्र प्रमाण पत्र नगर महापालिका कार्यालय में उपलब्ध था जिन्हें शासनादेश के अनुसार टेण्डर फार्म जारी किया जा सकता था।

दिनांक 3-5-86 के टेण्डर के समय तत्कालीन प्रशासक ने श्रेणी को पुनः इसलिए बहाल कर दिया कि उक्त टेण्डर में मात्र एक ही कार्य "ए" श्रेणी कर रहा है और उस समय तक कई ठेकेदार टेण्डर देने के लिए योग्य हो गये थे एवं निविदा में प्रतियोगिता के लिए पर्याप्त थे।

जनपद पिथौरागढ़ में सिरकूंच पेयजल की योजना

*9–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जरमानी सिरकूंच पेयजल योजना, विकास खण्ड पूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़ शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो इस हेतु कुल कितना धन आवंटित कर काम कब पूरा किया गया था? इस पेयजल योजना से योजनानुसार ग्रामीणों को पेयजल न मिल पाने की सरकार ने कोई जांच करायी है ? यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम रहा? यदि नहीं, तो क्या सरकार तुरन्त तकनीकी अधिकारियों से जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जरमानी सिरकूंच पंयजल योजना नाम की कोई योजना नहीं है।

विधायक महोदय का तात्पर्य सिरकूंच पेयजल योजना से प्रतीत होता है जो स्वीकृत की गयी थी।

2·39 लाख रुपये व्यय कर कार्य वर्ष 1969–70 में पूर्ण किये गये थे।

जी हां।

उक्त जांच जल निगम द्वारा अप्रैल, 1986 में की गयी योजना में रखरखाव की कमी के कारण टूट-फूट क्षति पायी गयी। जिसकी मरम्मत कराये जाने हेतु जल संस्थान को निर्देश दे दिये गये हैं।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री रेवती रमण ग्रा0 सकतपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को दहेज के कारण जिन्दा जलाने की घटना

*10–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री रेवती रमण, निवासी ग्राम सकतपुर थाना परसपुर जिला गोण्डा को दिनांक 18/19-1-86 की रात में दहेज के कारण जिन्दा जलाए जाने संबंधी घटना प्रकाश में आयी है? क्या यह भी सही है कि गृह सचिव के हस्तक्षेप से दिनांक 28-1-86 को मुकदमा कायम हुआ है तथा अभी तक स्थानीय पुलिस ने नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की है? यदि हां, तो क्या पुलिस की इस संदिग्ध भूमिका की जांच करा कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कराने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

श्री सीताकान्त अवस्थी निवासी ग्राम इटौरा, थाना दरियाबाद, जनपद गोण्डा पर एक अभियोग दर्ज कराया गया है जिसमें यह आरोपित है कि उनकी पुत्री श्रीमती पुष्पा देवी को दहेज में कमी के कारण उसके ससुर, पति तथा परिवारजन द्वारा 18/19-1-86 को जलाकर मार डाला गया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश से दिनांक 28-1-86 को अभियोग पंजीकृत किया गया। वादी ने दहेज विषयक किसी पत्र का अपने पास होना बताया था, जिसको कई बार मांगने पर 16-5-86 को उन्होंने प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण के लिए हस्तलेख विशेषज्ञ को भेजा गया। इसी के बाद 12-6-86 को मामले में सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश होने के फलस्वरूप जांच सी0आई0 डी0 को हस्तान्तरित कर दी गयी, जो कि प्रचलित है। जांच आख्या की प्राप्ति पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्री केदार नाथ सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, बाँरिया, जनपद बलिया की मृत्यु की जांच

*11–श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केदार नाथ सिंह खण्ड विकास अधिकारी, बाँरिया, जिला बलिया की मृत्यु 26 फरवरी, 1976 को संदिग्धावस्था में हो गयी थी, जिसका बिसरा परीक्षण हेतु आगरा भेजा गया था एवं संबंधित मामले की सी0 आई0 डी0 जांच भी कराई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या रही? क्या दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री केदार नाथ सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, बाँरिया, जिला बलिया की मृत्यु 26 फरवरी, 1976 को हुई थी। मृतक का विसरा 14 जुलाई, 1976 को परीक्षण हेतु रासायनिक परीक्षक, आगरा को भेजा गया। मामले की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी क्षेत्र वाराणसी की संस्तुति पर अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा से कराई गई थी। सम्पूर्ण जांच से मृतक की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में न तो कारण अथवा उद्देश्य प्रकाश में आया और न नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध हुए। अतः विवेचना समाप्त करके इस अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

जांच में लापरवाही बरतने एवं अवहेलना के लिए श्री महेन्द्र नाथ मिश्र, तत्कालीन थानाध्यक्ष, बाँरिया, जनपद बलिया की चरित्रपंजिका में दुश्चरित्र की प्रविष्टि अंकित की गयी ।

लखनऊ स्थित महानगर आवास योजना में अवरुद्ध सड़क का निर्माण की योजना

*12–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा श्री राम सजीवन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित महानगर आवास योजना (1953) के अन्तर्गत जो 12 फीट चौड़ी सड़क स्व0 श्री सुदराती के प्लाट संख्या 270 (बन्दोबस्त) (1862) पर वर्ष 1979 में बनायी गयी थी, आगे अवरुद्ध हो गयी है? यदि हां, तो क्या महानगर योजना 1953 के मानचित्रानुसार उक्त प्लाट तक ही स्वीकृत थी? यदि नहीं, तो मानचित्रानुसार पूरी सड़क कितनी चौड़ी और कहां तक बननी थी

और वह किन कारणों से आगे नहीं बनायी गयी? यदि बनाई जायेगी तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत सड़क 100 फुट चौड़ी बननी थी तथा इसे फातिमा अस्पताल के निकट स्थित 100 फुट चौड़ी सड़क से मिलाया जाना था परन्तु भूमि अर्जन की कठिनाईयों के कारण सड़क आगे नहीं बनाई जा सकी तथा इसी कठिनाई की वजह से निकट भविष्य में इसे पूर्ण कराना सम्भव नहीं प्रतीत होता है।

गाजियाबाद में जिला जेल का निर्माण

*13–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजियाबाद का सृजन दिनांक 14 नवम्बर, 1976 को हुआ था और जिला जेल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ? इसका कारण क्या है? क्या तत्कालीन जेल मंत्री श्री रघुवीर सिंह यादव ने अपने बजट भाषण में प्रश्नकर्ता को आश्वासन दिया था कि जिला जेल शीघ्र बनवायी जायेगी? अभी तक जिला जेल का निर्माण प्रारम्भ न कराये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

कारागार के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि/स्थल उपलब्ध न हो सकने के कारण। जी हां।

उपयुक्त स्थल का उपलब्ध न हो पाना।

याहियागंज, जनपद लखनऊ में स्थित नाले को बन्द कराने की योजना

*14–श्री जगमोहन सिंह तथा श्री बाबूराम यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला गाजी मण्डी, वार्ड याहियागंज, जनपद लखनऊ में स्थित नाले को 40 फिट तक बन्द किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय माननीय नेता विरोधी दल का पत्र संख्या–206/ने0 वि0 द0/85, दिनांक 26-3-85 प्राप्त हुआ है तथा श्री पी0 एन0 सिन्हा, संयुक्त सचिव, नगर विकास का पत्र संख्या 2220ए/11-7-85-6 के (9)/85 दिनांक 15-5-85 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रशासक नगर महापालिका, लखनऊ को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत कार्य का व्ययानुमान महापालिका द्वारा बनवाया गया परन्तु धनाभाव के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।

नौबस्ता, जनपद कानपुर के कम्मो उर्फ हमीदा पुत्री मन्नू खां के गायब होने की रिपोर्ट

*15–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के थाना नौबस्ता अन्तर्गत 15 वर्षीय कम्मो उर्फ हमीदा पुत्री श्री मन्नू खां के अचानक दि0 10-4-85 को गायब हो जाने के फलस्वरूप नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी जिसमें कुछ व्यक्ति पकड़े गये थे ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या

यह सही है कि थाना सीपरी बाजार, झांसी में उक्त कम्मो को जिन्दा बरामद कर लिया गया और अब वह झांसी के नारी संरक्षण गृह में है ? यदि हां, तो गत 6-7 माह पूर्व कानपुर के मछरिया नाला नामक स्थान पर जिस गर्भवती युवती का शव मिला था उसे कम्मो का शव घोषित करके आठ अभियुक्तों को जेल भेजने का कारण क्या है ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 11-4-85 को श्री मुन्नू निवासी नौबस्ता, कानपुर नगर के थाना नौबस्ता पर इस आशय की सूचना दी कि उसकी पुत्री कम्मो दिनांक 10-4-85 को घर से सामान खरीदने गई थी फिर वापस नहीं आयी। उसे शक है कि उसका पड़ोसी शिव प्रसाद प्रजापति भगा ले गया है । इस सूचना पर अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ।

दिनांक 12-4-85 को एक अज्ञात स्त्री का शव मछरिया कालोनी के निकट गन्दे नाले में प्राप्त होने पर पंचायतनामा तैयार किया गया तो वादी, उसकी पत्नी आदि द्वारा उसे पुत्री कम्मो की लाश शिनाख्त किया गया। शव का पोस्ट-मार्टम कराया गया और मृतक के बदन पर मृत्यु के पूर्व आई चोटों के कारण मृत्यु होना पाकर मुकदमा धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया ।

विवेचना से इस घटना में 8 व्यक्तियों का हाथ होना पाया गया था अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सभी आठों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

दिनांक 27-10-85 को क0 कम्मो झांसी में गफ्फार खां निवासी मो0 जूही कानपुर के कब्जे से थाना सीपरी बाजार, झांसी की पुलिस द्वारा बरामद की गई। और अब वह अपने पिता के संरक्षण में है ।

इस प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी जा चुकी है। जांच के उपरान्त जो भी पुलिसजन दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

सा0 नि0 विभाग के इकाई (मार्ग-2) के नवसृजित कार्यालय हेतु फर्नीचर खरीद में अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

*16–श्री भगौती सिंह–

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग नं0 2) के खिलाफ नव सृजित कार्यालय हेतु फर्नीचर खरीदने में अनियमितताएं बरतने, कुम्हरावा कुर्सी रोड पर 33,592.50 का फर्जी बाण्ड बनाने, बी0 के0 टी0 बाबागंज मार्ग पर पटाई के नाम पर लाखों रुपये के हेरफेर करने, 21 जून, 85 के अनुबन्ध द्वारा यूनाईटेड एजेन्सी को 38970 रु0 का भुगतान बिना काम करने, फर्जी मस्टर रोल पर लाखों रुपये का हेर-फेर करने, खाली बोरी और बलुवी मिट्टी के फर्जी वर्क आर्डर पर करीब 50,000 रुपये हजम करने, चारबाग से मलिहाबाद तक डामर को ढुलाई में ज्यादा किराया दिखाने और बेसहरी घाट के पीपे के पुल को तोड़ने के लिये 10,000 के रस्सा खरीदने की

तमाम शिकायतों से सम्बन्धित शिकायती पत्र दिनांक 3 दिसम्बर, 85 और 11 दिसम्बर, 85 को उन्हें मिले हैं ? यदि हां, तो उनकी जांच किसके द्वारा करायी गयी और उसके परिणाम क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय विधायक के दो पत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 1985 प्राप्त हुए।

मामले की जांच अधीक्षण अभियन्ता 4था वृत्त द्वारा की जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के रिक्त पद पर कार्यरत विभागीय अभ्यर्थियों से चयन

*17–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभागीय कोटे के प्रवर वर्ग सहायक (वेतनक्रम 570–1100) की स्थायी रिक्तियों को प्रोन्नति के माध्यम से भरने हेतु प्रदेशीय लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसे विभागीय अभ्यर्थियों का भी चयन कराया जा रहा है जो रु0 570–1100 के उक्त वेतनक्रम में संदर्भ लिपिक या समकक्ष पदों पर पहले से ही स्थायी हैं तथा सेवा निवृत्त हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन सेवा निवृत्त को मृत कर्मचारियों को किस प्रकार और क्या वित्तीय या पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा ? क्या नियमों/शासनादेशों को शिथिल करते हुए प्रवर वर्ग सहा0 की प्रश्नगत स्थायी रिक्तियों को प्रोन्नति के माध्यम से भरने हेतु केवल कार्यरत विभागीय अभ्यर्थियों को ही पात्रता के आधार पर चयनित कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पात्रता क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सेवा निवृत्त/मृत कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए चयन कराया जा चुका है। प्रश्नगत सेवा निवृत्त/मृत कर्मचारियों में से कई को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ मिलेगा। चयन को केवल कार्यरत विभागिय अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता था क्योंकि यह शासन की सामान्य नीति के विपरीत होता है।

कलकत्ता से चोरी गई कारों को जौनपुर में बरामदी के सम्बन्ध में जांच

*18–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी व फरवरी, 86 में कलकत्ता पुलिस व सी0 बी0 आई0 द्वारा कलकत्ता से चोरी की गयी अम्बेसडर कारों को जौनपुर में बेचे जाने के सम्बन्ध में जांच की गयी तथा गाड़िया बरामद हुई? इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 26-1-86 को मोटर थेफ्ट स्क्वाड, क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स सेक्सन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट कलकत्ता द्वारा थाना कोतवाली जौनपुर की पुलिस के सहयोग से कलकत्ता से चुराई गयी 4 कारें बरामद की गयीं । इस बरामदगी से संबंधित अभियोगों की विवेचना पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा की जा रही है, अतः मामले का पूर्ण विवरण उ0 प्र0 शासन द्वारा दिया जाना संभव नहीं है।'

आगरा में बाई पास मार्ग तथा ग्राम समौगर में यमुना नदी पर पुल बनवाने की योजना

*19–श्री विजय सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि

आगरा नगर में बाई पास तथा ग्राम समौगर पर यमुना नदी पर पुल बनाये जाने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता के द्वारा आपका दिनांक 16 अप्रैल, 1986 के भेजे गये पत्र के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है? क्या समौगर पर पुल बनाया जाना स्वीकार किया गया है अथवा नहीं? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक होगा और यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विचारोपरान्त पाया गया कि प्रस्तावित बाईपास तथा इस पर ग्राम समौगर के पास यमुना नदी के ऊपर पक्के पुल का निर्माण तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। पान्टून पुल का प्रस्ताव जिला सेक्टर के अन्तर्गत आता है। इसका निर्माण जिला समिति के अनुमोदन तथा जिला योजना में उपलब्ध धनराशि पर निर्भर है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के मुख्य मार्गों को चौड़ा किये जाने की योजना

*20–इन्जीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के मुख्य मार्गों को चौड़ा किए जाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 85-86 में कोई धन आवंटित नहीं किया गया है? यदि हां, तो जनपद बरेली, जनपद मुरादाबाद, जनपद एटा, जनपद बुलन्दशहर, जनपद अलीगढ़ एवं जनपद फर्रुखाबाद के मुख्य मार्गों को चौड़ा करने के लिए कितना-कितना धन आवंटित किया गया जबकि यह समस्त मार्ग जनपद बदायूं से ही गुजरते हैं? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण विधान सभा के पटल पर रखने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, नहीं। जनपद बदायूं के मुख्य मार्ग "मुरादाबाद-फर्रुखाबाद" राज्य मार्ग संख्या X43 के शहरी क्षेत्र के कि0मी0 103 को चौड़ा किये जाने एवं कि0 मी0 104 के सुदृधीकरण हेतु प्रश्नगत वित्तीय वर्ष 1985-86 में 7.70 लाख रुपये का अनुदान विशेष मरम्मत की मद से आवंटित किया गया था।

विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये परथी 'क' आगे पृष्ठ 156-57 पर)

अतारांकित प्रश्न

श्री रहमत अली खां, अधीक्षण अभियंता जल निगम के चरित्र पंजिका में गबन के आरोप में प्रतिकूल प्रविष्ट

1–श्री उमेश्वर प्रताप सिंह तथा श्री बलबीर सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री रहमत अली खां अधीक्षण अभियंता (निर्माण खण्ड) जल निगम फैजाबाद जब अधिशासी अभियंता के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रति नियुक्ति पर थे तो उनके विरुद्ध लगभग बीस लाख रुपए का गबन का मामला विजिलेंस जांच में सही पाया गया था जिसके फलस्वरूप उनके चरित्र पंजिका में इस आशय की प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई थी कि भविष्य में उनको कोई पदोन्नति नहीं दी जायगी, उनको किसी निर्माण खण्ड में नियुक्त न किया जाय न ही उनकी नियुक्ति किसी चयन समिति में की जायगी? यदि हां, तो उनको अधीक्षण अभियंता के पद पर निर्माण मण्डल में नियुक्ति करने के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही तथा श्री खान की निजी सम्पत्ति की जांच कराने पर विचार करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार के कतिपय मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा

2–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में उत्तर प्रदेश सरकार के किन-किन मंत्रियों व अधिकारियों ने किस उद्देश्य से विदेश यात्रा की थी? इस हेतु प्रत्येक मंत्री अधिकारियों को क्रमश: किस दर से कितने रुपयों का यात्रा भत्ता व अन्य संबंधित भत्ते भुगतान किए गए? इन वर्षों में क्रमश: कुल कितनी धनराशि खर्च की गई? सरकार ने इन खर्चों में नियंत्रण हेतु क्या-क्या कदम उठाए है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला जामिनी (जुम्मा) गांव की पेयजल योजना को कुलागढ़ बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर पुनः मरम्मत करवाने की योजना

3–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के जामिनी (जुम्मा) गांव की पेयजल योजना दिनांक 22-7-85 को कूलागढ़ बाढ़ से कितनी क्षतिग्रस्त हुयी ? इस सूखे गांव में पेयजल आपूर्ति को ध्यान में रखते हुये सरकार ने उपरोक्त टूट-फूट की मरम्मत के लिये क्रमश: क्या-क्या कदम उठाये है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला जामिनी (जुम्मा) गांव की पेयजल योजना दिनांक 22-7-85 को कुलागाढ़ बाढ़ से पर्याप्त क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसके कारण पानी की व्यवस्था बन्द हो गयी थी । जल संस्थान द्वारा जांच करा-कर योजना की मरम्मत के प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं और शीघ्रातिशीघ्र ही आवश्यक मरम्मत करवाकर योजना को पुन: चालू करवा दिया जायेगा ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत रई-मड-रोडीपाली मोटर मार्ग के निर्माण की योजना

4–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत 1983 में रई से मढ तक 3 किमी0 मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ न करने के क्या कारण है ? कब तक यह कार्य पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत रई-मड-रोड़ीपाली मोटर मार्ग के 3 कि0 मी0 के निर्माण हेतु जुलाई, 1981 में स्वीकृति दी गयी थी । इस मार्ग में पड़ने वाली सिविल बेनाप भूमि तथा वन पंचायती भूमि के सा0 नि0 विभाग को हस्तान्तरण न होने के कारण अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । उक्त भूमि के सा0 नि0 विभाग को हस्तान्तरित हो जाने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत दरकोट थापा मोटर मार्ग के निर्माण से क्षतिग्रस्त किसानों को क्षति-पूर्ति का भुगतान

5—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत दरकोट थापा मोटर मार्ग कब कितनी धनराशि से पूर्ण किया गया था ? इस मोटर मार्ग से क्षति-ग्रस्त कितने किसानों को किस-किस दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया ? इसी मार्ग में श्रीमती कलावती देवी पागंती पत्नी श्री गोकर्ण सिंह (उत्तराधिकारी स्व0 श्री नैन सिंह धपवाल) ग्राम धापा (दम रतला) की 15.20 नाली क्षति-ग्रस्त भूमि का मुआवजा अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ? कब तक इसका भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रु0 22.36 लाख की लागत पर स्वीकृत प्रश्नगत मार्ग अभी निर्माणाधीन है । इस मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त किसानों को कोई मुआवजा अभी नहीं दिया गया है । मुआवजे के विवरण तैयार करके स्वीकृत करने की कार्य-वाही की जा रही है । श्रीमती कला-वती देवी पांगती पत्नी श्री गोकर्ण सिंह (उत्तराधिकारी श्री नैन सिंह धपवाल ग्राम धापा दुमरतला) के नाम पर कोई क्षतिग्रस्त भूमि का मुआवजा प्रस्तावित नहीं है क्यों कि खसरा खतौनी के अनु-सार मार्ग निर्माण के दौरान उक्त नामित कब्जेदार की न तो मलवे से कोई भूमि क्षतिग्रस्त हुई और न कोई फसल वृक्ष इत्यादि क्षतिग्रस्त हुयें है ।

पिथौरागढ़ के गव्यांग क्षेत्र के भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को भूमि का आवंटन

6—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला में ग्राम गव्यांग के धसने के कारण वहां के निवासियों को जनपद नैनीताल के सितारगंज क्षेत्र में विस्था-पित किया गया है ? यदि हां, तो इन लोगों के कितने परिवारों को किस मानक के आधार पर क्रमशः कितनी-कितनी भूमि दी गई है ? विस्था-पित स्थल के संदर्भ में ग्राम प्रधान श्रीमती गंगोत्री गव्यांग का दिनांक 10-2-86 का पत्र व प्रश्नकर्ता का पत्रांक 646/86 दिनांक 21-2-86 शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पिथौरागढ़ के गव्यांग क्षेत्र के भूस्ख-लन से प्रभावित 244 परिवारों को तहसील सितारगंज, जनपद नैनीताल में स्थापित किया गया है । शासन के स्थायी आदेशों के अनुसार प्रत्येक परि-वार को एक-एक एकड़ भूमि कृषि हेतु उपलब्ध कराई गयी है । इसके अतिरिक्त उन्हें आवासीय भूमि भी दी गयी है ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र शासन के पर्वतीय विकास विभाग में प्राप्त हुए प्रतीत नहीं होते ।

तत्कालीन सूचना राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) का सूचना निदेशक के नाम पत्र

7–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सूचना राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) के पत्रांक 360/वी0 आई0 पी0 दिनांक 26 जुलाई, 1985 द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्रांक 249/85 दिनांक 22-7-85 पर उल्लिखित उत्तराखण्ड के पत्र पत्रिकाओं के संबंध में अब दिनांक 20-2-86 तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा कौल)–

तत्कालीन सूचना राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) का प्रसंगगत पत्र सूचना निदेशक के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। कार्यालय में पत्र उपलब्ध न होने के कारण कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्र को पुनः उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है जिससे कि अग्रिम कार्यवाई की जा सके।

जल निगम तथा जल संस्थान को एकीकृत करने का आदेश

8–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम और जल संस्थान के कामों में अनेक प्रकार की असंगतताओं/दोहरेपन को ध्यान में रखते हुए क्या शासन इन दोनों विभागों को एकीकृत करने के आदेश अतिशीघ्र निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जल निगम तथा जल संस्थानों के कार्यों में भिन्नता होने के कारण।

जल निगम का कार्य पेयजलापूर्ति तथा जलोत्सारण योजनाओं का विरचन तथा उनका निर्माण करना है जब कि जल संस्थान का दायित्व उनका रख-रखाव करना है।

जनपद पिथौरागढ़ में केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मोटर मार्ग के निर्माण

9–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कौन-कौन से मोटर मार्गों का निर्माण अब भी केन्द्र सरकार के द्वारा अनुमति पत्र प्राप्त न होने के कारण नहीं हो पाया है ? मोटर मार्गों के लिये क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि राज्य सरकार ने आवंटित की थी ? इसका उपयोग मोटर मार्ग न बनने के कारण अन्य किन मदों में किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में कथित अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संलग्न सूची में अंकित 34 मोटर मार्गों का निर्माण केन्द्र सरकार से वन भूमि हस्तान्तरण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण नहीं हो पाया है। उन मार्गों की स्वीकृत लम्बाई, स्वीकृत लागत मुख्य अभियन्ता द्वारा आवंटित की गई धनराशि तथा 31-3-86 तक उन पर किये गये व्यय का विवरण संलग्न सूची में दे दिया

गया है । इन मार्गों के लिए आवंटित की गई धनराशि का उपयोग इन्हीं मार्गों पर किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'स' आगे पृष्ठ 158-159 पर ।)

नैनीताल जनपद में रज्जु मार्ग की आयु

10—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल मुख्यालय में निर्मित रज्जु मार्ग की आयु कितने वर्ष निर्धारित की गयी है ? क्या यह सत्य है कि रज्जु मार्ग का निर्माण उस स्थल पर हुआ है जो अंग्रेजी प्रशासन के समय पूर्णतया असुरक्षित व निर्माण हेतु निषिद्ध घोषित किया गया था ? क्या इसी स्थान पर 14 सितम्बर, 1980 को इसी चोटी में हुए बड़े भूस्खलन से विक्टोरिया नामक होटल दब जाने से 151 लोगों की जाने गयी थी ? क्या 14 अक्तूबर, 1985 की भीषण वर्षा से रज्जु मार्ग टावर नं0 एक से लगभग एक सौ मीटर ऊपर तक दरार आने की सूचना स्थानीय लोगों ने 128 हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन के द्वारा 18 अक्तूबर, 1985 को सरकार को भेजी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त भूस्खलन के परिपेक्ष्य में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नैनीताल मुख्यालय में निर्मित रज्जु मार्ग हेतु कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है और न ही ऐसी कोई प्रक्रिया राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित की गई है । रज्जु मार्ग का निर्माण पूर्णतया सुरक्षित स्थल पर किया गया है । अंग्रेजी प्रशासन के समय इस स्थल का कुछ भाग सुरक्षित घोषित किया गया था । 14 सितम्बर, 1980 को इस स्थान पर ऐसा भूस्खलन नहीं हुआ जिसमें कोई विक्टोरिया होटल दबा हो एवं 151 जानें गई हों । दिनांक 14 अक्तूबर, 1985 की भीषण वर्षा से रज्जू मार्ग के टावर नम्बर एक तथा एलाइनमेन्ट के आस-पास कोई दरारें नहीं आयी थीं । इस सम्बन्ध में ज्ञापन सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल जनपद में लैन्सडाउन वन प्रभाग में बांस कटान हेतु वन निगम द्वारा पी0 डी0 के दर का निर्धारण तथा वर्षवार पी0 डी0 के वसूली का मानक.

11—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल वृत्त के अन्तर्गत लैन्स डाउन वन प्रभाग में बांस कटान का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया ? इस कार्य में वन ठेकेदारी प्रथा समाप्त होने से पूर्व वन ठेकेदारों से बांस कटान हेतु पी0 डी0 (पेनाल्टी डिपाजिट) किस दर से ली जाती थी ? वन कटान ठेकेदारी प्रथा समाप्त होने पर उपरोक्त कटान कार्य वन निगम द्वारा अपने हाथों से उपरोक्त कार्य कराने पर किस दर से पी0 डी0 ली जाती है ? उपरोक्त दोनों अन्तराल में पी0 डी0 निर्धारण के क्या-क्या मानक निर्धारित किये गये थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लैन्स डाउन वन प्रभाग में बांस कटान 1888 से प्रारम्भ हुआ । वर्ष 1976-77 तक यह कार्य ठेकेदारों द्वारा तथा 77-78 से वन निगम द्वारा आरम्भ किया गया । 1967-68 से 1980-

1980–81 तक बांस लाटों में पी0 डी0 (पेटी डिमान्ड) की विभागीय दरें निम्न प्रकार रहीं––

		रु0	
(1)	नाजायज काटे बांस की कीमत	1.00	प्रति बांस
(2)	मुआवंजा नाजायज कटान का	5.00	,,
(3)	वेड़ी में निर्धारित संख्या से कम बांस छोड़ने पर	1.00	,,
(4)	बांस के गलत कटान पर ऊंचा/नीचा	0.50	..
(5)	नए कल्ले कटान पर	1.00	,,
(6)	जड़ खोदने पर	1.00	,,

अतः बांस कटान में अनियमितता के लिए वर्ष 1976–77 तक ठेकेदारों पर तथा 1977–78 से 1980–81 तक वन निगम पर उपरोक्त दरें लागू रहीं।

1981–82 से 1982-83 तक बांस कटान में अनियमितता के लिए निम्न दरें लागू थीं––

		रु0	
(1)	बांस निर्धारित संख्या से कम छोड़ना	2–50	प्रति बांस
(2)	कल्ला बांस कटान पर	2.50	,,
(3)	ऊंचा खूंट छोड़ना	0.50	,,
(4)	नीचा खूंट बनाना	0.50	,,
(5)	फटा खूंट छोड़ना	0.50	,,
(6)	जड़ खोद	2.50	,,
(7)	बीजू बांस काटना	2.50	,,

वर्ष 1983–84 के आरम्भ से 28–12–84 तक बांस कटान में अनियमितता पर निम्न दरें लगाई गयीं––

		रु0	
(1)	निर्धारित संख्या से कम बांस छोड़ना	5.00	प्रति बांस
(2)	कल्ला बांस काटना	5.00	,,
(3)	बांस ऊंचा/नीचा काटना	2.00	,,
(4)	ठूंठ फटना	2.00	,,

29 दिसम्बर, 1984 के बाद बांस कटान में अनियमितता के लिए निम्न दरें निर्धारित की गयी हैं––

		रु0	
(1)	वेड़ी में निर्धारित संख्या से कम बांस छोड़ना	10.00	प्रति बांस
(2)	बांस का कल्ला काटना	15.00	,,
(3)	उचित ऊंचाई से नीचे कटान	10.00	,,
(4)	ऊंचा/फटा खूंट	5.00	,,
(5)	जड़ खोद	25.00	,,
(6)	नंगी बेड़ी करना	100.00	प्रति बेड़ी
(7)	दुबारा बेड़ी कटान	25.00	प्रति बेड़ी

12—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल वृत्त के अधीन लैन्सडाउन वन प्रभाग के अंतर्गत बांस कटान में ठेकेदारी प्रथा बन्द होने, उपरोक्त कटान वन निगम द्वारा कराये जाने पर भी प्रधान श्रमिकों से पी0 डी0 (पेनाल्टी डिपाजिट) ली जाती है ? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में उपरोक्त वन प्रभाग में ब्लाकवार कुल कितनी धनराशि पी0 डी0 रूप में वर्षवार प्रधान श्रमिकों से वसूल की गयी? इस हेतु क्या-क्या मानक निर्धारित किये गये थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

वन विभाग द्वारा प्रधान श्रमिकों पर कोई पी0 डी0 नहीं लगायी जाती है । वन विभाग द्वारा बांस कटान का काम नियमानुसार सही न होने पर वन निगम पर पी0 डी0 लगायी जाती है । वन निगम यह पी0 डी0 प्रधान श्रमिक जिसने गलत कार्य किये होते हैं, वसूल कर लेता है । वन निगम से प्राप्त सूचना अनुसार विगत 5 वर्षों में वन विभाग द्वारा लैन्सडाउन वन प्रभाग में वन निगम को अनियमित बांस कटान पर लगायी गयी पी0 डी0 (पेटी डिमान्ड) निम्न प्रकार है :—

वर्ष	ब्लाक का नाम	पी0डी0 की धनराशि
1	2	3
		रु0
1980-81	उत्तर कोटडी (भाग) नौड़ी दवीना (भाग)	36,872.48 पै0
1981-82	उत्तर कोटडी (भाग), दबीना	23,103.10 ,,
1982-83	लूनी, खासन (प्रथम, द्वितीय), सिगड्डी	7,801.13 ,,
1983-84	गिवई ग्वालगढ़, रूपदेवगढ़, सत्तीखाल, सिगड्डी, टोटगधैरा, सोहमालन, खरगड्डी ।	31,311.69 ,,
1984-85	उत्तर कोटडी (भाग), नौड़ी, दवीना (भाग)	रु0 7,69,361.00 पै0 वन निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1984-85 की धनराशि अभी तक प्रधान श्रमिकों से प्राप्त कर वन विभाग को भुगतान नहीं की गई है, और वे दरों को कम कराने के लिए वन विभाग से पत्राचार कर रहे हैं। बांस कटान में अनियमितता के लिए अर्थदण्ड वसूली के मानक वन विभाग द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित रहे हैं:—

1—1980-81 :—

(1) नाजायज काटे बांस की कीमत	..	1.00 रु0 प्रति बांस
(2) मुआवजा नाजायज कटान का	..	5.00 ,, ,,
(3) बेड़ी में निर्धारित संख्या में कम बांस छोड़ने पर	..	1.00 ,, ,,
(4) बांस के गलत कटान पर (ऊंचा/नीचा)	..	0.50 ,, ,,
(5) नए कल्ले कटान पर	..	1.00 ,, ,,
(6) जड़ खोदने पर	..	1.00 ,, ,,

1981-82 से 1982-83 तक बांस कटान में अनियमितता के लिए निम्न दरें लागू थीं :—

(1) बांस निर्धारित संख्या से कम छोड़ना	.	2.50 रु0 प्रति बांस
(2) कल्ला बांस कटान पर	..	2.50 ,,
(3) ऊंचा खूंट छोड़ना	..	0.50 ,,
(4) नीचा खूंट बनाना	..	0.50 ,,
(5) फटा खूंट छोड़ना	..	0.50 ,,
(6) जड़ खोद	..	2.50 ,,
(7) बीजू बांस काटना	..	2.50 ,,

वर्ष 1983-84 के आरम्भ से 28-12-84 तक बांस कटान में अनियमितता पर निम्न दरें लगाई गयीं :—

(1) निर्धारित संख्या से कम बांस छोड़ना	..	5.00 रु0 प्रति बांस
(2) कल्ला बांस काटना	..	5.00 ,,
(3) बांस ऊंचा/नीचा काटना	..	2.00 ,,
(4) ठूंठ फटना	..	2.00 ,,

29 दिसम्बर, 1984 के बाद बांस कटान में अनियमितता के लिए निम्न दरें निर्धारित की गयी हैं :—

(1) बेड़ी में निर्धारित संख्या से कम बांस छोड़ना	..	10.00 रु0 प्रति बांस
(2) बांस का कल्ला काटना	..	15.00 ,,
(3) उचित ऊंचाई से नीचे कटान	..	10.00 ,,
(4) ऊंचा/फटा खूंट	..	5.00 ,,
(5) जड़ खोद	..	25.00 ,,
(6) नंगी बेड़ी करना	..	100.00 प्रति रु0 बेड़ी
(7) दुबारा बेड़ी कटान	..	25.00 ,, बेड़ी

गढ़वाल वृत के अन्तर्गत लैन्सडाउन वन प्रभाग में ब्लाक स्तर पर बांस छपान की प्रथा

13–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल वृत के अन्तर्गत लैन्सडाउन वन प्रभाग के अन्तर्गत ब्लाकों में बांस कटाने हेतु अन्य प्रकाष्ट की तरह क्या बांस छपान प्रथा चालू है ? यदि नहीं, तो मात्र इच्छित बांस के ही कटवाने के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या निर्देश/आदेश दिये जाते हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गढ़वाल वृत्त के अंतर्गत लैन्सडाउन वन प्रभाग में बांस कटान के लिए प्रकाष्ठ की तरह छपान करने की प्रथा नहीं है । मात्र इच्छित बांस के ही कटवाने के लिए विस्तृत गियरा बनाये गये हैं जिनका संक्षेप में विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 160 पर ।)

उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के पिथौरागढ़ जनपद स्तरीय सम्मेलन की मांगों से संबंधित पत्र

14–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री जी को उनके संयुक्त सचिव के प्राप्त पत्र संख्या एम-1/कु0/52-1/सी एम-2/85 दिनांक 20 अगस्त, 1985 द्वारा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के पिथौरागढ़ जनपद स्तरीय सम्मेलन के 16 सूत्रीय मांगों के क्रियान्वयन संबंधी दिनांक 15 जुलाई, 1985 का मेरा पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त मांगों पर क्रमश: क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । सोलह सूत्रीय मांगों से संबंधित माननीय सदस्य का प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ था । उस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गये हैं।

15–श्री काशी सिंह ऐरी–

[2रे सोमवार के अता0प्र0सं0 191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

16–श्री काशी सिंह ऐरी–

[2रे शुक्रवार में अता0प्र0सं0 191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ में कतिपय मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव तथा सर्वेक्षण

17–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में कनालीछीनाबगड़ी-हाट तथा बगड़ीहाट-झूला-घाट व तवाघाट से काली नदी के किनारे-किनारे व्यास कालापानी कुटी के बीच सीधी मोटर मार्ग बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे पूर्व निर्मित मोटर मार्ग की दूरी न्यूनतम होने के साथ-साथ व्यापक जनता को यातायात सुविधा प्राप्त होगी? यदि हां, तो इन मोटर मार्गों के निर्माण हेतु सरकार आवश्यक सर्वेक्षण कब करायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में कनालीछीना से ओगला होते हुए भागीचौरा तक मार्ग पहले से ही बना हुआ है । भागीचौरा से बगड़ीहाट मोटर मार्ग का प्रथम 5.0 कि0मी0 भाग स्वीकृत है जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है । झूलाघाट-बगड़ीहाट मार्ग के प्रथम 3.0 कि0मी0 भाग की स्वीकृति दी जा चुकी है । तवाघाट से कालीनदी के किनारे-किनारे जिप्ती तक मार्ग स्वीकृत है। अन्य मार्गों के बारे में सीमित संसाधनों के दृष्टिगत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद पिथौरागढ़ विकास खण्ड मुनाकोट ग्राम खती गांव में लंगातार भूस्खलन से क्षतिग्रस्त भूमि

18–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मुनाकोट के अन्तर्गत ग्राम सभा टोटामौला के अन्तर्गत ग्राम खती गांव के चारों ओर लगातार भूस्खलन से भारी क्षति हो रही है ? इस भूस्खलन से कितनी क्षेत्रफल भूमि क्षतिग्रस्त हो चुकी है? कितनी क्षेत्रफल भूमि भूस्खलन के सम्भावित खतरे की परिधि के अन्तर्गत आ चुकी है ? इस हेतु तुरन्त रोकथाम के लिए सरकार ने दि0 30-12-85 तक व उसके बाद क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मुनाकोट के अन्तर्गत ग्राम सभा टोटामौला के अंतर्गत ग्राम खातीगांव में भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन से 289 नाली 12 मुट्ठी (14·60 एकड़) भूमि क्षतिग्रस्त हुई है। इसके समीपस्थ 54 नाली 11 मुट्ठी (2·84 एकड़) भूमि में भूस्खलन होने की सम्भावना है।

भूस्खलन की सूचना माह नवम्बर, 1985 में प्राप्त हुई थी। भूमि संरक्षण अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा सर्वेक्षण करने पर भूमि संरक्षण के लिये आगणन तैयार कर योजना बनाई गई। योजना के निर्माण में 7.5 लाख रु0 का अनुमानित व्यय होने की सम्भावना है, प्राथमिकता के आधार पर गधेरा नियंत्रण भूस्खलन क्षेत्र में पौधा रोपण घास रोपण एवं क्षेत्र को समुचित ढाल प्रदान कर श्रंखला के निर्माण का प्राविधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान एवं स्थानीय जनता से विचार विमर्श के उपरान्त क्षेत्र को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्षेत्र के चारों ओर कांटेदार तार का घेरवाड़ कर बन्द रखने का भी प्राविधान रखा गया है। आगणन तैयार कर लिए गए हैं और इस योजना को आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अंतर्गत किए जाने का प्रस्ताव है।

19–श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, विकास खण्ड डीडीहाट व बेरीनाग में कोषागार की स्थापना का प्रस्ताव

20–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में (बेरीनाग व डीडीहाट विकास खण्ड के अंतर्गत) थल नामक स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक केन्द्र है और पूरे जनपद में थल क्षेत्र के आसपास की आबादी अन्य क्षेत्रों से अधिक सघन है? क्या यह भी सत्य है कि 1960 से पूर्व तक यहां वैशाखी को लगने वाले बहुत बड़े (थल) मेले में कोषागार पिथौरागढ़ का शिविर कार्यालय खुलता था, जिसमें इस पूरे क्षेत्र के पेंशन भोगी अपनी पेंशन प्राप्त करते थे? यदि हां, तो इस क्षेत्र में बहुत लम्बे समय से चली आ रही कोषागार की स्थापना कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट विकास खण्ड के अन्तर्गत थल नामक स्थान पर वैशाखी को मेला लगता है। सन् 1960 से पूर्व वर्तमान जनपद पिथौरागढ़ अल्मोड़ा की चार तहसीलों में एक तहसील थी। उस समय वैशाखी को लगने वाले थल मेले में अल्मोड़ा कोषागार के

अधीनस्थ पिथौरागढ़ स्थित उपकोषागार से शिविर कार्यालय लगाया जाता था जिससे उसके आस पास के केवल सैनिक पेंशनरों को पेंशन वितरित करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। उस समय से अब स्थिति में परिवर्तन हो चुका है और पिथौरागढ़ कोषागार के अधीनस्थ निम्न-लिखित आठ उपकोषागार इस प्रमुख उद्देश्य से खोलने के आदेश हो चुके हैं ताकि जिले के दूर दराज की जगहों के पेंशनरों को पेंशन लेने की सुविधा निकटतम उपकोषागार से उपलब्ध कराई जा सके:-

1–धारचुला 2–मुन्स्यारी 3–डीडीहाट 4–चम्पावत 5– बेरीनाग 6–गंगोलीहाट 7–लोहाघाट 8–गनाई ।

थल स्थान डीडीहाट उपकोषागार से मात्र 20 कि0मी0 तथा बेरीनाग उपकोषागार से मात्र 29 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। यहां नगरपालिका, टाउन एरिया आदि भी नहीं है। निर्धारित मानकों के आधार पर थल स्थान पर उपकोषागार खोलने का औचित्य नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ में जल निगम द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर जांच

21–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री को जिला ट्रेड यूनियन समन्वय समिति जनपद पिथौरागढ़ के पत्रांक 59/गो0सा0/टी0यू0 दिनांक 12-2-86 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में जल निगम के द्वारा किये गये भ्रष्टाचारों की जानकारी मिली? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

पिथौरागढ़ जनपद की पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर जांच कराई गई है। जांच आख्या प्राप्त हो गई है, जिसकी विवेचना की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ ग्राम पय्यां पोड़ी से कनार लेजम तक अश्वमार्ग का निर्माण का प्रस्ताव

22–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अंतर्गत ग्राम पय्यां पौड़ी से कनार लेजम तक वन विभाग द्वारा निर्मित सड़क का निर्माण कब तक कितनी धनराशि से सम्पन्न कराया गया ? इस मार्ग के रख-रखाव हेतु विगत पांच वर्षों में वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गयी? वर्तमान में इसी दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार इसके पुर्ननिर्माण के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)–

ग्राम पय्या पौड़ी से कनार लेजम तक अश्वमार्ग का निर्माण वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक तीन वर्षों में किया गया जिसमें कुल लागत रुपये 1,37,200 मात्र आई। मार्ग के रख-रखाव हेतु विगत पांच वर्षों में कोई धनराशि व्यय नहीं की गई। वर्तमान वर्ष 1986-87 में इस मार्ग की मरम्मत कराया जाना प्रस्तावित है।

पिथौरागढ़, विकास खण्ड बेरीनाग के अंतर्गत ग्राम डोल में पेयजल आपूर्ति की नियमित व्यवस्था

23–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग अंतर्गत ग्राम डोल (ग्राम सभा

डुगरी) तक पेयजल योजना (जो 1966 में बनकर तैयार हुई थी) विगत 6 वर्षों से लगातार किन कारणों मे अवरुद्ध है ? इतने लम्बे समय से इस कारणों के निदान हेतु शासन ने क्या कदम उठायें ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उपरोक्त गांव में पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

भीषण वर्षो में भू-स्खलन के कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप उक्त योजना का कार्य अवरुद्ध हो गया था । मरम्मत के प्राक्कलन एवं अपेक्षित धन-राशि स्वीकृत होने पर योजना की कमियों को दूर करवाने हेतु मरम्मत कार्य करवाया गया । सीमेन्ट के अभाव एवं वर्षा के कारण योजना में आर0 सी0 सी0 चैम्बर की मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा सका । जिसे वर्षा ऋतु के पश्चात् कराया जा सकेगा । वर्तमान समय में योजना के अंतर्गत सुचारू रूप से पेयजल की पूर्ण आपूर्ति की जा रही है ।

24–श्री काशी सिंह ऐरी–

[दिनांक 26-2-86 को अता0 प्र0 सं0 148 द्वारा उत्तरित]

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौला देवी तथा भैंसिया छाना में भू-स्खलन को रोकने की कार्यवाही

25–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड धौला देवी तथा भौनिया छाना के ग्राम तल्ली धौनी व मल्ली धौनी (पत्रालय पन्ना नौला) में विगत कई वर्षों से लगातार भू-स्खलन हो रहा है ? यदि हां, तो इस भू-स्खलन में कितना कुल कितनी क्षेत्रफल भूमि भूस्खलित हो चुकी है ? सरकार ने इसे रोकने हेतु दिनांक 31-3-86 तक व बाद में क्रमश: क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौला देवी तथा भैंसिया छाना के ग्राम तल्ली धौनी व मल्ली धौनी पत्रालय पतवानौला में करीब 17-18 वर्ष पूर्व भू-स्खलन हुआ था तब से सन् 1984 में भू-स्खलन हुआ । ग्राम मल्ली धौनी तथा तल्ली धौनी में क्रमश: 1/2 एकड़ एवं 1 एकड़ भूमि भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त हुई है । ग्राम मल्ली धौनी में लगभग 10 हेक्टेयर व ग्राम तल्ली धौनी में लगभग 28 हेक्टेयर क्षेत्रफल इस समय प्रभावित है । वर्ष 1985-86 में क्षेत्र समिति द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ग्राम तल्ली धौनी के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से भूमि संरक्षण कार्य कराने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा धन आवंटन किया गया । जिससे 19-80 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित किया जा चुका है । ग्राम मल्ली धौनी विकास खण्ड धौलादेवी में हो रहे भू-स्खलन के नियंत्रण हेतु वर्ष 86-87 में योजना तैयार एवं अनुमोदित की जा चुकी है और 50, 000.00 रु0 जिला ग्राम विकास अभिकरण से आवंटन प्राप्त हो चुका है । इस क्षेत्र में वर्षा समाप्ति के तुरन्त बाद कार्य सम्पादित कराया जायेगा ।

श्री नैन सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उ0 प्र0 जल निगम की पेंशन

26–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नैन सिंह ग्राम आगर पत्रालय छेड़ा जनपद पिथौरागढ़ विगत जनवरी 1985 को उत्तर प्रदेश जल निगम,

विभाग से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में (जनपद पिथौरागढ़ से) सेवा निवृत्त हुये थे ? यदि हां, तो इनकी पेंशन भुगतान हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री नैन सिंह, उत्तर प्रदेश जल निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत न होकर कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत थे जिन्हें 1-4-84 से कार्य प्रभारित अधिष्ठान में नियमित किया गया तथा इसी अधिष्ठान से वे जनवरी, 1985 में सेवा निवृत्त हुये ।

नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को वर्तमान में पेंशन संबंधी सुविधा अनुमन्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में तवाघाट जिप्ती मोटर मार्ग का निर्माण की योजना के संबंध में केन्द्र सरकार से वार्ता

27–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हेतु तवाघाट-जिप्ती मोटर मार्ग की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा 1981-82 में दी थी? क्या यह भी सत्य है कि इस मोटर मार्ग का निर्माण केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कारण अभी भी रुका है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त मोटर मार्ग बनाने हेतु, केन्द्रीय सरकार से क्रमशः कब-कब वार्ता/पत्र व्यवहार किया ? इस अत्यन्त महत्व पूर्ण मार्ग का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, इस मार्ग का निर्माण वन भूमि के हस्तांतरण के अभाव में स्थगित है । वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव भारत सरकार को नवम्बर, 83 में भेजे गये थे। भारत सरकार की आपत्तियों का निराकरण करते हुए उन्हें प्रस्ताव पुनः 15-3-84 को भेजा गया था । पुनः अन्तिम बार प्रस्ताव 8-5-86 को भेजे गये हैं। वन भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति मिलने के बाद 3 वर्ष में मार्ग पूर्ण किया जा सकेगा ।

28–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हेतु तवाघाट-दुगुन मोटर मार्ग की स्वीकृति राज्य सरकार ने 1982-83 में दी थी ? क्या यह भी सत्य है कि इस मोटर मार्ग का निर्माण केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कारण अभी भी रुका है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त मोटर मार्ग बनाने हेतु, केन्द्रीय सरकार से क्रमशः कब-कब वार्ता/पत्र व्यवहार किया? इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

तवाघाट-दुगुन नाम से किसी मोटर मार्ग की स्वीकृति वर्ष 1982-83 में नहीं दी गई थी बल्कि न्यू-दुगुन के प्रथम 3 कि0 मी0 मार्ग की स्वीकृति वर्ष 1982-83 में दी गई थी । इस मार्ग का निर्माण वन भूमि हस्तांतरण के अभाव में अभी नहीं हुआ है । इसके हस्तांतरण के प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित किये

गये थे, जिन पर कुछ आपत्तियां हैं और उन आपत्तियों का निराकरण करके अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्ताव पुनः भेजा जा रहा है । वन भूमि के हस्तांतरण के पश्चात मार्ग 2 वर्ष में पूर्ण किया जा सकेगा ।

जनपद पिथौरागढ़ में एंचोली बडावे मोटर मार्ग को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव

29–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में एंचोली बडावे मोटर मार्ग वर्तमान में निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो इसी मोटर मार्ग के आगे तोली, आखल, शिलिंग कौल, क्वाखन, सेल, सल्ला, हल्दू, रावतगड़ा, तड़ैगियां, चिंगरी, पाटी आदि गांवों की विस्तृत परिवहन सुविधा के लिए इसी मोटर मार्ग को बडावे से तोली-आखल शिलिंग-सेल सल्जा गांव होकर मोटर सड़क बढ़ाने के लिए सरकार अपनी संस्तुति देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, जनपद पिथौरागढ़ में एंचोली बडावे मोटर मार्ग निर्माणाधीन था जो पूरा किया जा चुका है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रस्तावित उक्त मार्ग को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री हेम चन्द्र जोशी, वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, नैनीताल के रहस्यमय मृत्यु तथा वन कर्मियों द्वारा आयोजित आम सभा में उठाए गए मुख्य बिन्दु

30–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षक श्री हेम चन्द्र जोशी की मृत्यु, काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस रेल (के बोगी नं0 2741) में दिनांक 5-2-86 की रात्रि अत्यन्त रहस्यमय परिस्थितियों में बोगी से बाहर फेंके जाने के कारण गम्भीर चोटों के कारण, दिनांक 8-2-86 को लखनऊ में हुई ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में नैनीताल स्थित वन विभाग के समस्त कार्यालयों के कर्मचारियों की दिनांक 11-2-86 को नैनीताल में सम्पन्न आम सभा में पारित पांच प्रस्ताव की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षक स्व0 श्री हेम चन्द्र जोशी की मृत्यु काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस से लखनऊ आते समय (प्रथम श्रेणी की बोगी नं0 2741 में सफर करते हुए) दिनांक 5-6 फरवरी, 1986 की रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में परसादपुर हाल्ट व पुरनपुर के बीच गम्भीर रूप से दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दिनांक 8 फरवरी, 1986 को मेडिकल कालेज लखनऊ में हुई ।

नैनीताल स्थित वन विभाग के समस्त कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 1986 को आम सभा में पारित प्रस्तावों की प्रतियां प्राप्त हुई जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दु उठाए गए थे :–

1–स्व0 श्री जोशी के हत्यारों को अतिशीघ्र पकड़वाकर उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिलवाया जाय ।

2–विभाग में कार्यरत वन रक्षक के उच्चाधिकारियों तक के जीवन की सुरक्षा का समुचित व प्रभावी प्रबन्ध किया जाय।

3–स्व0 श्री हेमचन्द्र जोशी के परिवार को उदारतापूर्वक अधिकाधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाय ।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :–

(1) स्व0 श्री हेम चन्द्र जोशी की हत्या की जांच पुलिस अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही है ।

(2) विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग–5 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वन विभाग के जिन कर्मचारियों द्वारा अग्नेयास्त्र लाइसेन्स दिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिए जाएं उन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाय ।

(3) स्व0 श्री हेम चन्द्र जोशी के परिवार को देय धनराशियों की स्थिति निम्नवत् है :–

(1) स्व0 श्री जोशी के सामूहिक बीमा योजना संबंधी कागजात केन्द्रीय ग्रुप बीमा निदेशालय को भेजे गए हैं ।

(2) दिनांक 7 मई, 1986 को स्व0 श्री जोशी के पेंशन प्रपत्र महालेखाकार को पेंशन स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं ।

(3) स्व0 श्री जोशी के मृत्यु के दिनांक तक उनके अवकाश लेखे में जमा 168 दिन के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान किया जा चुका है ।

(4) स्व0 श्री जोशी के जी0पी0 एफ0 के अन्तिम भुगतान संबंधी कागजात महालेखाकार को दिनांक 24-4-1986 को भेजे गए हैं ।

(5) स्व0 श्री जोशी के आश्रितों को अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता दिलाए जाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

जनपद पिथौरागढ़ में भूमि संरक्षण विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग द्वारा भूमि कटाव से बचाने के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना

31–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को मुख्य मंत्री जी के पत्रांक एम-1-क0/161-1/सी0 एम0-2/85 दिनांक 31 दिसम्बर, 85 की पावती द्वारा, सचिव, पर्वतीय विकास को भेजे पत्रांक एम-1-क0/164-1/सी0 एम0-2/85 से ज्ञात हुआ है कि दिनांक 16 दिसम्बर, 1985 के पत्र द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम सभा चमू की भूमि को वहां नदियों/नालों द्वारा लगातार कटाव द्वारा हानि पहुंचाई जा रही है ? यदि हां, तो इसके बचाव के लिए दि0 30-1-86 तक व उसके बाद क्या-क्या कदम उठाए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में भूमि संरक्षण विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग से कृत कार्यवाही की अद्यावधिक सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कल्याण चन्द्र, ग्रा0 पो0 थल, जनपद पिथौरागढ़ की पेंशन के संबंध में पत्र

32–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सा0 नि0 मंत्री को दिनांक 27 जनवरी, 1986 को प्रश्नकर्ता द्वारा मा0 मुख्य मंत्री को लिखे पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि श्री कल्याण चन्द्र ग्राम व पत्रालय थल जनपद पिथौरागढ़ जो सा0

नि0 वि0 लोहाघाट, जनपद पिथौरागढ़ में कार्यरत थे, को बहुत लम्बे समय से पेंशन नहीं मिली है ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? कब तक श्री चन्द्र को नियमित पेंशन मिलनी प्रारम्भ हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत प्रश्न पर्वतीय विकास विभाग में प्राप्त हुआ । प्रश्न में कतिपय त्रुटियां थीं, जिसे संशोधित किए जाने हेतु प्रश्न मूलरूप में विधान सभा प्रश्न अनुभाग को वापस किया गया । वांछित संशोधन के पश्चात् प्रश्न सा0 नि0 वि0 के अन्तर्गत विधान सभा सचिवालय द्वारा दिनांक 12-8-86 को उपलब्ध कराया गया । समयाभाव के कारण उत्तर प्रतीक्षित है ।

जनपद पिथौरागढ़ में खाद्यान्न-कपड़ा आदि पर दोहरी चुंगी प्रथा की समाप्ति

33–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में खाद्यान्न–कपड़ा आदि का अधिकतम सामान जनपद नैनीताल की रामनगर, हलद्वानी, टनकपुर मंडियों से आता है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त मंडियों से ठेलों द्वारा पूर्व में ही दी गई चुंगी पर जनपद पिथौरागढ़ प्रवेश के समय पुनः चुंगी ली जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दोहरी चुंगी प्रथा को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

जनपद पिथौरागढ़ के लिए जो खाद्यान्न–कपड़ा आदि रामनगर, हलद्वानी एवं टनकपुर होकर तुरन्त निर्यात के लिए अभिप्रेत होता है उस पर इन नगरपालिकाओं द्वारा कोई चुंगी नहीं ली जाती है वरन् निःशुल्क ट्रांजिट पास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । मंडियों से क्रय किए जाने वाले माल पर संबंधित नगरपालिका द्वारा नियमान्तर्गत चुंगी लिया जाना उचित है क्योंकि माल नगरपालिका की सीमा में लाया गया और उसका विक्रय हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 128(8) के अंतर्गत नगर पालिका की सीमा में उपयोग, उपभोग अथवा बिक्री के लिए लाये गये सामान पर चुंगी कर देय है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

34–श्री काशी सिंह ऐरी–

[2रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 120 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

पिथौरागढ़ के देवलथल-कनालीद्दीना मोटर मार्ग के जाब संख्या 30 में आवंटित धन का भुगतान

35–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में सा0 नि0 विभाग के निर्माण खण्ड अस्कोट के अंतर्गत देवलथल कनालीद्दीना मोटर मार्ग में जांब नं0 30 बांड नं0 1 ई0 ई0 दिनांक 1-8-79 का दस प्रतिशत जमा भुगतान इस कार्य के ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा करने पर भी अब तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? इस धनराशि को तुरन्त दिये जाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

संबंधित ठेकेदार द्वारा उक्त जाब का कार्य अनुबंधित समय के भीतर पूर्ण नहीं किया गया । उन्होंने विभिन्न कारणों से9माह के अतिरिक्त समय के लिए आवेदन दिया था, जिस पर सक्षम अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता, पिथौरागढ़) द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरान्त ठेकेदार को धरोहर धनराशि का भुगतान उन्हें किया जा सकेगा ।

अल्मोड़ा जनपद के श्री बृज राज शाह की भूमि का अधिग्रहण

36–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि कुमायूं एवं उत्तराखण्ड जमीदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत, जनपद पिथौरागढ़ में श्री बृजराज शाह के परिवार की ग्राम देवलधार मध्य नया में 32·38 हेक्टेयर (1619 नाली) तथा ग्राम गौल में 2·18 हेक्टेयर (109 नाली) निजी वन का, दिनांक 1-1-78 के बाद अधिग्रहीत कर उ0 प्र0 शासन में सम्मिलित कर दिया गया है? यदि हां, तो इस हेतु वन भूमि/वन उत्पादन का प्रतिकर अवधारण किन-किन आधारों पर कितना रुपया किया गया ? इसका भुगतान श्री शाह परिवार को कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । जनपद पिथौरागढ़ में श्री बृजराज शाह के परिवार की ग्राम देवलधार की भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है क्योंकि यह मामला पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित नहीं है ।

वस्तु-स्थिति यह है कि यह मामला अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है जहां श्री बृजराज शाह के परिवार की ग्राम देवलधार मध्य नया तथा ग्राम गौला के नीजी वन को 1-1-78 के बाद दिनांक 27-3-79 को अधिग्रहीत कर उत्तर प्रदेश शासन में सम्मिलित कर लिया गया है ।

इस हेतु वन भूमि/वन उत्पादन का प्रतिकर अवधारण अभी नहीं किया गया है क्योंकि प्रतिकर भुगतान के संबध में मामला परगनाधिकारी बागेश्वर के न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के पश्चात राजस्व विभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

37–श्री काशी सिंह ऐरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

नगर पालिका हलद्वानी-काठगोदाम की सीमा में भवन का निर्माण

38–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है जनपद नैनीताल में हलद्वानी नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु नगरपालिका तथा अन्य सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों में हलद्वानी काठगोदम नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत बने व बन रहे ऐसे भवनों की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी है ? यदि हां, तो किन-किन बहुमंजिले भवनों का किस-किस तिथि को यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर पालिका हलद्वानी-काठगोदाम विनियमित क्षेत्र हलद्वानी-काठगोदाम की सीमा में स्थित है, जहां भवन निर्माण की स्वीकृति आर0 बी0 ओ0 एक्ट 1958 के प्राविधान के अन्तर्गत विनियमित क्षेत्र हलद्वानी काठगोदाम के

नियत प्राधिकारी/परगनाधिकारी द्वारा दी जाती है ।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में नगर-पालिका-हलद्वानी-काठगोदम की सीमा में 486 भवनों की स्वीकृति प्राप्त की गई है तथा 199 भवनों की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी ।

सूचना संलग्न है ।

अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 161 पर)

प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गढ़ मुक्तेश्वर गाजियाबाद में पर्यटकों के लिए मार्गीय आवासिय सुविधा

39—श्री कनक सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रसिद्ध तीर्थस्थल गढ़ मुक्तेश्वर गाजियाबाद में कोई मार्गीय आवास सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो कितने पर्यटक अब तक वहां ठहरे तथा वहां के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या क्या है ? यदि हां, तो कितनी लागत से इसका निर्माण हुआ तथा क्या सुविधायें उपलब्ध है ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी मिलों के क्रय केन्द्रों पर कम तौल का कथित आरोप

40—श्री कनक सिंह—

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि गन्ना क्रय केन्द्रों पर काश्तकारों का गन्ना कम तौला जाता है और आये दिन इस प्रकार के झगड़े काश्तकारों तथा गन्ना क्रय केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारियों के बीच होते रहते हैं और कभी-कभी उक्त झगड़े उग्र रूप धारण कर लेते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था में सुधार हेतु सभी गन्ना क्रय केन्द्रों पर स्वचालित कांटे स्थापित करने की व्यवस्था करेगी ताकि गन्ना काश्तकारों की उक्त समस्या का निराकरण हो सके और फर्जी पर्चियां बनाने का धंधा भी समाप्त हो सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चीनी मिलों के क्रय केन्द्रों पर कम गन्ना तौले जाने की शिकायत यदा-कदा प्राप्त होती रहती है। क्रय केन्द्रों पर तौल में गड़बड़ी रोकने के लिए उ0 प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम 1954 के नियम 19 में उल्लिखित तथा नियम 29 के अन्तर्गत अधिकृत निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किये जाते हैं तथा अनियमितताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है। फिर भी क्रय केन्द्रों पर स्वचालित कांटों की स्थापना हेतु समस्त चीनी मिलों को गन्ना आयुक्त के पत्र संख्या 2/सी/क्रय/प्रशमन/दिनांक 21 अप्रैल, 1986 द्वारा आवश्यक निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं।

गाजियाबाद थाना सिंभावली के ग्राम भगवानपुर में हरिजन एवं मुस्लिम घरों की लूटपाट की घटना

41—श्री कनक सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत थाना सिंभावली के ग्राम भगवानपुर में 40 हरिजन तथा मुस्लिम परिवारों की, दिनांक 25 जून, 85 को लूट की गई जिसमें

1.50 लाख की सम्पत्ति लूट ली गई किन्तु पुलिस ने दो-चार घर लुटे दिखाई हैं, सही मुलजिम नहीं पकड़े? क्या सरकार हरिजनों को हुए नुकसान का मुआवजा देगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार, दिनांक 25/26 जून, 1985 की रात्रि ग्राम भगवानपुर के बाहरी हिस्से में बसे हरिजन और मुस्लिम घरों की लूटपाट की गयी थी। इस घटना में 18 घर लूटे गये थे जिनमें 14 घर हरिजनों के थे। लूटी गयी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 14,550 रु0 था।

2–प्रथम सूचना में 3 अभियुक्त नामजद थे। इन तीनों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप-पत्र न्यायालय भेज दिया गया है। विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्तों में एक फरार है और एक जेल में है। इनकी कारवाई शिनाख्त शेष है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध शिनाख्त अथवा साक्ष्य न होने के कारण आरोप-पत्र नहीं भेजा जा सका।

3–यह घटना हरिजन उत्पीड़न की नहीं है। ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था वर्तमान नियमों में नहीं है।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम खागोई को थाना सिम्भावली में सम्मिलित करने हेतु अधिसूचना

42–श्री कनक सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का दिनांक 2-8-85 एवं 19-12-85 का पत्र जो ग्राम खागोई, थाना बहादुरगढ़, जिला गाजियाबाद को थाना सिंभावली में शामिल करते हेतु था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां। ग्राम खागोई को थाना सिम्भावली में सम्मिलित करने हेतु अधिसूचना दिनांक 4-8-86 को जारी कर दी गई है।

स्थानीय निकाय निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर श्री डी0 के0 शर्मा की नियुक्ति

43–श्री कनक सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकाय निदेशालय में सहायक निदेशकों के पद के लिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि उक्त पद या तो विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे या पी0 सी0 एस0 केडर द्वारा भरे जायेंगे? क्या यह सही है कि श्री डी0के0 शर्मा सहायक निदेशक न तो विभागीय पदोन्नति से ही हैं और न ही पी0 सी0 एस0 केडर से हैं? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति का आधार क्या है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सहायक निदेशक के पद के सृजन के समय इस पद को पी0 सी0 एस0 अधिकारियों से भरे जाने का निर्णय लिया गया था।

जी हां।

इन्हें वाह्य सेवा पर नियुक्त किया गया है।

सिंभावली शुगर मिल लि0 सिंभावली, गाजियाबाद में बिना फिल्टर की चिमनी से प्रदूषण

44–श्री कनक सिंह–

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंभावली शुगर मिल्स लि0 सिंभावली जनपद गाजियाबाद में धुंवा निकलने के लिए जो चिमनी है उसके हेड पर कोई फिल्टर आदि की

व्यवस्था नहीं है जिससे धुंवे के साथ जली हुई खोई भी चिमनी से निकलती है और आस-पास के आवासीय स्थलों पर गिरती है जिसके फलस्वरूप वहां वायु प्रदूषण हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्री के मिल मालिक को मिल की चिमनी में फिल्टर लगवाने के लिए निर्देश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंभावली शुगर मिल्स लि0 सिंभावली जनपद–गाजियाबाद में ब्वायलर की चिमनी में फिल्टर नहीं लगे हैं जिससे सामान्य रूप से धुंये के साथ जली हुई खोई की राख निकलती है । वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में उक्त मिल को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एयर (प्रिवें-शन एण्ड कन्ट्रोल आफ पाल्युशन) एक्ट 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत नोटिस दी जा चुकी है ।

राजकीय निर्माण निगम में स्थानिक अभियन्ताओं का अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक के पद पर चयन

45–श्री कनक सिंह–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री जी को जानकारी है कि जनवरी माह में कुछ पदोन्नति राजकीय निर्माण निगम में स्थानिक अभियन्ताओं की अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक के पद पर हुई? क्या यह सच है कि सीनियर को छोड़कर जूनियर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। निर्माण निगम की विभागीय पदोन्नति समिति, जिनकी अनुशंसाओं पर प्रश्नगत पदोन्नतियां की गई हैं, द्वारा 9 स्थानिक अभियन्ताओं में से किये गये चयन में तीन अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त पाया गया था। अतः किसी जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

46–श्री कनक सिंह–

क्या सा0नि0 मंत्री को जानकारी है कि राजकीय निर्माण निगम में सहायक स्थानिक अभियन्ताओं को स्थानिक अभियन्ता के पद पर प्रमोशन किये गये हैं ? क्या यह सच है कि जो नियुक्तियां माह अगस्त, 85 में सहायक स्थानिक अभियंताओं की की गयी थी उनको अब स्थानिक अभियन्ता बना दिया गया है जबकि 8-9 वर्ष के सहायक स्थानिक अभियंताओं को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम (इंजीनियर्स एण्ड आर्कीटेक्ट्स) सेवा नियमावली, 1980 के प्राविधानों के अनुरूप विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रश्नगत पदोन्नति हेतु किये गये चयन में सहायक स्थानिक अभियन्ता के पद पर गत 7-8 वर्षों से कार्यरत ग्यारह अभ्यर्थियों को अनुपयुक्त पाये जाने के कारण उन्हें पदोन्नति से छोड़ दिया गया है ।

राजकीय निर्माण निगम में मौखिक आश्वासनों पर कार्यरत अवैतनिक कर्मचारी

47–श्री कनक सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि कुछ कर्मचारी 6 वर्ष से राजकीय निर्माण निगम में अवैतनिक कार्य मौखिक आश्वासनों के सहारे कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राजकीय निर्माण निगम के 71 कार्य-स्थलों पर कोई भी कर्मचारी 6 वर्ष से अवैतनिक कार्य मौखिक आश्वासनों के सहारे नहीं कर रहा है । निगम की शेष 20 कार्यस्थलों से अपेक्षित सूचना अभी उन्हें प्रतीक्षित है ।

श्री मोहम्मद शब्बीर, ग्राम बेहटा, थाना चिनहट, जनपद लखनऊ की बन्दूक का लाइसेन्स

48–श्री भगौती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुहम्मद शब्बीर, ग्राम बेहटा, थाना चिनहट, लखनऊ की बंदूक का लाइसेंस सन् 1980 में किन कारणों से निरस्त कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि मा0 उच्च न्यायालय ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया है ? यदि हां, तो क्या अब श्री मुहम्मद शब्बीर को राइफल और पिस्तौल का लाईसेन्स दे दिया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप समाप्त हो गये हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहम्मद शब्बीर, निवासी ग्राम बेहटा, थाना चिनहट, जिला लखनऊ का असामाजिक तत्वों से मेल-जोल रखने, उन्हें चोरी से कारतूस देने के साथ-साथ उसके एक भाई के हिस्ट्रीशीटर होने व दूसरा भाई के राहजनी का मुल्जिम होने के कारण अपर जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा उनकी बन्दूक का लाइसेंस दिनांक 25-9-80 को निरस्त कर दिया गया । इस आदेश के विरुद्ध श्री मोहम्मद शब्बीर द्वारा दायर की गई रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10-1-85 को खारिज कर दी गई । इस बीच व उसके बाद श्री मोहम्मद शब्बीर को राइफल व रिवाल्वर के लाइसेंसों के स्वीकृत किये जाने के प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की उजरियांव आवासीय योजना द्वारा अर्जित भूमि का मुआवजा का भुगतान

49–श्री भगौती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 23-2-84 को वासिम अली सिद्दीकी वगैरह की स्पेशल लीव पेटीशन (सिविल) में लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिये गये आदेश, वियत अधिकारी की नियुक्ति, कम से कम 2 रुपया प्रति स्क्वायर फिट की दर से जमीन का मुआवजा देने, जमीन के मुआवजे के लिए किसानों को अदालती कार्यवाही से बचाने के लिए मामले को "टेबुलटाक" द्वारा तय करने और सभी निर्देशों को एक माह के अन्दर कार्यान्वित करने आदि संबंधी निदेशों का परिपालन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उजरियांव आवासीय योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की जा रही है, उनकी आपत्तियों के निराकरण करने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 25-8-84 द्वारा वियत अधिकारी पद पर अवकाश प्राप्त जिला जज श्री आर0 एस0 अग्रवाल की नियुक्ति की गई और वियत अधिकारी के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना उक्त क्षेत्र के निवासियों को दी गई । निवासियों की आपत्तियां प्राप्त होने तथा आपत्तियों का उत्तर विकास प्राधिकरण द्वारा दाखिल करने की कार्य-

वाही में लगभग डेढ़ वर्ष लगा। उसके पश्चात लेवर जज कानपुर के पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप श्री आर0एस0 अग्रवाल ने दिनांक 31-5-86 को वित्त अधिकारी पद से त्यागपत्र दे दिया श्री अग्रवाल के स्थान पर किस अन्य अवकाश प्राप्त जिला जज की नियुक्ति हेतु रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई ।

जहां तक मुआवजे के भुगतान का प्रश्न है मुआवजे के अन्तिम भुगतान मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार किया जा रहा है ।

सब्जी मंडी डालीगंज, लखनऊ में स्थित नगर महापालिका के गोदाम का किराया

50–श्री भगौती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब्जी मंडी कलेक्टरगंज, डालीगंज लखनऊ में स्थित नगर महापालिका का गोदाम श्री सुमेरचन्द्र जैन निवासी डालीगंज लखनऊ के पास कितने रुपये प्रति माह किराये पर है तथा सिकमी किरायेदार बसाकर यह कितने रुपये प्रतिमाह कमा रहे हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सब्जी मण्डी कलेक्टर गंज डालीगंज लखनऊ में स्थित गोदाम मेसर्स तेजपाल लाधूलाल जैन के नाम रु0 37.50 प्रति माह किराये की दर से आवंटित है । गोदाम में सिकमी किरायेदार नहीं रखे गये है ।

रिवर बैंक कालोनी के निर्माणार्थ केन्द्र सरकार द्वारा दिये धन की शर्त तथा कालोनी के भवन का बढ़ाया गया किराया

51-52–श्री भगौती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ रिवर बैंक कालोनी के निर्माणार्थ केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को किन शर्तों पर कर्ज और अनुदान दिया था ?

क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि रिवर बैंक कालोनी के किरायेदारों पर 100 प्रतिशत किराया बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अंतर्गत ? क्या मा0 मुख्य मंत्री किरायेदारों से किये गयी अनुबंध की एक प्रति प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे? क्या यह भी सही है कि रिवर बैंक कालोनी में स्थित मकानों को बेचने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

यह मामला उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ में विचाराधीन है ।

53–श्री भगौती सिंह–

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 218 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

अमौसी एयर पोर्ट चौकी पर तैनात थानेदार का स्थानान्तरण

54–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के अमौसी एयर पोर्ट चौकी पर तैनात थानेदार श्री प्रेम नारायण तिवारी का स्थानान्तरण लगभग 50 माननीय सदस्यों

की शिकायत पर दिसम्बर, 85 व जनवरी, 86 में किया गया था ?

यदि हां, तो पुनः उक्त चौकी पर श्री तिवारी को तैनात कराने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री प्रेम नारायन तिवारी थानेदार को दिसम्बर, 85 व जनवरी, 86 में एयरपोर्ट चौकी से स्थानान्तरित नहीं किया गया अपितु 26-5-86 को एयरपोर्ट चौकी से एन्टीहाईजैकिंग में स्थानान्तरित किया गया है। एयरपोर्ट चौकी पर उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया गया है ।

उ0 प्र0 राज्य वन सेवा का संवर्ग का निर्धारण

55–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य वन सेवा का कोई संवर्ग निर्धारित है ? यदि हां, तो इस संवर्ग में किस-किस तरह के कितने पद निर्धारित हैं ? क्या मा0 मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि राज्य वन विभाग में कितने प्रभागीय वन अधिकारियों को प्रभागीय निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है तथा विभाग में सहायक वन संरक्षक प्रभारी के रूप में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं? इनकी नियुक्ति का आधार क्या है, तथा क्या इन्हें अपने अतिरिक्त दायित्व के निर्वहन के लिये कोई अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश वन सेवा का संवर्ग निम्नवत निर्धारित है:–

स्थायी पद	97
अस्थायी पद	63
आरक्षण	
(क) अवकाश	8
(ख) प्रशिक्षण	11
(ग) प्रति नियुक्ति	24
	203

प्रभागीय वनाधिकारी व प्रभागीय निदेशक का वेतनमान एक है । जो अधिकारी वन प्रभाग के चार्ज में होता है उसे प्रभागीय वन अधिकारी कहते हैं तथा जिस अधिकारी के पास सामाजिक वानिकी प्रभाग का चार्ज होता है उसे प्रभागीय निदेशक कहते हैं। सामान्यतः प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक दोनों पदों पर उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी तैनात होते हैं परन्तु वर्तमान समय में उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों की कमी के कारण 58 वन प्रभागों में ही उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं। शेष प्रभागों में सहायक वन संरक्षक को चालू कार्यभार सौंप कर कार्य चलाया जा रहा है । वर्तमान समय में ऐसे सहायक वन संरक्षक जिन्हें प्रभागों का चालू कार्यभार सौंपा गया है, की संख्या-53 है ।

सहायक वन संरक्षकों के प्रभाग का चालू कार्यभार पर तैनाती किये जाने का आधार अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता है। राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षकों को चयन समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने पर वरिष्ठता क्रम में प्रभाग के चालू कार्यभार में तैनात किया जाता है ।

प्रभाग के चालू कार्यभार वहन करने वाले सहायक वन संरक्षक को कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता है।

रुद्र प्रयाग जिला शाखा, उ0 प्र0 जल निगम के स्टाफ द्वारा श्री ज्ञान सागर अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत

56–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ज्ञान सागर अधीक्षण अभियंता द्वादश मंडल जल निगम, उ0 प्र0 के विरुद्ध कतिपय भ्रष्टाचार संबंधी पत्र, रुद्र प्रयाग जिला शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उ0 प्र0 जल निगम को जनवरी, फरवरी, 86 महीने में भेजे हैं? यदि हां, तो आरोपित तथ्यों की जांच निगम ने किस अधिकारी से करवायी और क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

रुद्र प्रयाग जिला शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम तकनीकी स्टाफ द्वारा श्री ज्ञान सागर, अधीक्षण अभियंता, द्वादस मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम के विरुद्ध अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को जनवरी, फरवरी, 1986 में प्रेषित कोई पत्र जल निगम कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद म्यो हाल स्पोर्ट्स काम्पलक्स का बजट

57–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद मेयो हाल स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का वर्ष 83-84, 84-85, 85-86 तथा 86-87 का वार्षिक बजट कितना-कितना था ? बजट में कमी करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इलाहाबाद म्यो हाल स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का वर्ष (1983-84) में रु0 2.80 लाख वर्ष (1984-85) में रु0 3.00 लाख वर्ष (1985-86) में रु0 3.30 लाख का बजट था तथा वर्ष (1986-87) में रु0 3.75 लाख का बजट प्राविधान है । बजट की कमी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलाहाबाद जनपद में ओलम्पिक साइज स्वीमिंग पूल के निर्माण की योजना

58–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में ओलम्पिक साइज स्वीमिंग पूल बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक योजना कार्यान्वित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना सरकार बनायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इलाहाबाद जनपद में ओलम्पिक साइज स्वीमिंग पूल बनाने की योजना वांछित भूमि उपलब्ध न होने के कारण विचाराधीन नहीं है ।

पर्वतीय क्षेत्र के तराई क्षेत्रों में यूकिलिप्टस के वृक्षारोपण से कुप्रभाव

59–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्यावरण मंत्री को ज्ञात है कि उत्तराखण्ड में विस्तृत वन में पैदा की जा रही वन प्रजातियों (यूकेलिप्टस आदि) के कारण स्थानीय तथा शेष प्रान्त के पर्यावरण पर अल्प या दीर्घकालीन प्रभाव पड़ते हैं? यदि हां, तो इन परिणामों के आंकलन व निस्तारण के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी–

जी हां, उत्तराखण्ड में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित की जा रही प्रजातियों का पर्यावरण पर अल्प तथा दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है । पेड़ों से वायु शुद्ध होती है, पर्यावरण का संरक्षण होता है, जलवायु संयत होती है तथा भूमि एवं जल का संरक्षण सुनिश्चित होता है जिसके परिणामस्वरूप शेष प्रान्त में भी बाढ़ की विभीषिका कम होती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः तराई क्षेत्रों में ही युकिलिप्टस के वृक्षारोपण लगाये गये हैं।

युकिलिप्टस के वृक्षारोपण से पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभाव की भ्रान्ति के बारे में विभिन्न स्रोतों द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यों/अध्ययनों की जानकारी प्राप्त की गई है और युकिलिप्टस के वृक्षारोपण से पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ने की धारणा की पुष्टि नहीं हुई है।

कुमायूं विकास निगम में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वर्षवार नियुक्ति

60–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वित्तीय वर्षों में कुमायूं विकास निगम में, प्रबन्ध निदेशक द्वारा, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी की कुल कितनी नियुक्तियां वर्षवार की गयीं ? क्या इस हेतु निगम के प्रबन्धक मण्डल द्वारा पूर्व या बाद में संस्तुति/अनुमोदन प्राप्त कर लिये गये थे? यदि हां, तो कब? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विगत पांच वित्तीय वर्षों में कुमायूं मण्डल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की कुल 382 नियुक्तियां की गई जिनका वर्ष-वार/श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	तृतीय श्रेणी संख्या	चतुर्थ श्रेणी संख्या	कुल संख्या
1981	41	47	88
1982	11	33	44
1983	38	55	93
1984	22	52	74
1985	29	54	83
	141	241	382

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के सृजन एवं उन पर नियुक्तियों का अधिकार निगम के निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्ध निदेशक को प्रदान किया गया है अतः उक्त नियुक्तियों के बारे में निदेशक मण्डल का पुनः अनुमोदन प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय जन्तु उद्यान बनारसी बाग में स्थित राज्य संग्रहालय, लखनऊ में आंग्ल शासकों की प्रदर्शित मूर्तियां

61–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ में पुलिस लाइन, राजकीय मूर्ति संग्रहालय केसरबाग तथा राजकीय जन्तु उद्यान परिसर के अन्दर उ0 प्र0 भर के अनेकों आंग्ल प्रशासकों या शासकों की संगमरमर की मूर्तियां अस्त व्यस्त रक्खी गयी हैं ? यदि हां, तो इन सारी मूर्तियों को एक छत के नीचे रखने के लिये शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राज्य संग्रहालय, लखनऊ के केसरबाग स्थित पुरातत्व अनुभाग तथा जनपद लखनऊ के पुलिस लाइन में कोई भी आंग्ल

शासकों की संगमरमर की मूर्ति नहीं रखी है। राजकीय जन्तु उद्यान बनारसी बाग में स्थित राज्य संग्रहालय, लखनऊ में आंग्ल शासकों की कुछ मूर्तियां प्रदर्शित हैं तथा यह अस्त व्यस्त स्थिति में नहीं रखी हुयी हैं वरन् इन्हें बाकायदा सीमेंट के बने हुए पेडेस्टल पर रक्खा गया है। यह मूर्तियां तार के खींचे हुए एक घेरे के अन्दर रखी गयी हैं और इसमें प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं।

ब्रिटिश युग की प्रस्तरगत विशालकाय मूर्तियों की एक स्वतंत्र वीथिका निर्मित कराकर उन्हें एक छत के नीचे सुरक्षित रूप में प्रदर्शित करना व्यवहारिक नहीं होगा, साथ ही दर्शकों के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से भी इन्हें एक छत के नीचे सुरक्षित रखना व्यवहारिक नहीं होगा। इन्हें उचित रूप में प्रदर्शित करने के लिए इनके आकार एवं प्रकार के अनुसार अत्यधिक पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होगी। संग्रहालय में आने के पूर्व यह मूर्तियां कई वर्षों से विभिन्न स्थानों में खुले में ही रखी हुयी थी। इस समय संग्रहालय में सुरक्षित है तथा इन पर उन्मुक्त वातावरण का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

सीमान्त जनपद, पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में अन्तिम मोटर स्टेशन के आगे विभिन्न विभागों के विश्राम गृह

62–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद में वर्तमान में खुले कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में अन्तिम स्टेशन से आगे किन-किन स्थानों पर किन-किन विभागों का, कितनी-कितनी शैय्या के निरीक्षण गृह (रेस्ट हाउस) बने हैं? इनका निर्माण कब कितनी धनराशि से सम्पन्न हुआ था?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में वर्तमान में खुले कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में अंतिम मोटर स्टेशन से आगे संबंधित विभागों के निरीक्षण गृह आदि से संबंधित सूचना निम्न प्रकार है:–

1–वन विभाग :–कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के अंतिम मोटर स्टेशन तवाघाट से लगभग 20 कि0 मी0 की दूरी पर वन विभाग का वन विश्राम गृह में दो कक्ष हैं तथा दो शैय्यायें हैं। इसका निर्माण वर्ष 1970-71 में 50 हजार रुपये की लागत से किया गया था। यह विश्राम गृह अस्कोटर रेन्ज में पड़ता है।

2–पर्यटन विभाग :–पर्यटन विभाग का कोई निरीक्षण भवन नहीं बना है, किन्तु कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर अंतिम मोटर स्टेशन से आगे पांगू, जिप्ती, माल्पा, सिरखा, गूंजी और कालापानी में 16-16 शैय्याओं की डारमेट्री का ग्रीन हट (ट्यूबवेलशेड) लगाकर 26.25 लाख रु0 की लागत में निर्माण कार्य किया जा रहा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग :–कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के अंतिम स्टेशन तवाघाट से आगे सिरखा, जिप्ती, माल्पा, बूंदी, गव्यांग, गूंजी, कालापानी तक सा0 नि0 वि0 के निरीक्षण गृहों/विश्राम गृहों के दो-दो कक्ष सन् 1962-64 के मध्य निर्मित हुए हैं। गव्यांग (बूंदी) निरीक्षण गृह की लागत 0.45 लाख रुपये है एवं अन्य निरीक्षण गृहों/विश्राम गृहों की लागत जानने की कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है।

महानगर पुरानी आबादी के कथित निवासियों को बेदखली की नोटिस

63–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित महानगर योजना (1953) के अन्तर्गत महानगर पुरानी आबादी के निवासी श्री गुरु दयाल तथा सुबराती आदि 11 व्यक्तियों को वर्ष 1958 में बेदखली की नोटिस दी गयी थी? क्या उक्त नोटिस से प्रभावित व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच से बेदखली के विरुद्ध अनुतोष आदेश (18 जनवरी, 1960) प्राप्त किया था ? यदि हां, तो वादीगणों एवं प्रतिवादी गणों के नाम क्या है तथा उच्च न्यायालय का निर्णय क्या है और उक्त निर्णय के उपरान्त अब किन-किन व्यक्तियों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां। भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 9(3) के अन्तर्गत नोटिसें जारी की गयी थी।

जी हां।

वादी एवं प्रतिवादी गणों के नाम संलग्न सूची में अंकित हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि चूंकि संलग्न सूची में क्रम संख्या–1 से 11 तक के व्यक्तियों को ही भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 9 (3) के अधीन नोटिसें जारी की गयी है अतः उक्त नोटिसें रद्द की जाती है और सूची के शेष व्यक्तियों की भूमि भी वेस्ट एवं अरेबुल लैण्ड नहीं है अतः उन्हें भी नोटिसें जारी न की जाएं।

उ0 प्र0 निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा 27(1) के अन्तर्गत संलग्न सूची–2 में अंकित व्यक्तियों के अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 162 पर)

उ0 प्र0 सचिवालय सुरक्षा दल की फायर यूनिट तथा रक्षक यूनिट में हेड रक्षकों के पदों में असमानता

64–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय सुरक्षा दल की फायर यूनिट में चार अग्निरक्षकों पर एक हेड की व्यवस्था है तथा विधान भवन रक्षकों में लगभग पन्द्रह रक्षकों पर हेड की व्यवस्था है? यदि हां, तो यह असमानता क्यों है जबकि सबकी भर्ती एक साथ तथा सबको ड्यूटी एक साथ ली जाती है? क्या मंत्री जी इस असमानता को दूर करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

सचिवालय सुरक्षा दल में फायर यूनिट में अग्नि रक्षकों के कुल 41 पद स्वीकृत हैं जिस पर 9 लीडिंग फायर मैनों के पद स्वीकृत हैं तथा सुरक्षा शाखा में विधान भवन रक्षकों के कुल 157 पद स्वीकृत हैं जिस पर 11 मुख्य रक्षक के पद स्वीकृत है । विधान भवन रक्षकों तथा अग्नि शमन सेवा के अग्नि रक्षकों में हेड्स की तैनाती किसी अनुपात में नहीं की जाती है बल्कि आवश्यकतानुसार प्रशासनिक सुधार विभाग की संस्तुति तथा वित्त विभाग की सहमति से सृजित पदों के आधार पर होती है।

असमानता का प्रश्न नहीं उठता।

नगर महापालिकाओं में कार्यरत पैरोकारों को मार्ग भत्ता दिलाने का प्रस्ताव

65—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका लखनऊ व नगर महापालिकाओं के पैरोकारों को कोर्ट अथवा (विभागीय कार्य हेतु) अधिवक्ताओं के निवास व अन्य स्थानों पर भेजा जाता है जिसमें पैरोकारों का आवागमन में काफी धन व्यय होता है? यदि हां, तो क्या उनको मार्ग भत्ता मिलता है? यदि हां, तो कितना? क्या उक्त मार्ग भत्ता उचित है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी पैरोकारों द्वारा आवागमन में किये गये मार्ग व्यय के अनुसार मार्ग व्यय दिलाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

नगर महापालिका, मेरठ, आगरा, गोरखपुर व इलाहाबाद में पैरोकारों को स्थानीय न्यायालय अथवा अधिवक्ता के घर आने जाने हेतु कोई मार्ग भत्ता नहीं दिया जाता है । नगर महापालिका, कानपुर व बरेली द्वारा साइकिल का उपयोग करने वाले पैरोकारों को रु0 10/- प्रतिमास तथा अन्य साधनों का उपयोग करने वालों को वास्तविक व्यय का भुगतान मांगे जाने पर किया जाता है।

नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा यह भत्ता रु0 7/- प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है तथा नगर महापालिका, लखनऊ में यह भत्ता रु0 0.50 प्रति किलोमीटर की दर से अधिकतम रु0 50/- प्रतिमास दिया जाता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि प्रदेश की नगर महापालिकायें स्वायत्त शासी निकाय हैं, जो नियमानुसार मार्ग भत्ता देती है जिसमें शासन हस्तक्षेप नहीं करता।

उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील पर भूमि बचाओं संघर्ष समिति कांथा का ज्ञापन

66—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील पर भूमि बचाओं संघर्ष समिति कांथा के धरने का कोई ज्ञापन जनवरी, 86 के दूसरे सप्ताह में एस0 डी0 एम0 को दिया गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील पर भूमि बचाओं संघर्ष समिति, कांथा के धरने का ज्ञापन परगना मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने वन विभाग द्वारा प्रार्थियों की भूमि पर कब्जा किये जाने की बात उठाई थी ।

वस्तुस्थिति यह है कि यह भूमि वन विभाग की है जिसके स्वामित्व के बारे में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में भी विभाग के पक्ष में फैसला हो चुका है। अतः ज्ञापन पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बदरका, जिला उन्नाव में महामहिम राज्यपाल पर पेपर फेकने की अशोभनीय घटना

67—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि गत 7 जनवरी, 86 को बदरका, जिला उन्नाव में महामहिम राज्यपाल की ओर पेपर फेंकने की कोई अशोभनीय घटना घटित हुई थी ? यदि हां, तो इस अशोभनीय घटना पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी घटना की सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया पूरवा, जिला उन्नाव में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर टैक्सक्लर्क की नियुक्ति की जांच

68–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया पुरवा जिला उन्नाव के टैक्स क्लर्क के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने का कोई मामला दि0 1-7-85 के पत्र द्वारा राजकुमार सोनकर, महामंत्री समाजवादी युवजन सभा, उ0 प्र0 द्वारा उनकी जानकारी में लाया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मौरावां की जलापूर्ति का ठप्प होना तथा टाउन एरिया में धन का फर्जी भुगतान

69–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा मौरावां की जलपूर्ति के ठप्प होने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दि0 10-1-86 को उन्हें मिला है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र में मौरावां कस्बे की टाउन एरिया धनराशि का फर्जी बाउचरों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की शिकायत भी थी ? यदि हां, तो फर्जी बाउचरों की जांच की दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रेंजर कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिलाने का प्रस्ताव

70–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट एण्ड कालेसेज के निदेशक ने दि0 28 जुलाई, 83 को अपने पत्र संख्या 1410/83-डी0 एफ0 ई0/5-2-62 (पी0 टी0 111) द्वारा राज्य सरकारों की सिफारिश की थी कि जिन फारेस्ट रेंजरों ने आनर्स के साथ रेंजर कोर्स पास किया है उन्हें राज्य वन सेवा प्राशिक्षण के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दे दिया जाय ? यदि हां, तो क्या शासन ने उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही की ? यदि नही, तो कब तक कार्यवाही परिपूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

"रूल्स फार दी डिप्लोमा कोर्स इन फारेस्ट्री" नियमावली में अभी तक भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है । उक्त नियमावली में भारत सरकार द्वारा संशोधन करने के पश्चात जब प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया जायेगा तभी आनर्स के साथ उत्तीर्ण रेंजर्स को राज्य वन सेवा प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में भेजना संभव हो सकेगा ।

उन्नाव जिले के टाउन एरिया पुरवा व मौरावां में सफाई मजदूरों की संख्या

71–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की क्रमशः टाउन एरिया पुरवां व मौरावां में सफाई कर्मचारियों की कितनी संख्या है ? क्या यह आबादी के हिसाब से निर्धारित मानक के

अनुसार है ? यदि नहीं, तो सफाई कर्मचारियों की संख्या मानक के अनुसार कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा रक्षकों के आवास का आवंटन

72–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा रक्षकों की ड्यूटी राउन्ड दि क्लाक होती है फिर भी उन्हें आवास सचिवालय से काफी दूर पर आवंटित किये गये हैं? यदि हां, तो सरकार कार्य की प्रवृत्ति को देखते हुए सचिवालय के सन्निकट आवास देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विधान भवन रक्षकों की ड्यूटी राउंड दि क्लाक नहीं होती है। नियमानुसार संबंधित कर्मचारी द्वारा विभिन्न आवासीय कालोनियों में उनके द्वारा दी गयी वरीयतानुसार प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तिथि से क्रमानुसार आवंटन किया जाता है ।

संबंधित कर्मचारी द्वारा आवास परिवर्तन हेतु भरे गये निर्धारित प्रपत्र में सचिवालय के सन्निकट कालोनी हेतु दी गयी वरीयता एवं क्रमानुसार ही आवंटन किया जा सकेगा ।

सचिवालय से चोरी गयी साइकिलों की संख्या तथा साइकिल चौकीदारों की ड्यूटी की व्यवस्था

73–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में सचिवालय में कितनी सायकिलें चोरी की सूचना प्राप्त हुई तथा कितने साइकिल चौकीदार ड्यूटी पर कहां-कहां लगे हैं? क्या यह सही है कि साइकिल चौकीदारों द्वारा साइकिल चौकीदारी न कराकर अधिकारियों ने अपने निजी कार्य में लगा रखा है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

8 (आठ)

एनेक्सी भवन–6, विकास भवन–6, जवाहर भवन–6, मुख्य भवन–6, बहुखण्डी भवन–6, नवीन भवन–6, 2 चौकीदार रिजर्व में हैं जो किसी भवन में साइकिल चौकीदारों के अवकाश पर होने या अनुपस्थित होने पर उनके स्थान पर तैनात किये जाते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा रक्षकों को अवकाश के दिनों में ड्यूटी के बदले में एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने पर विचार

74–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन रक्षक अवकाश के दिनों में प्रतिकर अवकाश के अलावा अतिरिक्त ड्यूटी करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके लिए अतिरिक्त एक महीने का वेतन देने के विषय में विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। प्रतिकर अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनों में सचिवालय सुरक्षा दल के कुल रक्षकों के लगभग 50 प्रतिशत रक्षकों की ड्यूटी प्रत्येक अवकाश दिवस में लगायी जाती है।

जी नहीं।

विधान भवन रक्षकों को प्रत्येक दिन केवल 5 घंटे ड्यूटी देनी होती है, जबकि राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को एक

दिन में 7 घंटे की ड्यूटी देनी होती है। इसके अलावा प्रत्येक माह 2 दिन का प्रतिकर अवकाश के अतिरिक्त 4 दिन का रेस्ट भी दिया जाता है । ऐसी परिस्थिति में विधान भवन रक्षकों को एक माह का अतिरिक्त वेतन दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

पत्रकारों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने पर विचार

75—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रकारों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब से शुरू हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा कौल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एशबाग रेलवे क्रासिंग (लखनऊ) पर ओवर ब्रिज निर्माण की योजना

76—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एशबाग रेलवे क्रासिंग (लखनऊ) पर ओवर ब्रिज बनाने की योजना सरकार के पास विचाराधीन है जिससे प्रतिदिन ट्रैफिक जाम न हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

एशबाग रेलवे सम्पार संख्या 4 के स्थान पर सड़क उपरिगामी सेतु के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुत्रियों के आश्रितों को लाभ देने पर विचार

77—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों के आश्रितों को भी सरकार वही लाभ देने जा रही है जो उनके पुत्रों के आश्रितों को है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शोध परियोजनाओं में कार्य कर रहे छात्रों एवं फील्ड सहायकों के पारिश्रमिकों का भुगतान

78—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 84-85 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् का आयोजनागत व्यय 86 लाख रुपये स्वीकृत हुआ था ? क्या यह भी ज्ञात है कि वर्ष 84-85 में लगभग 120 शोध परियोजनायें जो स्वीकृत थीं, पर शोध कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में चल रहा था ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयोजनागत स्वीकृत धन में से निदेशक द्वारा केवल 7 लाख रुपया ही व्यय करने तथा चल रही शोध परियोजनाओं में कार्य कर रहे छात्रों एवं फील्ड सहायकों को उनके पारिश्रमिक अब तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मुख्य मंत्री जी चल रही शोध परियोजनाओं की सम्पूर्ण सूची वह कहां-कहां चलाई जा रही है तथा उनमें कितना भुगतान अब तक किया गया है ? सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1984-85 में विज्ञान एवं प्राद्योग परिषद्, उ0 प्र0 के लिये आयोजनागत मद में 63.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 1984-85 तक 192 शोध प्रयोजनायें जो कि पूर्ण नहीं हुई थी शोध कार्य कराये जाने हेतु चल रही थी। यह प्रायोजनायें विभिन्न विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में चल रही थी। शोध कार्यों के लिये उक्त वर्ष तक कुल रुपये 25,25,342.02 पैसे अनुदान के रूप में अवमुक्त किये गये। जैसे-जैसे औपचारिकतायें पूर्ण हो जाती है अनुदान का भुगतान कर दिया जाता है। किसी भी शोध सहायक अथवा सहायक का पारिश्रमिक अन्यथा नहीं रोका गया है। शोध प्रायोजनाओं की सूची संलग्न† है जिसमें भुगतान की स्थिति भी दर्शाई गई है।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के अधीन कार्यरत सांख्यकी/अर्थ शास्त्र एवं प्रसार अनुभाग के चयनित कर्मचारियों का वेतनमान

79–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के अधीन कार्यरत सांख्यकी अर्थशास्त्र एवं प्रसार अनुभाग के परिषदीय कर्मचारियों को परिषदीय वेतनमान 550-900 एवं 425–700 क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् का गठन माननीय राज्यपाल महोदय के शासनादेश दिनांक 15-12-76 के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के समकक्ष किया गया है तथा उक्त अनुभागों के पदों का विज्ञापन एवं साक्षात्कार भी उपरोक्त वेतनमान में ही लिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उ0 प्र0 गन्ना शोध संगठन, जो पूर्णतया एक राजकीय संगठन था, को शासनादेश दिनांक 15-12-76 के द्वारा दिनांक 1-1-1977 से उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के "समकक्ष" एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस परिषद् की गवर्निंग बाडी द्वारा ही पदों का सृजन तथा वेतनमानों का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार प्रश्न में उल्लिखित वेतनमानों में ग्रेड-1 व ग्रेड-2 के विभिन्न पदों पर चयन हेतु वर्ष 1977 में विज्ञापन निकाले गये जिनमें प्रश्नगत विषय भी सम्मिलित थे। परन्तु साक्षात्कार के पूर्व परिषद् की गवर्निंग बाडी द्वारा दिनांक 29-3-79 को यह निर्णय लिया गया कि स्टैटिस्टिकल, इकनामिक्स एक्सटेन्शन तथा फार्म मैनेजमेन्ट को गैर वैज्ञानिक वर्ग में रखा जाय।

अतः साक्षात्कार के उपरान्त उक्त विषयों से संबंधित उपयुक्त पाये गये चयनित अभ्यर्थियों को गैर वैज्ञानिक पदों हेतु निर्धारित परिषदीय वेतनमानों रु0 350–700 (पुनरीक्षित 570-1100 रु0) तथा 280-460 (पुनरीक्षित 470-735 रु0) क्रमशः में नियुक्ति पत्र जारी किये गये जिनके आधार पर बिना किसी शर्त के उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया।

†छापी नहीं गई।

उ0 प्र0 चलचित्र निगम के महा प्रबन्धक को बढ़ा हुआ वेतन देने का औचित्य

80—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उ0 प्र0 चलचित्र निगम के महाप्रबन्धक (श्री वी0 के0 भारद्वाज) निगम से बढ़ा हुआ संशोधित वेतनमान 2050–2500 रु0 ले रहे हैं जबकि इसे वेतन आयोग तथा उ0 प्र0 सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो द्वारा रिजेक्ट किया जा चुका है ? यदि हां, तो बढ़ा हुआ वेतनमान भुगतान किये जाने का औचित्य क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार लिए गए अधिक धन को तुरन्त जमा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा कौल—

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम के तत्कालीन महाप्रबन्धक श्री वी0 के0 भारद्वाज के निदेशक मंडल की संस्तुति से, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की स्वीकृति की प्रत्याशा में, रु0 2050–2500 का वेतनमान इस शर्त के अधीन स्वीकार किया गया था कि यदि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा इस निर्णय का अनुमोदन न किया गया तो श्री भारद्वाज द्वारा अतिरिक्त आहरित वेतन वापस कर दिया जायेगा । निगम के निदेशक मण्डल ने अब यह निर्णय लिया है कि चूंकि श्री भारद्वाज निगम छोड़ चुके हैं अतः उनसे अब अतिरिक्त आहरित वेतन की वसूली न की जाय तथा निदेशक मण्डल के उक्त निर्णय से सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को भी अवगत करा दिया जाये । अतिरिक्त आहरित वेतन स्वीकार करने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है ।

उ0 प्र0 चलचित्र निगम के महाप्रबन्धक के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच

81—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सूचना मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 चलचित्र निगम के महाप्रबन्धक (श्री वी0 के0 भारद्वाज) द्वारा बिना वित्तीय अधिकार के ही चरखारी सिनेमाघर में विद्युतीकरण कार्य के विरुद्ध मेसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रिकल कम्पनी को 25 हजार रुपये का भुगतान कराया है ? यदि हां, तो यह भुगतान किस अधिकार से कराया गया और उनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ?

श्रीमती दीपा कौल—

प्रश्नगत मामले में जांच करायी जा रही है । जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

82—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सूचना मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 चलचित्र निगम के महाप्रबन्धक द्वारा बिना वित्तीय अधिकार के ही निम्नलिखित कोटेशन स्वीकार किये हैं अथवा भुगतान दिलाये हैं :—

(क) हरिद्वार में बने सिनेमाघर में लोहे की सरिया क्रय करने हेतु एक लाख पच्चीस हजार दो सौ पैंसठ रुपये का कोटेशन स्वीकार किया है ?

(ख) अतरौलिया सिनेमाघर बिजली के कार्य हेतु श्री मन्त प्रयाग इलेक्ट्रिकल कम्पनी को 25 हजार रुपया का भुगतान कराया ?

(ग) निगम के सिनेमाघरों जहानाबाद एवं जैदपुर में कुर्सियों के आपूर्ति के विरुद्ध क्रमशः 48 हजार रुपये तथा 50

हजार रुपया भुगतान कराया जबकि यह कुर्सियां मानक के अनुसार नहीं पायी गयी ?

यदि हां, तो उनके विरुद्ध अभी तक कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ?

श्रीमती दीपा कौल–

प्रश्नगत मामलों में जांच करायी जा रही है ।

जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

83–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सूचना मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 चलचित्र निगम के महाप्रबन्धक (श्री वी0 के0 भारद्वाज) ने एक फिल्म निर्माता श्री त्रिपाठी द्वारा दिये गये मु0 दस हजार रुपये के खर्च बाउचर को अपने द्वारा लिये गये अग्रिम धन में समायोजित करा लिया है और यह तथ्य निगम के अधिकारियों के संज्ञान में भी आ गया है ? यदि हां, तो महाप्रबन्धक के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ?

श्रीमती दीपा कौल–

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लि0 के फिल्म निर्माता श्री रमेश त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किये गये लगभग रु0 दो हजार के बाउचर महाप्रबन्धक श्री वी0 के0 भारद्वाज द्वारा अपने खाते में समायोजित करवा लेने की ही शिकायत की गयी है। जिसकी जांच की जा रही है । जांच के उपरान्त ही दोष सिद्ध होने पर कार्यवाही करना संभव होगा ।

उ0 प्र0 चलचित्र निगम के महाप्रबन्धक तथा प्रबन्धक निर्माण को अर्दली भत्ता

84–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सूचना मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 चलचित्र निगम के महाप्रबन्धक (श्री वी0 के0 भारद्वाज) तथा प्रबन्धक निर्माण (श्री आर0 के0 दूबे) निगम से 200/-रु0 प्रतिमाह अर्दली भत्ता ले रहे हैं जबकि वेतन आयोग ने ऐसे किसी भत्ते को दिये जाने की सिफारिशों के आधार पर इस तरह का कोई भत्ता दिये जाने का निर्णय नहीं किया है ? यदि हां, तो यह भत्ता किसकी स्वीकृति पर दिया जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है ? क्या मंत्री जी जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने और भत्ता के रूप में लिया गया सारा धन वसूल कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा कौल–

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम के महाप्रबन्धक तथा वरिष्ठ प्रबन्धक (निर्माण) निगम के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत रु0 150/-प्रतिमाह की दर से अर्दली भत्ता ग्रहण करते थे । जिस समय यह भत्ता निगम के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकार किया गया था उस समय वेतन आयोग की संस्तुतियां प्राप्त नहीं हुई थीं । अब माह जनवरी, 1986 से अर्दली भत्ते का भुगतान बन्द कर दिया गया है । इस भत्ते की स्वीकृति के लिये कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं है ।

85–श्री अर्जुन सिंह यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगरपालिका जौनपुर द्वारा जनरल असेसमेन्ट

86–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका जौनपुर द्वारा जनरल

असेसमेन्ट किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे निकायों के चुनाव होने तक रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

जी नहीं ।

नगर पालिका की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उसकी आय के संसाधनों में वृद्धि हो जिससे वह अपने निरन्तर बढ़ते हुए व्यय को वहन करने तथा अनिवार्य दायित्वों को पूरा करने तथा समुचित स्तर पर नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने में समर्थ हो सके । इस निमित्त किए जा रहे प्रयासों में पंचवर्षीय कर निर्धारण की कार्यवाही जो विगत कई वर्षों से लम्बित है, भी सम्मिलित है । पंचवर्षीय कर निर्धारण की कार्यवाही संबंधित अधिनियम में निर्धारित विधिक प्रक्रिया पूर्ण करके ही की जा रही है।

नगरपालिका एवं नगर महापालिका के कर अधीक्षक श्रेणी-1 तथा श्रेणी-3 का वेतन मान

87–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका एवं नगरमहापालिका के कर अधीक्षक श्रेणी-1 का वेतनमान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्रेणी-3 के बराबर कर दिया गया है जबकि कर अधीक्षक का वेतन अधिशासी अधिकारी श्रेणी 3 से अधिक था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) 1979-80 की संस्तुतियों के आधार पर उक्त पद धारकों का वेतन-मान समान कर दिया गया है ।

उ0 प्र0 पुलिस में सिपाहियों की संख्या में समानुपातिक वृद्धि

88–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आई0 जी0, डी0 आई0 जी0, सब इन्सपेक्टर थानों की संख्या आदि की वृद्धि के साथ ही जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए सिपाहियों की संख्या में समानुपातिक वृद्धि की गई ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सिपाहियों की आनुपातिक वृद्धि के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो सिपाहियों की समानुपातिक वृद्धि कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

वर्ष 1979-80 तथा 1981 के तीन चरणों में अपराध आंकड़ों तथा वर्ष 1977 की प्रकल्पित जनसंख्या के आधार पर नागरिक पुलिस के नियतन में 8202 कान्सटेबिल के पदों की वृद्धि की गई थी ।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा कान्सटेबिल के पदों में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

89–श्री अर्जुन सिंह यादव–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी श्रेणी 3 तथा सहायक कर अधीक्षक के वेतनमान में असमानता

90–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि अधिशासी अधिकारी नगरपालिका श्रेणी 3 तथा सहायक कर अधीक्षक के वेतनमान में अन्तर कर दिया गया है ? यदि हां; तो क्यों ? क्या शासन पुनः बराबर वेतनमान के संबंध में विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

यह अन्तर तृतीय वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद जौनपुर में पीली नदी पर नोपेडवा लेदुका मार्ग का निर्माण कार्य

91–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर नोपेडवा लेदुका मार्ग पर पीली नदी पर बनने वाले पुल पर संपर्क मार्ग पर धन का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो उसके निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराये जाने का क्या कारण है तथा यह निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

मार्च, 1988 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

स्थानीय निकाय में कर अधीक्षकों एवं सहायक कर अधीक्षकों के नियमितीकरण की कार्यवाही

92–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सेवा नियमावली, 1966 के तदर्थ नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण हेतु जारी राजाज्ञा 1978 एवं 30 अगस्त, 1984 के अनुपालन में निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा कर अधीक्षकों एवं सहायक कर अधीक्षकों की सेवाओं के नियमितीकरण की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसमें विलम्ब के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है ? क्या उसके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

दिनांक 26-6-1986 को 15 कर अधीक्षकों के नियमितीकरण के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं तथा 15 कर अधीक्षकों/सहायक कर अधीक्षकों के नियमितीकरण के आदेश जारी किए जा रहे हैं शेष के संबंध में औपचारिकता पूरी कराने के पश्चात् नियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विलम्ब के लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। नियमावली के प्रकाशन एवं अधिकारियों के सेवा अभिलेखों को पूरा करने में समय लगना स्वाभाविक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद नगर के पूर्व थाना कौनिंग्टन एवं थाना सिविल लाइन्स के अन्तर्गत अपराधों की संख्या तथा चोरी गए सामान की बरामदगी

93–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद नगर के पूर्व थाना कौनिंग्टन एवं वर्तमान थाना सिविल लाइन्स के अंतर्गत वर्ष 83-84, 84-85 तथा 85-86

में कितने बैंक चोरी, बैंक डकैती तथा दिन दहाड़े स्कूटर मोटर साइकिल की लूट तथा चोरी डकैती के मामले दर्ज हुए और कितने अपराधों को वर्क आउट किया गया व माल बरामद किया गया ? यदि वर्क आउट नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार इलाहाबाद के पूर्व थाना कौनिंग्टन एवं वर्तमान थाना सिविल लाइन्स के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में दिन दहाड़े बैंक डकैती या स्कूटर, मोटर साइकिल की लूट की कोई घटना नहीं हुई । इस अवधि में स्कूटर चोरी की 3 घटनाएं हुई जिनमें से एक स्कूटर बरामद किया गया तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । शेष दो स्कूटरों का कोई पता नहीं चला ।

वर्ष 1984-85 में भी बैंक डकैती और स्कूटर, मोटर साइकिल लूट की कोई घटना नहीं हुई । 3 स्कूटर चोरी की घटनाएं हुई किन्तु काफी प्रयास के बाद भी न तो स्कूटर बरामद किए जा सके और न ही अभियुक्तों का पता लग पाया।

वर्ष 1985-86 में दिनांक 11-11-85 को 5-6 अज्ञात डकैतों द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक सिविल लाइन्स से 4 लाख 45 हजार तीन सौ 54 रुपए लूटे गए । इस अभियोग से संबंधित दो अभियुक्तों का पता लगा लिया गया है जो बड़ौदा जेल में हैं तथा उन्हें इलाहाबाद लाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास भी निरन्तर जारी है।

उक्त अवधि में स्कूटर, मोटर साइकिल लूट की कोई घटना नहीं हुई किन्तु स्कूटर चोरी की 6 घटनाएं हुई । पुलिस द्वारा काफी प्रयास के बाद भी चोरी गए स्कूटर बरामद नहीं किए जा सके ।

आयुक्त बिक्रीकर के विरुद्ध शिकायती पत्र

94–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा द्वितीय सत्र 1985 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न 42 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1384 दिनांक 16-7-85 मुख्य मंत्री को दिनांक 16-7-85 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है वह क्या दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

95–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 4-3-86 को अता0 प्र0 सं0 94 द्वारा उत्तरित]

96–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

आयुक्त बिक्रीकर बनाम स्टर्लिंग मशीन टूल्स मुकदमों के सम्बन्ध में पत्र पर मांगी गयी जानकारी

97–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रेफरेंशेस सं0 482 आफ 1977 आयुक्त बिक्रीकर बनाम स्टर्लिंग मशीन टूल्स वर्ष 68-69 में निर्णय दिनांक 28-2-79 को दिया है और आयुक्त के द्वारा दाखिल रेफरेंस प्रार्थना पत्र को खारिज किया है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 359 दिनांक 16-11-85 इस संबंध में मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है क्या उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । किन्तु इस विषय पर माननीय सदस्य का उक्त संख्यांकित पत्र दिनांक 5-11-85 प्राप्त हुआ है ।

पत्र में वांछित सूचना अभी आयुक्त बिक्रीकर से प्राप्त नहीं हो सकी है। सूचना प्राप्त होते ही माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया जायेगा ।

उपायुक्त, बिक्रीकर, गोरखपुर और बिक्री कर अधिकारी, बहराइच के विरुद्ध राजस्व की हानि के बारे में शिकायती पत्र की जांच

98–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पांचवें शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उपायुक्त के विरुद्ध जांच किस अधिकारी ने की थी और किन-किन आधारों पर आरोप निराधार पाए गए तथा अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का क्या परिणाम रहा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

नाका हिन्डोला लखनऊ के एक भांग के ठेकेदार से बकाया कर की वसूली

99–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 104 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आरोपित कर 51,090/- में से कितनी धनराशि वसूल हुई ? कितनी वसूल होने की आशा है और इस फर्म की वसूली पर विभाग का कितना खर्च हुआ ? राजस्व की हानि के लिए कौन अधिकारी दोषी है ? उसके प्रति क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कोई अनुमान देना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता।

बिक्रीकर कार्यालय, लखनऊ से फार्म 31 के गायब होने पर सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

100–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 31 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जो जांच कराई गई थी उसका क्या परिणाम रहा? विभागीय परिपत्रों के अनुसार फार्म 32 के लिए कौन जिम्मेदार है तथा उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पुलिस अपराध अनुसंधान विभाग से अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

बिक्रीकर विभाग में प्रदेश के बाहर से लखनऊ में मंगाई गई विज्ञापन सामग्री से प्राप्त राजस्व

101–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 97 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिकारी के स्पष्टीकरण पर क्या निर्णय हुआ तथा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आयुक्त बिक्रीकर बनाम त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स के वाद में निर्णय के संबंध में पत्र

102–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0 संख्या 255 आफ 1982 आयुक्त बिक्रीकर बनाम त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स में निर्णय दिनांक 11-10-84 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1963 दिनांक 29-8-85 मुख्य मंत्री को ता0 29-8-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है ? क्या वह दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । तथापि मा0 विधायक का पत्र संख्या 1963/लो0 द0 85 दिनांक-13-5-85 प्राप्त हुआ है ।

व्यापारी पर धारा 22 के अंतर्गत आदेश दिनांक 1-6-79 द्वारा 1,62,261-40 रु0 कर आरोपित किया गया था। संदर्भगत पत्र में अन्य बिन्दु इस प्रकल्पना पर आधारित है कि कर-निर्धारक अधिकारी ने संभवत: उक्त कर-निर्धारण सद्भाव से नहीं किया। बिक्रीकर के बहुत से मामले प्रतिमाह उच्च न्यायालय तथा अधिकरण में निर्णीत होते रहते हैं । इनमें से अनेकों मामलों में निर्णय विभाग के पक्ष में होता है तथा अनेकों में विभाग के विपरीत/विभिन्न जर्नल्स दोनों प्रकार के निर्णय अपनी स्वेच्छा से प्रकाशित करते है। मा0 विधायक का उपरोक्त पत्र विभाग के विरुद्ध दिये गये एवं एक जर्नल में प्रकाशित निर्णय पर आधारित है । किसी बिन्दु पर भिन्न-भिन्न विधिक मत भी हो सकते हैं । एक ही बिन्दु पर उच्च न्यायालय की ही विभिन्न पीठें कभी-कभी भिन्न-भिन्न मत व्यक्त करती हैं और उच्च न्यायालय के मत को सर्वोच्च न्यायालय भी कभी-कभी सही नहीं मानते । करनिर्धारक अधिकारी का कार्य भी अर्ध न्यायिक होता है। मात्र इसका कारण कि किसी बिन्दु पर उनका मत अपील/रिवीजन आदि में सही नहीं माना गया यह नहीं कहा जा सकता कि उनका कार्य दुराशयतापूर्ण था तथा उसके लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए । उपरोक्त कारणों से उनका विशिष्ट उत्तर देना आवश्यक नहीं प्रतीत होता ।

बिक्री-कर आयुक्त के मुख्यालय भवन के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

103–श्री यदुनाथ सिंह –

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छठे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 64 के उत्तर के संदर्भ में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 290 दिनांक 6-11-85 मुख्य मंत्री जी को इस संबंध में ता0 6-11-85 को मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है क्या वह दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आयुक्त बिक्रीकर बनाम गोंडा इण्डस्ट्रीज लि0 मोदीनगर निर्णय के संबंध में पत्र

104–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने निर्णय सिविल मिस0

रिट पिटीशन सं0 121 आफ 1982 फर्म मोदी इण्डस्ट्रीज लि0 मोदीनगर बनाम आयुक्त बिक्रीकर में दिनांक 16-9-82 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 383 दिनांक 20-11-85 मुख्य मंत्री को 20-11-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है वह उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । तथापि माननीय विधायक का पत्र संख्या 302/लो0 द0/85 दिनांक 11-11-85 प्राप्त हुआ है।

जी नहीं । मामले के विषय में पूर्ण तथ्यों की जानकारी की जा रही है जिसके प्राप्त होने पर मा0 सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा ।

फर्म मोहन सिंह दास मंगलौर बनाम आयुक्त बिक्रीकर के संदर्भ में बिक्रीकर अधिकरण का निर्णय के संबंध में पत्र

105–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर अधिकरण मुजफ्फरनगर ने द्वितीय अपील संख्या 1307 1982 वर्ष 73-74 फर्म मोहन सिंह दास मंगलौर बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 2-5-84 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 355 दिनांक 16-11-85 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 16-11-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है वह क्या उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । तथापि माननाय विधायक का पत्र संख्या 355/लो0 द0/85 दिनांक– 9-11-85 प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं । मामले में कर निर्धारण आदेश दिनांक 23-11-77 में वास्तव में कोई गलती नहीं थी । कर-निर्धारण आदेश के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री दुर्गा प्रसाद नारायण दत्त गाजियाबाद बनाम स्टेट आफ उ0 प्र0 एण्ड अदर्स (1979 यू0 पी0 टी0 सी0 पृष्ठ 857) में दिया निर्णय दिया गया था कि दामी, तुलाई मण्डी शुल्क क्रयधन का नाम है अतः इन मदों पर भी कर आरोपित होना था । इस निर्णय के आधार पर धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही करके 3566 रु0 कर निर्धारित किया गया जिसे न्यायाधिकरण द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि मामले में धारा 22 की कार्यवाही कालावधित थी। मूल कर निर्धारण आदेश से 3 वर्ष के अन्दर धारा 22 की कार्यवाही न करने के लिए संबंधित बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु मामले की जांच करायी जा रही है जिसके उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

कानपुर परिक्षेत्र में करदाताओं को बिक्रीकर रिफंड करने के सम्बन्ध में पत्र

106–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर परिक्षेत्र में करदाताओं को बिक्रीकर का रिफंड देने में विलम्ब किया जा रहा है और इन रिफंड पर ब्याज भी ड्यू हो गया है ? क्या इस सम्बन्ध में आयुक्त बिक्रीकर ने एक अ0 शा0 पत्र रिफंड (85-86) 2281/बिक्रीकर दिनांक 21-1-85 जारी किया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 323-ए दिनांक 8-11-85 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां,

तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कानपुर परिक्षेत्र के करदाताओं को बिक्रीकर के रिफण्ड के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

मा0 सदस्य का पत्र संख्या 323ए दिनांक 8-11-85 उपलब्ध न होने के कारण मा0 सदस्य से पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर मा0 सदस्य को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जायगी ।

ज्ञान चन्द्र विजय प्रकाश बदायूं बनाम आयुक्त बिक्रीकर के सन्दर्भ में उच्च न्यायालय के निर्णय से संदर्भित पत्र

107–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सिविल मि0 रिट पिटीशन सं0 939 आफ 1983 फर्म ज्ञान चन्द्र विजय प्रकाश बदायूं बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 9-4-83 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 316 दिनांक 8-11-85 मुख्य मंत्री को ता0 8-11-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र मे जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है वह क्या दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी नहीं। किन्तु माननीय सदस्य का उक्त संख्यांकित पत्र दिनांक 5-11-85 प्राप्त हुआ था ।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर प्राप्त जानकारी के अनुसार करदाता के अभिग्रहीत बहीखाते दि0 23-6-82 को फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि को उनके हस्ताक्षर प्राप्त करके अभिग्रहण कर्ता अधिकारी श्री के0 एन0 सिंह द्वारा वापस कर दिये गये थे। अधिकारी का तथाकथित पत्र दिनांक 23-6-82 न तो सम्बन्धित पत्रावली पर है और न कार्यालय से डिस्पैच किया गया है। बिना मूल पत्र को देखे यह कहना सम्भव नहीं कि पत्र जाली था अथवा नहीं । उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद की गई कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान इस कथित पत्र पर कोई विवाद व्यापारी द्वारा नहीं उठाया गया। चूंकि विभागीय अभिलेखानुसार बहीखाते 23-6-82 को व्यापारी ने प्राप्त कर लिये थे, अधिकारी का कोई दोष प्रकाश में नहीं आता और फलतः उसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

राम स्वरूप शान्ती स्वरूप बनाम आयुक्त बिक्रीकर के निर्णय के सम्बन्ध में पत्र

108–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर अधिकरण मुरादाबाद ने द्वितीय अपील संख्या 246 आफ 1982 वर्ष 74-75 राम स्वरूप शान्ती स्वरूप बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 21-6-84 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 288 दिनांक 6-11-85 मुख्य मंत्री को दिनांक 6-11-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है वह क्या उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। किन्तु फर्म का नाम राम गुलाम शान्ति स्वरूप है।

जी नहीं। तथापि माननीय विधायक का पत्र संख्या–288/लो0 द0/85, दि0 5-11-85 प्राप्त हुआ है।

जी नहीं। दि0 7-11-81 को हुए अग्निकाण्ड में इस व्यापारी की पत्रावली जल गई है तथा फार्म-31 की मूल प्रति आदि सभी कागजात नष्ट हो चुके हैं। उनके अभाव में यह कहना सम्भव नहीं है कि हेराफेरी किसके द्वारा की गई थी। बिक्रीकर अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर न करने का निर्णय न्याय विभाग द्वारा लिया गया था।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम रतनचन्द, हजारी लाल बनाम आयुक्त बिक्रीकर के निर्णय से संबंधित पत्र

109–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 609 आफ 1982 आयुक्त बिक्रीकर बनाम रतनचन्द्र हजारी लाल बनाम आयुक्त बिक्रीकर वर्ष 71-72 में निर्णय दिनांक 8-8-83 को दिया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 258 दिनांक 2-11-85 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 2-11-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। यह निर्णय 1983 ए0 टी0 जे0 701 में छपा है।

जी नहीं। तथापित माननीय विधायक का पत्र संख्या 258/लो0 द0/65 दिनांक 10-6-85 प्राप्त हुआ है।

जी नहीं। बिक्रीकर के बहुत से मामले प्रति माह उच्च न्यायालय तथा अधिकरण में निर्णीत होते रहते हैं। इनमें से अनेकों मामलों में निर्णय विभाग के पक्ष में होता है तथा अनेकों में विभाग के विपरीत। विभिन्न जर्नल्स दोनों प्रकार के निर्णय अपनी स्वेच्छा अनुसार प्रकाशित करते हैं। माननीय विधायक का उपरोक्त पत्र विभाग के विरुद्ध दिये गये एवम् एक जर्नल में प्रकाशित निर्णय पर आधारित है।

विधिक विन्दु पर भिन्न-भिन्न मत भी हो सकते हैं। उच्च न्यायालय की ही विभिन्न पीठें कभी-कभी भिन्न-भिन्न मत व्यक्त करती हैं और उच्च न्यायालय के मत को सर्वोच्च न्यायालय भी कभी-कभी सही नहीं मानते। कर निर्धारण अधिकारी का कार्य भी प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी के कार्य की भांति अर्धन्यायिक होता है। अतएव मात्र इस कारण कि उनके द्वारा किसी बिन्दु पर व्यक्त मत अधिकरण या उच्च न्यायालय ने नहीं माना है, अधिकारी को दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि उनकी कोई दुराशयता न प्रतीत होती हो। इन सभी कारणों से उपरोक्त पत्र में अनेक प्रश्नों की सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसे मामलों में राजस्व हानि भी नहीं कही जाती।

110–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

आयुक्त बिक्रीकर बनाम देवलाल मुन्ना लाल के निर्णय के सन्दर्भ में पत्र

111–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स

रिवीजन संख्या 469 व 468 आफ 1978 आयुक्त बिक्रीकर बनाम देव लाल मुन्ना लाल में निर्णय दिनांक 20-9-79 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 260 दिनांक 2-11-85 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है? क्या वह उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । लेकिन माननीय सदस्य का एक पत्र संख्या-260/लो0द0/85, दिनांक 10-6-85 प्राप्त हुआ था ।

उक्त पत्र का उत्तर 24 फरवरी, 1986 को दिया जा चुका है ।

बिक्रीकर कार्यालय, कानपुर में बिक्रीकर अधिकारियों के ट्रांसफर के निर्धारण के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

112–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 147 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 1548 में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

सूचना एकत्रित की जा रही है।

लखनऊ के आबकारी ठेकेदारों पर बकाया बिक्रीकर के वसूली के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही

113–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 384 दिनांक 20-11-85 मुख्य मंत्री को ता0 20-11-85 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय विधायक का पत्रांक 384/लो0द0/85 दिनांक 5-11-85 प्राप्त हुआ है उसमें मांगी गयी सूचनाएं देने में अत्याधिक कार्य एवं समय तथा श्रम निहित है, वह सीमित महत्व की अनुमान से सम्बन्धित तथा बिक्रीकर से भिन्न विभागों से भी सम्बन्धित है । इन सभी कारणों से उसे देना सम्भव नहीं है । अता0 प्रश्न सं0 154 का जो प्रथम सत्र 1984 के पांचवें शुक्रवार के लिए अता0 प्रश्न सं0 58 के रूप में पुनः निर्धारित हुआ था, उत्तर दिया जा चुका है।

114–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

स्व0 श्री अरुण सिंह ग्राम खैरापोट (पडरी) जनपद गोण्डा की हत्या की सी0आई0डी0 जांच

115–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित ता0 प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के संदर्भ में गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो मुकदमा धारा 302 में पंजीकृत किया गया था उसमें क्या प्रगति हुई? क्या अपराध अनुसंधान विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में क्या-क्या तथ्य पाये गये ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

अपराध अनुसंधान विभाग से जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में कोर्टफीस स्टाम्पस व स्टाम्प पेपर का अभाव के सम्बन्ध में पत्र

116–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 37 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 2122 दिनांक 3-7-85 मुख्य मंत्री को दिनांक 3-7-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या स्टाम्प पेपर व स्टाम्प की काला बाजारी रुक गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 2122 दिनांक 1-7-1985 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 3-7-1985 को प्राप्त हुआ था। प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से स्टाम्पों की उपलब्धता की जांच की गई । 50 जिलों से सूचना प्राप्त हुई जिसमें से 10 जिलों में कतिपय अभिधान के स्टाम्पों की कमी की सूचना मिली है। पर्याप्त मात्रा में स्टाम्प उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा स्टाम्पों के वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य चार्ज किये जाने की शिकायत की भी जांच की गई। केवल मेरठ, सुल्तानपुर तथा नैनीताल के कतिपय स्टाम्प विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायत सही पाई गयी । उनके लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये हैं ।

117–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

118–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

आयुक्त बिक्रीकर द्वारा सवस्य बिक्रीकर अधिकरण बरेली से स्पष्टीकरण मांगने के सम्बन्ध में पत्र

119–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 33 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 137 दिनांक 18-9-85 इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को ता0 18-9-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है क्या वह दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, किन्तु पत्र दि0 12-9-85 का है। चूंकि इस पत्र में माननीय विधायक ने जो बिन्दु उठाये हैं वे लगभग वही हैं जो वह अपने पूर्व पत्र सं0 1398 दि0 16-1-84 तथा विधान सभा के दूसरे सत्र 1985 के 4थे मंगलवार के लिये निर्धारित उनके अतारांकित प्रश्न सं0-33 में उठा चुके हैं अतः इस पत्र का उत्तर अलग से उन्हें देना आवश्यक नही समझा गया ।

लखनऊ में नवल किशोर रोड पर स्थित बिक्रीकर कार्यालय के भवन में लगे लिफ्ट का प्रयोग

120–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-149 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि तत्कालीन उपायुक्त (शा) की जल्दबाजी के कारण नवल किशोर

रोड पर कार्यालय के भवन लेते समय लिफ्ट के प्रयोग के बारे में मकान मालिक से अनुबन्ध नहीं हुआ? अब लिफ्ट का प्रयोग कब से चालू कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नवल किशोर रोड स्थित बिक्रीकर कार्यालय में लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। भवन किराये पर लेते समय लिफ्ट के प्रयोग की बात तय नहीं हुयी थी। भवन स्वामी ने लिफ्ट के प्रयोग के लिये रु0 866.67 पैसे प्रतिमाह किराये की मांग की थी जो मितव्ययिता की दृष्टि से स्वीकार नहीं की गयी। चूंकि बिक्री कर कार्यालयों के लिये अब हिल्टन रोड स्थित भवन का क्रय कर लिया गया है और निकट भविष्य में उसमें सभी कार्यालय स्थानान्तरित हो जायेंगे अतः अब लिफ्ट के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है।

आयुक्त बिक्रीकर (अ) को अधिकांश समय तक लखनऊ तथा कानपुर में तैनात होने के कारण शिकायती-पत्र

121–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 संख्या-96 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 321 दिनांक 8-11-85 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र संख्या 1001 व 321 में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

फर्म बी0 के0 इन्डस्ट्रीज, शक्कर पट्टी कानपुर के कर निर्धारण की नॉटिस के संदर्भ में पत्र

122–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 1522 दिनांक 6-2-85 व पत्र संख्या 419 दिनांक 23-11-85 प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में वर्णित पत्र दिनांक 6-2-85 प्राप्त हुआ है जिसका उत्तर अलग से माननीय सदस्य को दिया जा रहा है। प्रश्न में वर्णित दूसरा पत्र दि0 23-11-85 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसे उपलब्ध कराने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय निर्माण निगम में लेखा सहायकों के साथ उपेक्षा एवं भेद भाव पूर्ण व्यवहार का आरोप तथा वर्तमान तैनाती का स्थान

123–श्री राम सरन तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम में एक लेखाकार के रूप में कार्य करने वाले लेखा सहायकों से संबंधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-11-85 को कोई पत्र शासन अथवा निगम को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र में किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया है तथा इस संबंध में शासन की बिन्दुवार नीति एवं समीक्षा क्या है? इस संबंध में अन्य कर्मचारियों की तुलना में केवल लेखा सहायकों के साथ होने वाले उपे-

क्षित एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार का क्या औचित्य है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। 19-11-85 के पत्र में उठाये गये बिन्दु अनुलग्नक (क) †में अंकित है। उक्त बिन्दुओं पर निर्माण निगम की आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है और वह अभी शासन के विचाराधीन है। निर्माण निगम, जो एक स्वायत्त शासी संस्था है, के मतानुसार निगम के वर्किंग मैनुअल के प्रस्तर 248(बी) एवं (डी) परिशिष्ट (ग) में अंकित लेखा सहायकों के कर्तव्यों विषयक प्राविधानों के अंतर्गत लेखा सहायकों द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन किये जाने से अन्य कर्मचारियों की तुलना में लेखा सहायकों के साथ कोई उपेक्षा एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप असंगत है।

राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत लेखा सहायकों को वित्तीय लाभ

124–श्री राम सरन तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम में ऐसे कितने लेखा सहायक हैं जिन्हें शासनादेश संख्या 4737 सी0 बी0/85-23-सा0 नि0–8 दिनांक 28-8-85 के अनुपालन में स्थानापन्न वेतन का भुगतान किया गया है? उनके नाम तथा वर्तमान तैनाती के स्थान क्या हैं? ऐसे लेखा सहायकों के नाम तथा वर्तमान तैनाती के स्थान क्या हैं जिन्होंने चौदह दिन से अधिक अवधि तक एक लेखाकार के रूप में कार्य तो किया है किन्तु उन्हें उक्त शासनादेश के अंतर्गत वित्तीय लाभ नहीं दिया गया है? उक्त शासनादेश के अनुपालन में किसी लेखा सहायक को वित्तीय लाभ देने न देने के सम्बन्ध में निगम की विस्तृत नीति एवं मापदण्ड क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ऐसे पांच लेखा सहायक हैं, जिनके नाम तथा वर्तमान तैनाती के स्थान अनुलग्नक (ख)† में अंकित है। कथित शासनादेश दिनांक 28-8-85 के अंतर्गत वित्तीय लाभ न पा सकने वाले 44 लेखा सहायकों के नाम तथा उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान अनुलग्नक (ग)† में अंकित है। प्रबन्धन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अंतर्गत ऐसे लेखा सहायक (1) जिसकी इकाई का टर्न ओवर 3.00 लाख रुपये प्रतिमाह अथवा 36.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो, तथा (2) उस इकाई पर लेखाकार को तैनात न किया गया हो, को निर्माण निगम के बर्किंग मैनुअल के प्रभावी होने की तिथि 1-4-84 से वित्तीय लाभ अनुमन्य किया गया है।

राज्य सम्पत्ति विभाग में कैन्टीन सुपरवाइजरों का पद

125–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कैन्टीन सुपरवाइजरों के कुल कितने पद हैं? क्या सभी पदों पर कैन्टीन सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राज्य सम्पत्ति विभाग में कैन्टीन सुपरवाईजरों का कोई पद नहीं है अपितु मैनेजमेंट आफीसर-कम-कैन्टीन सुपरवाईजर का केवल एक पद है। पदनाम के

†छापी नहीं गयी।

†छापी नहीं गयी।

अनुसार एक मैनेजमेंट आफीसर-कम-कैन्टीन सुपरवाईजर कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

126–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मा0 मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कैन्टीन सुपरवाइजर के पद राजपत्रित हैं अथवा अराजपत्रित?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैनेजमेन्ट आफीसर-कम-कैण्टीन सुपरवाईजर का पद राजपत्रित पद है ।

अब्दुल गनी , बन्ने मियां बनाम बिक्रीकर अधिकारी के अपील के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील

127–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्रीकर बिजनौर ने अपील सं0 787/81 व 788/81 बाबत वर्ष 73-74 व 75-76 फर्म अब्दुल गनी बन्ने मियां बनाम बिक्रीकर अधिकारी में निर्णय दिनांक 4-12-82 को दिया है और करदाता के द्वारा घोषित स्वीकृत कर को स्वीकार किया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त अपीलों के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील दायर की गयी है ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा, कितने राजस्व की हानि हुई ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

द्वितीय अपील अभी अनिर्णीत है । अतः राजस्व हानि व उसके लिये जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

फर्म गोयल ब्रदर्स चंदौसी बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील

128–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर अधिकरण मुरादाबाद की पीठ ने द्वितीय अपील सं0 776/1982 फर्म गोयल ब्रदर्स चन्दौसी बनाम आयुक्त बिक्री कर में निर्णय दिनांक 14-3-83 को दिया है और करदाता की द्वितीय अपील को स्वीकार किया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अर्थदण्ड का आदेश इस आधार पर रद्द हुआ है कि गलत धारा के अन्तर्गत यह आदेश पारित किया गया था ? यदि हां, तो ऐसा गलत आदेश पारित करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं। अर्थदण्ड का आदेश धारा 3 क(4) में किया गया था जो गलत नहीं कहा जा सकता ।

अधिकरण द्वारा भिन्न मत व्यक्त करने मात्र से किसी को दोषी मानने का अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम मैटल कार्नस में निर्णय के संबंध में पत्र

129–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 342 आफ 1981 आयुक्त बिक्रीकर बनाम मैटल कार्नस में निर्णय 7-7-82 को दिया और आयुक्त बिक्रीकर के द्वारा दाखिल रिवीजन को अस्वीकार किया था ? यदि हां, तब मा0 मंत्री जी

बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 356 दिनांक 16-11-85 इस संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है क्या वह दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक दे दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। यह निर्णय 1982 एटीजे 379 में छपा है ।

जी नहीं । तथापि माननीय विधायक का पत्र संख्या 356/लो0द0/85 दिनांक 7-11-85 प्राप्त हुआ है ।

पत्र का उत्तर दिनांक 22-8-86 को दे दिया गया है ।

130–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बिक्रीकर विभाग में लम्बित आडिट आपत्तियों के सम्बन्ध में पत्र

131–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 307 दिनांक 7-11-85 महालेखाकार द्वारा बिक्रीकर विभाग में वर्ष 79-80 से 82-83 तक लम्बित आडिट आपत्तियों के बारे में मुख्य मंत्री जी को ता0 7-11-85 को मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बिक्रीकर कार्यालय, आजमगढ़ में फार्म 31 की अवैध बिक्री

132–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 357 दिनांक 16-11-85 जो आजमगढ़ बिक्रीकर कार्यालय में नवम्बर, 1983 में दाखिल किये गये फार्म 31 की अवैध बिक्री के बारे में था मुख्य मंत्री को ता0 16-11-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है क्या वह दे दी गयी है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । तथापि, माननीय विधायक का पत्र संख्या 357-अ/लो0द0/85 दिनांक 11-11-85 दिनांक 16-11-85 को प्राप्त हुआ ।

जी नहीं । पत्र में उल्लिखित जांचोपरान्त आख्या प्राप्त न हो सकने के कारण उत्तर न दिया जा सका । अब प्राप्त आख्या के अनुसार, सर्वश्री गिरधर गोपाल कन्हैया लाल, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ द्वारा 50 फार्म 31 क्रमांक के0 वाई0 1109021 से 1109070 दिनांक 23-11-83 को बिक्रीकर कार्यालय मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में रिसीट काउन्टर पर दिये गये थे जिन्हें श्री गंगाराम गुप्ता, लिपिक ने प्राप्ति लिपिक से प्राप्त कर सरेण्डर फार्म रजिस्टर के पृष्ठ 98 के क्रमांक 17 पर दर्ज किया किन्तु इन फार्मों को निरस्त नहीं कराया। इन फार्मों की चोरी के बारे में गंगाराम गुप्ता लिपिक ने कोई जानकारी अपने अधिकारी को नहीं दी और न स्थानान्तरण होने पर अपने प्रतिस्थानी श्री शिवदत्त को अवगत कराया । विभागीय उच्चाधिकारियों को इस चोरी की जानकारी समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने पर हुयी जिसके फलस्वरूप आवश्यक जांच करायी गयी और श्री गंगाराम को दिनांक 15-1-86 को निलंबित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्व-

वाही की जा रही है । जांच आख्या के अनुसार गायब किये गये फार्मों से 2,50,000 रु0 का कोयला आयात किया गया जिससे शासन को 10,000 रु0 की राजस्व हानि हुई । दिनांक 24-1-86 को इस मामले की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थानाध्यक्ष मउनाथ भंजन आजमगढ़ के यहां दर्ज करा दी गयी है।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम प्राग आइस मिल एण्ड आयल मिल में दिया गया निर्णय

133—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0संख्या 63 आफ 1983 आयुक्त बिक्रीकर बनाम प्राग आइस मिल एण्ड आयल मिल वर्ष 71-72 में निर्णय दिनांक 19-7-83 को दिया है और आयुक्त के द्वारा दाखिल रिवीजन को अस्वीकार किया है ? यदि हां, तो जब 1975 में रेपसीड आयल को अविज्ञापित वस्तु बना दिया गया था तो अधिकारी द्वारा करदाता के मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र में संशोधन क्यों और कैसे नहीं किया गया ? उक्त अधिकारी ने कितने रुपये का लाभ देने का अवसर करदाता को दिया जिसके लिए वह हकदार नहीं था तथा राजस्व की हानि के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उनके प्रति ता0 31-10-85 तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गयी है तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

1975 में उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन एवं वैधीकरण) अध्यादेश, 1975 दि0 26-5-75 को जारी किया गया था । उससे पहले ही 9-9-74 के आदेश द्वारा ही व्यापारी का मान्यता प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था ।

अधिकारी द्वारा करदाता को किसी लाभ का अवसर नहीं दिया गया । अतः कोई राजस्व हानि नहीं हुई । फलतः इसके लिए दोषनिर्धारण करने अथवा किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ के बिक्रीकर अधिकारी द्वारा छापा मारने की धमकी देने के बारे में पत्र

134—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 292 दिनांक 1-10-85 जो मेरठ के बिक्रीकर अधिकारी द्वारा छापा मारने की धमकी देने के बारे में था, मुख्य, मंत्री को ता0 1-10-85 को मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? पत्र में जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । उक्त पत्र में उल्लिखित नवभारत टाइम्स के दिल्ली संस्करण में छपा समाचार जांचोपरान्त निराधार पाया गया है ।

उ0 प्र0 ओलम्पिक एसोसिएशन में धनुष बाणों के स्टे गायब होने के बारे में पत्र

135—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या खेलकूद मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 319 दिनांक 8-11-85 जो उ0 प्र0 ओलम्पिक एसोसिएशन में धनुष बाणों के स्टे गायब होने के बारे में था, मुख्य मंत्री को ता0 8-11-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस चोरी की रिपोर्ट पुलिस में की गई थी ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, आरचरी का कोई सामान चोरी नही गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस कर्मियों द्वारा बैटिकट रेल यात्रा

136–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 287 दिनांक 6-11-85 माह अक्टूबर, 1985 में उनके अंगरक्षक को रेल में बैटिकट यात्रा करने पर पकड़े जाने के बारे में ता0 6-11-85 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्रश्नगत पत्र संख्या-287 दि0 5-11-85 मुख्यमंत्री कार्यालय में 6-11-85 को प्राप्त हुआ और इस पर समुचित कार्यवाही की गई, पकड़े गए सभी पुलिस कर्मियों के संबंध में सूचना संबंधित पुलिस अधीक्षकों को विभागीय कार्यवाही हेतु भेज दी गई है । उक्त पत्र में उठाए गये कतिपय बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी संकलित न हो पाने के कारण मा0 सदस्य को सूचित नहीं किया जा सका है ।

श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव आदि के विरुद्ध दायर मुकदमा व गिरफ्तारी

137–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बाजार खाला थाना में सतीश चन्द्र के प्रार्थना-पत्र पर ता0 27-6-85 को धारा 406/498-ए के अंतर्गत जय प्रकाश श्रीवास्तव आदि के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ऐशबाग चौकी के इन्चार्ज ने इस घटना के बारे में जांच की थी? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? क्या जय प्रकाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना चौकी इन्चार्ज ऐशबाग थाना बाजार खाला द्वारा की गई । विवेचना के उपरान्त प्रथम सूचना में नामजद चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । अभियुक्त श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया है तथा अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा अपनी पत्नी को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को जांच हेतु दिये गये निर्देश

138–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 323 दिनांक 8-11-85 जो सचिवालय के ऊर्जा विभाग के लोअर लिपिक जय प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा दहेज न देने पर अपनी पत्नी को उत्पीड़न करने और घर से निकालने के बारे में था, ता0 8-11-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी वह क्या दे दी गयी है ? क्या दहेज में लिया गया सामान जय प्रकाश ने अपनी पत्नी को वापिस कर दिया है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । सन्दर्भित पत्र दिनांक 7-11-85 के सम्बन्ध में जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ को निर्देश दिये गये थे । संदर्भित पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है ।

दहेज में लिया गया टी0 वी0 अभियुक्त जय प्रकाश द्वारा न्यायालय के समक्ष श्रीमती किरन बाला के भाई श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव को वापस कर दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 163 पर)।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम प्राग आइस एण्ड आयल मिल, अलीगढ़ में निर्णय के सन्दर्भ में पत्र

139—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 62 आफ/1983 आयुक्त बिक्रीकर बनाम प्राग आइस एण्ड आयल मिल अलीगढ़ में निर्णय दिनांक 19-7-83 को दिया है और आयुक्त के द्वारा रिवीजन को अस्वीकार किया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1542 दिनांक 15-3-85 इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं । तथापि माननीय विधायक का पत्र संख्या 1842/द0म0कि0पा0/85 दिनांक 13-3-85 दिनांक 15-3-85 को प्राप्त हुआ है ।

दिनांक 26-6-86 को उत्तर दे दिया गया है ।

बिक्रीकर कार्यालय में श्री जागेश्वर प्रसाद के मामले से सम्बन्धित पत्र

140—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 319 दिनांक 9-10-85 सीतापुर बिक्रीकर कार्यालय में श्री जागेश्वर प्रसाद के मामले में वर्ष 77-78 में स्टेट द्वितीय अपील दाखिल करने के बारे में मुख्य मंत्री जी को ता0 9-10-85 को मिला है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है? क्या वह दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । परन्तु पत्र संख्या 319/85 दिनांक 20-9-85 प्राप्त हुआ था ।

पत्र का उत्तर माननीय सदस्य को भेजा जा चुका है ।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम उपेन्द्र कुमार के निर्णय के सम्बन्ध में पत्र

141—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0 संख्या 365 आफ 1983 आयुक्त बिक्रीकर बनाम उपेन्द्र कुमार में निर्णय दिनांक 17-8-84 को दिया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 325 दिनांक 9-10-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 9-10-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं। परन्तु माननीय सदस्य का पत्रांक 325 दिनांक 15-7-85 प्राप्त हुआ था ।

उक्त पत्र का उत्तर दिनांक 30-7-86 को दिया जा चुका है ।

142—श्री यदुनाथ सिंह—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित]

143—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जल निकासी हेतु बिल्लोचपुरा रोड पर सीवर लाईन की योजना

144—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है

कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 293 दिनांक 1-10-85 लखनऊ नगर में वाटर वर्क्स रोड पर स्थित स्वरूप कोल्ड स्टोरेज से जाने वाले रास्ते पर पानी निकालने के लिए 18 इंच का पाइप लगाने के बारे में मुख्य मंत्री को ता0 1-10-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्र की जल निकासी हेतु बिल्लोचपुरा रोड पर सीवर लाइन की योजना स्वीकृत हो चुकी है । सीवर लाइन डालने की कार्यवाही लखनऊ जल संस्थान द्वारा कराई जा रही है ।

145–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित]

146–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित]

आयुक्त बिक्री कर बनाम नवयुग कृषक सप्लाइज चन्दौसी में निर्णय के संदर्भ में पत्र

147–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 510 आफ 1982 आयुक्त बिक्री कर बनाम नवयुग कृषक सप्लाइज चन्दौसी में निर्णय दिनांक 6-10-83 को दिया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 323 दिनांक 9-10-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 9-10-85 को मिला है ? यदि हां, तो उक्त में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

निर्णय 1984 एस0 टी0 आई 84 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में छपा है । फर्म का नाम नवयुग कृषक सप्लायर्स है। जी नहीं । तथापि पत्रांक 323/लो0 द0/85, दिनांक 15-7-85 प्राप्त हुआ है।

बिक्रीकर के बहुत से मामले प्रतिमाह उच्च न्यायालय तथा अधिकरण में निर्णीत होते रहते हैं । इसमें से अनेकों मामलों में निर्णय विभाग के पक्ष में होता है तथा अनेकों में विभाग के विपरीत । विभिन्न जर्नल्स दोनों प्रकार के निर्णय अपनी स्वेच्छानुसार प्रकाशित करते हैं । माननीय विधायक का उपरोक्त पत्र विभाग के विरुद्ध दिए गए एवम् जर्नल में प्रकाशित निर्णय पर आधारित है ।

विधिक बिन्दु पर भिन्न-भिन्न मत भी हो सकते हैं । उच्च न्यायालय की ही विभिन्न पीठें भिन्न-भिन्न मत व्यक्त करती हैं और उच्च न्यायालय के मत को सर्वोच्च न्यायालय भी कभी-कभी सही नहीं मानते ।

बिक्रीकर अधिकारी का कार्य भी अर्धन्यायायिक होता है अतएव मात्र इस कारण कि किसी विधिक बिन्दु पर उनका मत उच्च न्यायालय द्वारा नहीं माना गया उनकी दुराशयता नहीं कही जा सकती ।

प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें उच्च न्यायालय का निर्णय विभाग के विरुद्ध होता है, स्थायी अधिवक्ता अपनी राय शासन के न्याय विभाग को भेजते हैं। उस पर प्रशासनिक तथा न्याय विभाग द्वारा विचारोपरान्त, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने या न दायर करने का निर्णय न्याय विभाग द्वारा अंतिम रूप से लिया जाता है ।

इस मामले में न्याय विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने का निर्णय लिया है । तद्नुसार याचिका दायर हो चुकी है ।

अतएव यह कहना सम्भव नहीं कि प्रश्नगत विधिक बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त मत ही अंतिम है ।

फर्म देवराज रोशन लाल बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय के संदर्भ में पत्र

148—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 404 व 409 आफ 1979 फर्म देवराज रोशन लाल बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 20-9-79 को दिया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्न-कर्ता का पत्र संख्या 322 दिनांक 9-10-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 9-10-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है ? क्या वह दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

तथापि पत्र दिनांक 10-6-85 प्राप्त हुआ है ।

पत्र का उत्तर दिनांक 1-5-86 को दे दिया गया है । जहां तक माननीय विधायक के संदर्भित पत्र में बिन्दु 5 का प्रश्न है, दिए गए पत्रोत्तर के परिप्रेक्ष्य में उसका प्रश्न नहीं उठता।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम जनेश्वर दास में निर्णय के सम्बन्ध में पत्र

149—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0टी0आर0 संख्या 537 आफ 1982 आयुक्त बिक्रीकर बनाम जनेश्वर दास में निर्णय दिनांक 1-11-83 को दिया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्न-कर्ता का पत्र संख्या 321 दि0 9-10-85 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 9-10-85 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। यह निर्णय 1983 ए0 टी0 जे0 735 में छपा है ।

जी नहीं ।

तथापि दि0 9-10-85 को पत्र संख्या-321/लो0द0/85, दि0 14-5-85 प्राप्त हुआ है ।

पत्र का उत्तर दि0 31-5-86 को दिया जा चुका है । जैसा उक्त पत्र में ही कहा गया है कि प्रश्नगत वाद में विधिक बिन्दु यह निहित था कि क्या धारा 21 में जारी नोटिस की व्यापारी के अधिवक्ता पर तामीली वैध नहीं है। अधिकरण की खण्ड पीठ में इस बिन्दु पर मतभेद था । एक सदस्य ने विभाग के पक्ष में मत स्थिर किया, दूसरे ने विपक्ष में । तीसरे सदस्य (अध्यक्ष) ने दूसरे सदस्य से मतैक्य किया । उच्च न्यायालय ने भी तकनीकी दृष्टिकोण अपनाते हुए विभागीय रिवीजन अस्वीकार

कर दिया । न्याय विभाग के मतानुसार उच्च न्यायालय का मत सही नहीं है और उनके आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई है । मामला अभी लम्बित है ।

विधिक बिन्दु पर भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं और होते हैं । अतएव कर निर्धारक अधिकारी द्वारा जिनका कार्य भी अर्द्धन्यायिक है, कोई ऐसा मत स्थिर करने से जो उच्च न्यायालय ने नहीं माना, यह नहीं कहा जा सकता कि कोई दुराशयतापूर्ण कार्य हुआ है या राजस्व हानि हुई है ।

उपरोक्त परिस्थिति में पत्र में पूछे गए 16 प्रश्नों में से शेष प्रश्नों का विशिष्ट उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है ।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम गोयल एण्ड कम्पनी में निर्णय के संदर्भ में पत्र

150–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0टी0आर0 संख्या 346 आफ 1981 आयुक्त बिक्रीकर बनाम गोयल एण्ड कम्पनी में निर्णय दिनांक 5-4-82 को दिया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 320 दिनांक 9-10-85 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है ? क्या वह दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

तथापि माननीय विधायक का पत्र 320/लो0द0/85 दि0 15-7-85 दि0 9-10-85 को प्राप्त हुआ है ।

पत्र का उत्तर दि0 4-6-86 को दे दिया गया है । बिक्रीकर के बहुत से मामले प्रतिमाह उच्च न्यायालय तथा अधिकरण में निर्णित होते रहते हैं । इनमें से अनेकों मामलों में निर्णय विभाग के पक्ष में होता है तथा अनेकों मामलों में विभाग के विपरीत । विभिन्न जर्नल्स दोनों प्रकार के निर्णय अपनी स्वेच्छानुसार प्रकाशित करते हैं । मा0 विधायक का उपरोक्त पत्र ऐसे ही एक जरनल में विभाग के विरुद्ध छपे निर्णय पर आधारित है ।

प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें उच्च न्यायालय का निर्णय विभाग के विरुद्ध होता है, प्रशासनिक तथा न्याय विभाग द्वारा विचारोपरान्त सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने या न दायर करने का निर्णय न्याय विभाग द्वारा अंतिम रूप से लिया जाता है ।

विधिक बिन्दु पर भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं । उच्च न्यायालय की ही विभिन्न पीठें कभी-कभी भिन्न-भिन्न मत व्यक्त करती हैं और उच्च न्यायालय के मत को सर्वोच्च न्यायालय भी कभी-कभी सही नहीं मानते । कर निर्धारक अधिकारी का कार्य भी अर्द्धन्यायिक होता है । अतएव मात्र इस कारण कि उनका मत उच्च न्यायालय ने ठीक नहीं माना या उनका आदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया, उनका कार्य दुराशयपूर्ण नहीं कहा जा सकता । उपरोक्त प्रकार के मामलों में राजस्व हानि भी नहीं कही जाती । यदि किसी मामले में की गई कार्यवाही में दुराशयता प्रतीत होती है तो अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की

जाती है । उपरोक्त कारणों से पूछे गए प्रश्नों की विशिष्ट सूचना देना आवश्यक नहीं प्रतीत होता ।

कृष्णा वाच कं0 बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय के संदर्भ में पत्र

151–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0टी0आर0 संख्या 506 आफ 1983 कृष्ण वाच कं0 बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 18-10-84 को दिया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 139 दिनांक 18-9-85 इस संबंध में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है ? क्या वह दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

किन्तु फर्म का सही नाम कृष्णा ब्रिक कम्पनी है । यह निर्णय 1985 ए0 टी0 जे0 42 में छपा है ।

जी नहीं ।

तथापि मा0 विधायक का पत्र 139/ ली0 द0/85, दि0 12-9-85 प्राप्त हुआ है ।

पत्र का उत्तर दि0 26-6-86 को दे दिया गया है ।

बिक्रीकर के बहुत से मामले प्रतिमाह उच्च न्यायालय तथा अधिकरण में निर्णीत होते रहते हैं । इनमें से अनेकों मामलों में निर्णय विभाग के पक्ष में होता है तथा अनेकों में विभाग के विपरीत। विभिन्न जर्नल्स दोनों प्रकार के निर्णय अपनी स्वेच्छा के अनुसार प्रकाशित करते हैं । मा0 विधायक का उपरोक्त पत्र विभाग के विरुद्ध दिए गए एवं एक जर्नल में प्रकाशित एक निर्णय पर आधारित है ।

प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें उच्च न्यायालय का निर्णय विभाग के विरुद्ध होता है, स्थायी अधिवक्ता अपनी राय शासन के न्याय विभाग को भेजते हैं। उस पर प्रशासनिक तथा न्याय विभाग द्वारा विचारोपरान्त सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने या न करने का निर्णय न्याय विभाग द्वारा अंतिम रूप से लिया जाता है ।

विधिक बिन्दु पर भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं । अधिकरण अथवा उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठें भी भिन्न-भिन्न मत व्यक्त करती हैं और उच्च न्यायालय के मत को सर्वोच्च न्यायालय भी कभी-कभी सही नहीं मानते ।

कर निर्धारक अधिकारी का कार्य भी अर्द्धन्यायिक होता है । मात्र इस कारण कि उनके द्वारा लिया गया मत उच्च न्यायालय में नहीं माना गया अथवा पारित आदेश किसी तकनीकी या अन्य कारण से निरस्त हो गया है, उनका कार्य दुराशापूर्ण नहीं कहा जा सकता और न वह उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त होता है और ऐसे सभी मामलों में राजस्व हानि भी नहीं कही जाती ।

मा0 विधायक द्वारा यह भी पूछा गया है कि विभाग को इस मुकदमें में कुल कितना व्यय करना पड़ा यह सूचना शासन में या आयुक्त बिक्रीकर के या बिक्रीकर कार्यालयों में अलग से नहीं रखी जाती । सरकारी अधिवक्ता की फीस का भुगतान न्याय विभाग द्वारा किया जाता है ।

उपरोक्त सभी कारणों से पत्र में किए गए प्रश्नों की विशिष्ट सूचना दिया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता ।

फर्म हरी ट्रेडर्स बनाम आयुक्त बिक्रीकर के निर्णय के संदर्भ में पत्र

152–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0 संख्या 281 आफ 1983 फर्म हरी ट्रेडर्स बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 21-2-85 को दिया है? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्न-कर्ता का पत्र संख्या 1731 दिनांक 13-8-85 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है? क्या वह दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में संदर्भित एस0 टी0 आर0 संख्या व निर्णय तिथि भिन्न है। इस मामले में दिया गया उच्च न्यायालय का निर्णय 1985 यू0 पी0 टी0 सी0 327 में भी छपा है उसमें एस0 टी0 आर0 नं0 469 तथा 470/1984 तथा निर्णय की तिथि 1-2-85 प्रकाशित है।

जी नहीं। तथापि माननीय विधायक का पत्र 1731/लो0 द0/85 दिनांक 12-8-85 प्राप्त हुआ है।

पत्र का उत्तर दिनांक 30-7-86 को दे दिया गया है।

बिक्रीकर के बहुत से मामले प्रति माह उच्च न्यायालय तथा अधिकरण में निर्णीत होते रहते हैं। इनमें से अनेकों मामलों में निर्माण विभाग के पक्ष में होता है तथा अनेकों मामलों में विभाग के विपरीत। विभिन्न जर्नल्स दोनों प्रकार के निर्णय अपनी स्वेच्छा अनुसार प्रकाशित करते हैं। माननीय विधायक का उपरोक्त पत्र विभाग के विरुद्ध दिए गए एवं एक जर्नल में प्रकाशित निर्णय पर आधारित है ।

प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें उच्च न्यायालय का निर्णय विभाग के विरुद्ध होता है, स्थायी अधिवक्ता अपनी राय शासन के न्याय विभाग को भेजते हैं। उस पर प्रशासनिक तथा न्याय विभाग द्वारा विचारोपरान्त, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने या न दायर करने का निर्णय न्याय विभाग द्वारा अन्तिम रूप से लिया जाता है। यदि किसी मामले में की गई कार्यवाही में दुराशयता प्रतीत होती है तो अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। मात्र इस कारण कि उनके द्वारा पारित आदेश किसी तकनीकी या अन्य कारण से निरस्त हो गया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त नहीं होता।

विधिक बिन्दु पर भिन्न-भिन्न मत भी हो सकते हैं। उच्च न्यायालय की ही विभिन्न-पीठें भिन्न-भिन्न मत व्यक्त

करती हैं और उच्च न्यायालय के मत को सर्वोच्च न्यायालय भी कभी-कभी सही नहीं मानते। अतएव ऐसे मामले में राजस्व हानि भी नहीं कही जाती।

माननीय विधायक द्वारा यह भी पूछा गया है कि विभाग को इस मुकदमें में कुल कितना व्यय करना पड़ा। यह सूचना शासन में या आयुक्त, बिक्रीकर के या बिक्री-कर कार्यालयों में अलग से नहीं रखी जाती। सरकारी अधिवक्ता की फीस का भुगतान न्याय विभाग द्वारा किया जाता है।

फर्म आनन्द प्रकाश, लक्ष्मी नरायन बनाम आयुक्त बिक्रीकर के निर्णय के संदर्भ में पत्र

153–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 40 आफ 1978 फर्म लक्ष्मी नरायन, आनन्द प्रकाश बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 18-1-80 को दिया था ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 78 दिनांक 10-9-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को 10-9-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है ? क्या वह दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं। तथापि मा0 विधायक का पत्र संख्या–78/लो0 द0/85 दिनांक 4-9-85 प्राप्त हुआ है।

जी नहीं। बिक्रीकर के बहुत से मामले प्रति माह उच्च न्यायालय तथा अधिकरण में निर्णीत होते रहते हैं। इसमें से अनेकों में निर्णय विभाग के पक्ष होता है तथा अनेकों में विभाग के विपरीत । विभिन्न जर्नल्स दोनों प्रकार के निर्णय अपनी स्वेच्छानुसार प्रकाशित करते हैं। माननीय विधायक का उपरोक्त पत्र विभाग के विरुद्ध दिए गए एवं एक जर्नल्स में प्रकाशित निर्णय पर आधारित है।

प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें उच्च न्यायालय का निर्णय विभाग के विरुद्ध होता है, स्थायी अधिवक्ता अपनी राय शासन के न्याय विभाग को भेजते हैं उस पर प्रशासनिक तथा न्याय विभाग द्वारा विचारोपरान्त, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने या न दायर करने का निर्णय न्याय विभाग द्वारा अन्तिम रूप से लिया जाता है । इस मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने का निर्णय न्याय विभाग ने लिया है तद्नुसार याचिका दायर की जा चुकी है ।

विधिक बिन्दु पर भिन्न-भिन्न मत भी हो सकते हैं । कभी-कभी उच्च न्यायालय की ही विभिन्न पीठें भिन्न-भिन्न मत व्यक्त करती हैं और उच्च न्यायालय के मत को सर्वोच्च न्यायालय भी कभी-कभी सही नहीं मानते । अतएव ऐसे मामले में राजस्व हानि नहीं कही जाती। कर निर्धारक अधिकारी का कार्य भी अर्ध-न्यायिक होता है । मात्र इस कारण से कि उनके द्वारा लिया गया मत या पारित आदेश किसी तकनीकी या अन्य कारण से निरस्त हो गया है, उनका कार्य दुराशय-पूर्ण नहीं कहा जा सकता । किन्तु यदि किसी मामले में की गई कार्यवाही में दुराशयता प्रतीत होती है तो अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

माननीय विधायक द्वारा यह भी पूछा

गया है कि विभाग को इस मुकदमे में कुल कितना व्यय करना पड़ा । यह सूचना शासन में या आयुक्त बिक्री कर के या बिक्रीकर कार्यालयों में अलग से नहीं रखी जाती । सरकारी अधिवक्ता की फीस का भुगतान न्याय विभाग द्वारा किया जाता है ।

154–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

155–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

156–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

फर्म रामदास, गोपालदास इलाहाबाद बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय के सन्दर्भ में पत्र

157–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्री-कर अधिकरण इलाहाबाद (डबल बेंच) ने द्वितीय अपील संख्या 290 आफ 1977 फर्म रामदास, गोपाल दास इलाहाबाद बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 30-9-82 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्न-कर्ता का पत्र संख्या 1964 दिनांक 29-8-85 मुख्य मंत्री जी को ता0 29-8-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है वह क्या दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । किन्तु इसी विषय पर माननीय सदस्य का पत्र सं0–1964/लो0द0/85 दिनांक 13-5-85 प्राप्त हुआ है ।

उक्त पत्र में उठाए गए बिन्दुओं पर सम्पूर्ण सूचना अभी बिक्रीकर आयुक्त से प्राप्त नहीं हो सकी है । सूचना प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया जायेगा ।

158–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

159–श्री यदुनाथ सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

160–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

आयुक्त बिक्रीकर बनाम अम्बिका सिंह पडरौना में निर्णय के संदर्भ में पत्र

161–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0 संख्या 481 आफ 1980 आयुक्त बिक्रीकर बनाम अम्बिका सिंह, पडरौना में निर्णय दिनांक 15-1-81 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1962 दिनांक 29-8-85 मुख्य मंत्री को दिनांक 29-8-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है, क्या वह दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । एस0 टी0 आर0 481 आफ 1980 भिन्न मामले आयुक्त बिक्री-कर बनाम रघुवर दयाल लक्ष्मी नारायण से संबंधित है ।

जी नहीं । तथापि पत्र संख्या–1962/लो0द0/85 दि0 16-6-85 प्राप्त हुआ, जो उपरोक्त मामले से सम्बन्धित नहीं है ।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम खन्ना ब्रिक फील्ड में निर्णय से संदर्भित पत्र

162–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0 संख्या 448 आफ 1981 आयुक्त बिक्रीकर बनाम खन्ना ब्रिक फील्ड में निर्णय दिनांक 21-4-82 का दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1974 दिनांक 29-8-85 मुख्य मंत्री को ता0 29-8-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है क्या वह दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, तथापि मा0 सदस्य का उक्त संख्यांकित पत्र दिनांक 19-8-85 प्राप्त हुआ है ।

पत्र का उत्तर 13 जनवरी, 1986 के पत्र द्वारा दे दिया गया है ।

163–श्री यदुनाथ सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

164–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

आयुक्त बिक्रीकर बनाम आर0 वी0 इंडस्ट्रीज मेरठ में निर्णय के संदर्भ में पत्र

165–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एस0 टी0 आर0 संख्या 45 आफ 1985 वर्ष 73-74 आयुक्त बिक्रीकर बनाम आर0वी0 इंडस्ट्रीज मेरठ में निर्णय दिनांक 17-7-85 को दिया है ? यदि हां, तब मा0 मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 453 दिनांक 2-12-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 2-12-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । निर्णय 1985 ए0 टी0 जे0 458 पर छपा है ।

जी नहीं । तथापि दिनांक 2-12-85 को पत्र संख्या 453/ला0 द0/85 दिनांक 1-10-85 प्राप्त हुआ है ।

उच्च न्यायालय द्वारा जो उक्त निर्णय दिया गया है वह पूर्वकालिक तिथि से विधि द्वारा किए गए संशोधनों के प्रभाव के बारे में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में दिए गए निर्णयों के विपरीत है । अतएव उसके विरुद्ध न्याय विभाग के निदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई है ।

उक्त परिस्थिति में पत्र में 5 बिन्दु के समक्ष पूछे गए 11 प्रश्नों के उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

166–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

प्रसाद मल्ल, संकटा मल्ल बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय के संबंध में पत्र

167–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रिट पिटीशन सं0 641 आफ 1981 प्रसादा मल, संकटा मल बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 17-12-81 दिया है ? यदि हां, तब मा0 मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 451 दिनांक 2-12-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 2-12-85 को प्राप्त हुआ

है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 2-12-85 को मा0 विधायक का पत्रांक 451/लो0 द0/85 दिनांक 5-11-85 प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर विस्तार से दिनांक 7-5-86 को दिया जा चुका है । उसमें अंकित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पत्र के विभिन्न बिन्दुओं के समक्ष मांगी गयी सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ ।

टैक्स डाइज कारपोरेशन बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय के संदर्भ में पत्र

168–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सिविल मिस रिट पिटीशन सं0 523 आफ 1981 फर्म टैक्स डाइज कारपोरेशन बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 28-7-81 को दिया है ? यदि हां, तब मा0 मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 450 दिनांक 2-12-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । यह निर्णय 1981 ए0 टी0 जे0 389 में छपा है ।

जी नहीं । तथापि मा0 विधायक का पत्र 450/लो0 द0/85 दिनांक 5-11-85 प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं । इस मामले में बिक्रीकर अधिकारी वि0 अनु0 शा0 से जो सूचना कर निर्धारक अधिकारी को प्राप्त हुई थी उसमें राशि 3,96,00,000 रु0 अंकित थी और उसी के आधार बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-12 कानपुर ने कर निर्धारण किया था । व्यापारी ने धारा 30 के प्रार्थना-पत्र की सुनवाई के समय क्लेम किया कि राशि 3,96,000/- होनी चाहिए । इस पर बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-12 ने बिक्रीकर अधिकारी (वि0 अनु0 शा0) को पत्र लिखा जिसके उत्तर में बिक्रीकर अधिकारी (वि0 अनु0 शा0) ने त्रुटि का सुधार करते हुए संशोधित राशि 3,96,000/- सूचित की ।

इस प्रकार की त्रुटि किसी से भी हो सकती है । इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी की दुराशयता नहीं प्रतीत हुई । अतएव कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

उपरोक्त कारण से पत्र दिनांक 5-11-85 में 7 बिन्दु पर अंकित 14 प्रश्नों का उत्तर आवश्यक नहीं है ।

मुन्ना लाल अशपाल बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय के संदर्भ में पत्र

169–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 113 आफ 1981 फर्म मुन्ना लाल अशपाल बनाम आयुक्त बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 19-8-81 दिया है ? यदि हां, तो मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 449 दिनांक 2-12-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 2-12-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । यह निर्णय 1981 ए0 टी0 जे0 441 में छपा है ।

जी नहीं तथापि माननीय विधायक का पत्र संख्या-449/ले0 द0/85 दिनांक 5-11-85 प्राप्त हुआ है ।

पत्र का उत्तर दिनांक 11-8-86 को दे दिया गया है । बिक्रीकर के बहुत से मामले प्रतिमाह उच्च न्यायालय तथा अधिकरण में निर्णीत होते रहते हैं इनमें से अनेकों मामलों में निर्णय विभाग के पक्ष में होता है तथा अनेकों मामलों में विभाग में विपरीत विभिन्न जर्नल्स दोनों प्रकार के निर्णय अपनी स्वेच्छा अनुसार प्रकाशित करते हैं । माननीय विधायक का उपरोक्त पत्र विभाग के विरुद्ध दिए गये एवं एक जर्नल में प्रकाशित ऐसे निर्णय पर आधारित है ।

विधिक बिन्दु पर भिन्न-भिन्न मत भी हो सकते हैं । कभी-कभी उच्च न्यायालय की ही विभिन्न पीठें भिन्न-भिन्न मत व्यक्त करती हैं और उच्च न्यायालय के मत को सर्वोच्च न्यायालय भी कभी-कभी सही नहीं मानते। कर निर्धारक अधिकारी का कार्य अर्धन्यायिक है । मात्र इस कारण कि उनका मत उच्च न्यायालय ने नही माना अथवा उनका आदेश उस न्यायालय ने निरस्त कर लिया यह नही कहा जा सकता कि कोई दुराशयता हुई और न ऐसे मामलों में राजस्व हानि ही कही जाती है । उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में अधिकारी का मत जज रिवीजन द्वारा माना गया था। किन्तु उच्च न्यायालय ने उसे नहीं माना।

माननीय विधायक द्वारा यह भी पूछा गया है कि विभाग को इस मुकदमे में कुल कितना व्यय करना पड़ा । यह सूचना शासन में या आयुक्त बिक्रीकर के या बिक्रीकर कार्यालयों में अलग से नहीं रखी जाती । सरकारी अधिवक्ता को फीस का भुगतान न्याय विभाग द्वारा किया जाता है । उपरोक्त सभी कारणों से पत्र में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों की सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं प्रतीत होता ।

170—श्री यदुनाथ सिंह—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

आयुक्त बिक्रीकर बनाम यूनीवर्सल टूल्स कारपोरेशन रामपुर के निर्णय के संदर्भ में पत्र

171—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर अधिकरण मुरादाबाद के द्वितीय अपील सं0 1196 आफ 1979 वर्ष 72-73 आयुक्त बिक्रीकर बनाम यूनीवर्सल टूल्स कारपोरेशन रामपुर में निर्णय दिनांक 8-3-84 दिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 447 दिनांक 2-12-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 2-12-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं । तथापि माननीय विधायक का पत्र संख्या-447/ले0 द0/85, दिनांक 5-11-85 प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं । बिक्रीकर के बहुत से मामले प्रतिमाह उच्च न्यायालय तथा अधिकरण में निर्णीत होते रहते हैं । इनमें से अनेकों मामलों में निर्णय विभाग के पक्ष में होता है तथा अनेकों में विभाग के विपरीत । विभिन्न जर्नल्स दोनों प्रकार के निर्णय अपनी स्वेच्छा अनुसार प्रकाशित करते हैं । माननीय विधायक का उपरोक्त पत्र विभाग के विरुद्ध दिये गए एवं एक जर्नल में प्रकाशित निर्णय पर आधारित है । किसी बिन्दु पर भिन्न-भिन्न विधिक मत भी हो सकते

है। एक ही विन्दु पर उच्च न्यायालय की ही विभिन्न पीठें कभी-कभी भिन्न-भिन्न मत व्यक्त करती है और उच्च न्यायालय के मत को सर्वोच्च न्यायालय भी कभी-कभी सही नहीं मानते। कर निर्धारक अधिकारी का कार्य भी अर्ध न्यायिक होता है। मात्र इस कारण कि किसी बिन्दु पर उनका मत अपील/रिवीजन आदि में सही नहीं माना गया यह नहीं कहा जा सकता कि उनका कार्य दुराशयता पूर्ण था तथा इसके लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। उपरोक्त कारणों से उनका विशिष्ट उत्तर देना आवश्यक नहीं प्रतीत होता।

उ0 प्र0 जल निगम के अधिकारियों को राज्य सरकार के अधिकारियों की भांति स्वीकृत तदर्थ महंगाई भत्ता

172—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम के अधिकारियों को राज्य सरकार के अधिकारियों की भांति तदर्थ महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है, और उ0 प्र0 सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तदर्थ महंगाई भत्ता देने और **दिये गये धन की वसूली के आदेश दिये गये हैं लेकिन उक्त आदेश को कार्यान्वित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो** इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ0 प्र0 जल निगम के उन अधिकारियों को जिनका मूल वेतन रु0 2050/- अथवा इससे अधिक है, तदर्थ महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों को सम्बोधित एक पत्र निर्गत किया गया है जिसमें तदर्थ महंगाई भत्ते का भुगतान रोक देने के निर्देश हैं परन्तु इस पत्र में दिये गये धन की वसूली करने के आदेश नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा तदर्थ महंगाई भत्ते का भुगतान तत्काल रोकने के आदेश प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम को भेजे जा चुके हैं।

उ0 प्र0 जल निगम के मुख्यालय पर अतिथ्य सत्कार फण्ड में व्यय की गयी धनराशि

173—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85 में जल निगम मुख्यालय पर हासपिटलिटी फण्ड (आतिथ्य सत्कार व्यय) में कितनी धनराशि व्यय की गयी है और उक्त मद में कितने अतिथियों का स्वागत किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1984-85 में जल निगम मुख्यालय पर हासपिटलिटी फण्ड (अतिथि सत्कार व्यय) के अन्तर्गत रु0 1,37,842·62 का व्यय हुआ। वर्ष 1984-85 में उपरोक्त अतिथि सत्कार व्यय के अन्तर्गत जिन अतिथियों का स्वागत किया गया, उनकी संख्या का अभिलेख नहीं रखा गया है।

174—श्री यदुनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

175—श्री यदुनाथ सिंह—

[लोक लेखा समिति के विचारणीय होने के कारण निरस्त]

काकोरी (लखनऊ) में शहीद स्मारक स्थल का शिलान्यास के संदर्भ में पत्र

176—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 507 दिनांक 6-12-85, ता0 19-12-83 को काकोरी (लखनऊ) में स्व0 प्रधान मंत्री जी के द्वारा शहीद स्मारक स्थल का शिलान्यास के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 6-12-85 को मिला है?

यदि हां, तो मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-507, दिनांक–3-12-1985 न कि 6-12-85 प्राप्त हुआ था । उसका उत्तर उन्हें दिनांक 21-4-86 के तत्र द्वारा दे दिया गया है।

तत्कालीन आयुक्त बिक्रीकर, श्री गणेश द्वारा 19वें सूत्र की स्पष्ट अवहेलना

177–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1379 दि0 16-7-85 तत्कालीन आयुक्त बिक्रीकर श्री गणेश के कार्यों की 19वें सूत्र की स्पष्ट अवहेलना के बारे में ता0 16-7-85 को मिला है? यदि हां, तब मा0 मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिक्रीकर विभाग में तर पदों की खरीद फरोक्त के बारे में उच्च स्तरीय जांच

178–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 623 दि0 28-12-85 बिक्रीकर विभाग में तर पदों की खरीद फरोक्त के बारे में उच्चस्तरीय जांच कराने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को दि0 28-12-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर मांगी गयी सूचना दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, किन्तु माननीय सदस्य का पत्र दि0 27-12-85 का है तथा इसका उत्तर शासन के पत्र दिनांक 31-5-86 द्वारा उन्हें दिया जा चुका है ।

राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच में दोषी वरिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ में गोपनीय पत्र

179–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच में दोषी पाये जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 620 दि0 28-12-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर मांगी गई सूचना दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता का समसंख्यक पत्र दिनांक 27-12-85 (न कि 28-12-85) शासन को प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नकर्ता द्वारा अपेक्षित सूचना चूंकि गोपनीय प्रकृति की थी, इसलिए उन्हें इस प्रकार की सूचना दिया जाना संभव नहीं हुआ ।

कानपुर बिक्रीकर कार्यालय में कोयला व्यापारियों के पंजीयन के बारे में पत्र

180–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड 16 में वर्ष 82-83 व 83-84 में कोयला के व्यापारियों के पंजीयन के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 619 दि0 28-12-85 मा0 मुख्य मंत्री जी को दि0 28-12-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अमर नाथ अग्रवाल बिक्रीकर अधिकारी बरेली के सम्बन्ध में पत्र

181—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बरेली में 81-82 में तैनात बिक्री कर अधिकारी श्री अमरनाथ अग्रवाल के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 578 दि0 19-12-85 मा0 मुख्य मंत्री को ता0 19-12-85 को मिला है? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है क्या उपरोक्त जानकारी दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बिक्रीकर कार्यालय, हरदोई में फर्जी चालानों का लाभ देने के बारे में पत्र

182—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 617 दि0 28-12-85 बाबत हरदोई बिक्री कर कार्यालय में फर्जी चालानों का लाभ देने के बारे में मुख्य मंत्री जी को दि0 28-12-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। पत्र संख्या-617 दिनांक 27-12-85 प्राप्त हुआ।

उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच की जा रही है। पाये जाने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बिक्रीकर अधिकारी मुरादाबाद द्वारा कर के निर्धारण के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

183—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 576 दि0 19-12-85 को श्री आर0 के0 शुक्ला बिक्रीकर अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा किए गए कर निर्धारण कार्य के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को दि0 19-12-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, किन्तु पत्र दि0 9-11-85 का है। उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर जांच करायी गयी है। जांच आख्या अभी विचाराधीन है।

स्वरूप नगर कानपुर में स्थित बिक्रीकर कार्यालय के एक भवन का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिहायशी प्रयोग में लाने के संदर्भ में पत्र

184—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि स्वरूप नगर, कानपुर में स्थित बिक्रीकर कार्यालय के एक भवन को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिहायशी प्रयोग में लाने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 616 दि0 28-12-85 मुख्य मंत्री जी को दि0 28-12-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मनकू चमार, जनपद मिर्जापुर का मिर्जापुर के डी0एफ0ओ0 व उनके कर्मचारियों के विरुद्ध भूमिधरी भूमि पर व मकान पर बलात कब्जा करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

185–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि उनको मनकू चमार पुत्र बद्री साकिन चुर्क थाना राबर्ट्सगंज, जनपद मिर्जापुर का प्रार्थना-पत्र दि0 24-12-85 कैमूर (चुर्क) मिर्जापुर के डी0 एफ0 ओ0 व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा भूमिधरी भूमि पर व मकान पर बलात कब्जा करने के बारे में मिला है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर मांगी गयी सूचना दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

श्री मनकू चमार का कथित शिकायती-पत्र दिनांक 24-12-85 प्राप्त हुआ था । इस शिकायती-पत्र में लगाये गये सभी आरोप जांचोपरान्त भ्रामक, निराधार एवं असत्य पाये गये ।

2–पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर वस्तु स्थिति की सूचना शासन को प्राप्त हो चुकी है ।

3–वस्तु स्थिति यह है कि श्री मनकू चमार पुत्र बद्री जिस भूमि को अपनी बताते है वह वर्ष 1967 में भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञापित है और वन विभाग के लगातार कब्जे में है । वे इससे सम्बन्धित एक मुकदमा वर्ष 1968 में हार भी चुके है । उन्होंने एक मुकदमा पुनः वन विभाग के विरुद्ध 17-7-85 को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट राबर्ट्सगंज के न्यायालय में दायर किया है ।

थाना अमीनाबाद लखनऊ के एक सिपाही राम कुबेर शर्मा की हत्या

186–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ, वजीरगंज थाने के सिपाही राम कुबेर की हत्या माह दिसम्बर, 85 के दूसरे सप्ताह में कर दी गयी थी ? यदि हां, तो हत्यारों को पकड़ने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19-12-85 को थाना अमीनाबाद लखनऊ के कान्सटेबिल राम कुबेर शर्मा की हत्या थाना वजीरगंज क्षेत्र में कर दी गई थी जिसके संबंध में थाना वजीरगंज पर म0 अ0 सं0 427 धारा 302 भा0दं0वि0 पंजीकृत हुआ । इस संबंध में अभियुक्त भोले को दिनांक 1-1-86 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा उसके विरुद्ध दिनांक 25-1-1986 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

फैजाबाद के गुमनामी बाबा की मृत्यु तथा दाह संस्कार

187–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि फैजाबाद के गुमनामी बाबा की मृत्यु ता0 16-9-85 की रात्रि 9.30 बजे से 10 बजे के बीच हो गयी है और ता0 18-9-85 को इनका दाह संस्कार गुप्तार घाट तथा कम्पनी बाग के बीच एक सुनसान जगह पर कर दिया गया, जहां आज तक मुर्दे कभी नहीं जलाये गये ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री

इसकी जांच कराकर पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गुमनामी बाबा की मृत्यु दिनांक 16-9-85 को रात्रि में हो गयी थी और दिनांक 19-9-85 को उनके शिष्यों द्वारा उनका दाह संस्कार गुप्तार घाट पर किया गया था । छानबीन से यह स्पष्ट हुआ है कि इस स्थान पर शव सामान्यत: जलाये नहीं जाते हैं परन्तु स्थानीय निवासियों ने बताया है कि कभी-कभी लोग गुप्तार घाट तथा कम्पनी बाग के बीच के स्थान पर शव जला दिया करते हैं ।

माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कुमारी ललिता बोस आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि की रिट पिटीशन सं0–929 सन् 1986 में आदेश पारित करके जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद को उक्त गुमनामी बाबा की सम्पत्ति की इन्वेस्ट्री तैयार करने हेतु निर्देश दिया और यह इन्वेस्ट्री जिला न्यायाधीश फैजाबाद द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर द्वारा तैयार की जा रही है, तथा इसके तैयार होने के बाद ही कुछ और कहना सम्भव हो सकेगा ।

188–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बिक्रीकर अधिकारी के पद पर तदर्थ पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति को वंचित किया जाना

189–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, बिक्रीकर, उ0 प्र0, लखनऊ के आदेश संख्या-2 सामान्य-3 पदोन्नति 1554/बिक्रीकर दि0 12-12-85 द्वारा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 में 60 कर्मचारियों की तदर्थ पदोन्नतियां की गयी हैं ? यदि हां, तो इस पदोन्नति सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति से पूर्णत: वंचित क्यों रखा गया है जब कि शासकीय विज्ञप्ति संख्या वि0 क0-3-4950/दस-83-1(3)-75 दि0 21-2-83 द्वारा प्रकाशित बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 की सेवा नियमावली के पैरा-29 के अनुसार आरक्षण उपलब्ध है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

परन्तु अनुसूचित जाति के 15 अभ्यर्थियों तथा । अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की पदोन्नति दिनांक 29-1-86 के आदेश द्वारा की गई हैं । अत: एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति से पूर्णत: वंचित रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजक कार्यालय में वित्तीय गड़बड़ी का महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा जांच

190–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजक कार्यालय में गत पांच वर्षों से चली आ रही वित्तीय गड़बड़ी और भारी रकम की हेरा फेरी का मामला अब पकड़ में आया है यदि हां, तब मा0 मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 78-79 से 84-85 के बीच घपला हुआ था और इस अवधि की विस्तृत जांच के लिए महालेखाकार को लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या विस्तृत जांच का काम प्रारम्भ हो गया है तथा जांच कब तक पूरी होगी?

क्या शासन को कोई अन्तरिम रपट मिली है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वर्ष 1978-79 से 84-85 के बीच वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है परन्तु रकम की हेराफेरी हुई है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। इसकी जांच करने के लिए महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया था, जिनकी आडिट पार्टी ने जून, 1986 के अन्तिम सप्ताह में जांच कर ली है। अभी जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

फर्म सत्या इन्डस्ट्रीज 214/1 खाला बाजार लखनऊ के कर वंचन के बारे में आयुक्त बिक्रीकर की रिपोर्ट

191–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म सत्या इन्डस्ट्रीज 214/1 खाला बाजार, लखनऊ द्वारा बिक्रीकर वंचन के बारे में शासन के पत्र सं0 एस0 टी0-2-3491/दस-16(51)/81 दिनांक 24-7-81 द्वारा आयुक्त बिक्रीकर से रपट मांगी है यदि हां, तब मा0 मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, बिक्रीकर ने करवंचन की शिकायत पर अपनी क्या रपट भेजी तथा करदाता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड प्रथम, रायबरेली द्वारा उपलब्ध कराए गए फर्म के दोनों पतों खालाबाजार, लखनऊ तथा हरीनगर, मेरठ पर जांच **की गई किन्तु कोई जानकारी नहीं** मिली। फर्म बिक्रीकर विभाग में पंजीकृत भी नहीं थी। मामला वर्ष 1968 का अर्थात् 18 वर्ष पूर्व का है। ऐसी स्थिति में फर्म के विरुद्ध कार्यवाही सम्भव नहीं पायी गयी।

जनपद गोण्डा के बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संदर्भ में शिकायती पत्र

192–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि गोण्डा जनपद के बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के बारे में शासन के पत्र सं0 एस0 टी0-2-3सं0 स/दस-11(8)/84 दिनांक 3-5-84 द्वारा आयुक्त, बिक्रीकर से रपट मांगी है ? यदि हां, तब मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार के क्या-क्या आरोप लगाये गये थे ? आयुक्त बिक्रीकर ने किन-किन भ्रष्टाचार के आरोप को सही पाया तथा उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। प्रश्न में संदर्भित पत्र के साथ प्रेषित शिकायती पत्र में गोण्डा जनपद के बिक्रीकर अधिकारी पर कतिपय ईंट भट्ठों पर कर निर्धारण में भ्रष्टाचार के आरोप माननीय संसद सदस्य श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी द्वारा लगाये गये थे।

जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये। अतः अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

मैनपुरी (शिकोहाबाद) के बिक्रीकर अधिकारी द्वारा बिक्रीकर में कर वंचना की जांच

193–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मैनपुरी (शिकोहाबाद) के बिक्रीकर अधिकारी द्वारा साबुन फैक्टरियों से सांठ गांठ करके बिक्रीकर की कर वंचना के बारे

में शासन ने पत्र सं0 एस0 टी0 2-7361/दस-11(65)/84, दिनांक 28-11-84 से आयुक्त, बिक्रीकर से रपट मांगी है ? यदि हां, तो मा0 मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, बिक्रीकर ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत पर शासन को क्या रपट भेजी ? क्या उक्त अधिकारी दोषी पाया गया ? यदि हां, तब उनके प्रति क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। संयोजक उ0 प्र0 भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, कानपुर के शिकायती पत्र पर आयुक्त, बिक्रीकर को जांच कराने के आदेश दिए गए थे ।

शिकायती पत्र पर जांच में आरोप सत्य नहीं पाये गये। कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया । शिकायतकर्ता ने सामान्य आरोप लगाये थे । अवसर दिये जाने पर भी कोई तथ्य उपलब्ध नहीं कराए ।

194–श्री अफजाल अंसारी–

[करण सं0 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित होने के कारण निरस्त]

कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारकों को कुछ विभागों में लिये जाने का प्राविधान

195–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारकों को प्रदेश सरकार के अधीनस्थ सेवाओं में लिये जाने का प्राविधान किया गया है? यदि हां, तो इस समय बेरोजगार डिप्लोमा धारकों की संख्या कितनी है और उन्हें कब तक सेवा में लिये जाने की सम्भावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्रदेश सरकार की अधीनस्थ सेवाओं में कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों को कुछ विभागों में लिये जाने का प्राविधान है।

कृषि अभियंत्रण में बेरोजगार डिप्लोमा धारकों की संख्या की अधिकाधिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारक अपनी योग्यता तथा विभिन्न विभागों में उपलब्ध रिक्त स्थानों के अनुसार सेवायोजन प्राप्त कर सकते हैं एवं स्वतः रोजगार में लग सकते हैं।

मथुरा जनपद में पंजीकृत सहकारी गृह/आवास निर्माण समितियों के चुनाव

196–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में कितनी पंजीकृत सहकारी गृह आवास समितियां हैं ? उनके चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इनके चुनाव कराने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मथुरा जनपद में 48 पंजीकृत सहकारी आवास/गृह निर्माण समितियां हैं।

इनमें से 23 समितियों में प्रबन्ध समिति कार्यरत हैं तथा 8 में प्रशासक नियुक्त हैं । शेष 17 समितियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-72 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है।

जी हां ।

9 समितियों के चुनाव कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष समितियों से निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर

तथा धारा-72 की कार्यवाही समाप्त होने पर चुनाव कराये जा सकेंगे ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूरे प्रदेश में मुफ्त बस सेवा की सुविधा

197—श्री विष्णु दत्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सुविधा अपने जनपद के अन्दर परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की है उसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

अत्यधिक व्यय भार निहित होने के कारण यह सुविधा प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संबंध में लगाये गये आरोपों की जांच

198—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सन् 80 में हुई धांधली व भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करायी गयी थी और उसमें केन्द्रीय प्रवेश समिति के कोआर्डिनेटर श्री जयंती प्रसाद को दोषी पाये जाने के कारण उनकी पदावनति कर दी गयी थी ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप प्रमाणित पाये गये थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1980 में नहीं वरन वर्ष 1981 में आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई थी और जांचोपरान्त कोआर्डिनेटर श्री जयन्ती प्रसाद को प्रोफेसर पद से पदावनत करने का दण्डादेश पारित किया गया था, परन्तु बाद में उनके प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त उक्त दण्डादेश को संशोधित करते हुए उन्हें प्रोफेसर पद पर ही बहाल किये जाने और बहाली की तिथि के बाद की तीन वेतन वृद्धियां रोके जाने, निलम्बन की अवधि में निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कोई वेतन तथा भत्ते न दिए जाने और उन्हें कोई ऐसा पद जिसका सम्बन्ध प्रशासकीय अथवा गोपनीय कार्य से हो न दिए जाने का दण्ड दिया गया।

श्री जयंती प्रसाद के विरुद्ध संयुक्त प्रवेश परीक्षा 1981 में प्रश्न पत्रों के 'लीकेज' संहित कालेज के प्रांगण में स्थित प्रेस में प्रश्न पत्र को भेजकर 'लीकेज' की सम्भावनाओं को बढ़ाने, प्रश्नपत्रों की 'पैकिंग' के गोपनीय कार्य के सम्पादन में और कोआर्डिनेटर के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही करने के आरोप प्रमाणित पाये गये थे ।

199—श्री काशी सिंह ऐरी—

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित]

पिथौरागढ़ के राजकीय इण्टर कालेज, थल में हाईस्कूल स्तर पर गृह विज्ञान की कक्षा तथा अध्यापक की नियुक्ति

200—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज थल में हाईस्कूल स्तर पर गृह विज्ञान की कक्षायें कब से प्रारम्भ की गयी थी ? इस विषय को पढ़ाने के लिये नियमित रूप से विषय में, योग्यता प्राप्त/प्रशिक्षित अध्यापिका की नियुक्ति कब की गयी ? यदि नहीं, तो इस विद्यालय में उपरोक्त विषय हेतु योग्य अध्यापिका को भेजते

हुए इण्टर स्तर तक की तुरन्त गृह विज्ञान खोलने के लिये सरकार अतिशीघ्र प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राजकीय इण्टर कालेज, थल में हाई-स्कूल स्तर पर गृह विज्ञान विषय स्वीकृत नहीं है। अतः गृह विज्ञान की नियमित कक्षायें प्रारम्भ करने तथा योग्य प्रशिक्षित अध्यापिका नियुक्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

इण्टर स्तर पर गृह विज्ञान के समावेश हेतु निर्धारित मानक के अनुसार छात्राओं की संख्या उपलब्ध न होने के कारण इण्टर में गृह विज्ञान विषय खोलने का औचित्य नहीं है ।

201–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित]

ग्राम जेरा, जनपद उन्नाव में तूफान से क्षतिग्रस्त परिवारों को विवेकाधीन कोष से अनुदान

202–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इसी प्रकार इसी तहसील के ग्राम जेरा में हुई तूफान की क्षति के पीड़ितों को विवेकाधीन कोष से अनुदान देने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 मई, 1986 पत्रांक 292/86 क्या मा0 मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। ग्राम-जेरा (उन्नाव) में आये तूफान से प्रभावित एवं पात्र 188 परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा 250 रुपये प्रति परिवार की दर से कुल 47,000 रुपये की सहायता वितरित की जा चुकी है। मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का औचित्य नहीं पाया गया ।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1986 के 7वें मंगलवार को उत्तरित श्री अमर चन्द्र शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-198 के उत्तर में संशोधन।

198–श्री अमर चन्द्र शर्मा–

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की तह0 बाह में पिनाहट पापरीनगर तासौर मार्ग के निर्माण हेतु कृषकों की ली गई भूमि का मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया है तथा कृषकों के भू-राजस्व में कमी भी नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों?

मूल उत्तर

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा जनपद में तहसील बाह में पिनाहट-पापरीनगर तासौर मार्ग में आठ ग्रामों में भूमि पड़ती है इनमें से पांच ग्रामों की भूमि अर्जन की कार्यवाही विधिवत् पूर्ण कर मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। शेष तीन ग्रामों में चकबन्दी के दौरान सड़क की भूमि सुरक्षित कर दी गई थी जिसके बदले में सम्बन्धित कृषकों के उतने ही मालियत के चक बना दिये गये थे । उक्त मार्ग की भूमि पर ग्राम अभिलेखों में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम अंकित कर दिया गया है और कृषकों की उतने क्षेत्रफल की मालगुजारी कम कर दी गई है।

संशोधित उत्तर

आगरा जनपद में तहसील बाह में पिनाहट–पापरीनगर तासौर मार्ग में आठ ग्रामों की भूमि पड़ती है । इनमें से पांच

ग्रामों में भूमि अर्जन की कार्यवाही विधिवत् पूर्ण कर मुआवजों का भुगतान किया जा चुका है और कृषकों के उतने ही क्षेत्रफल की मालगुजारी कम कर दी गयी है। एक गांव रेहा में कृषकों से ली गई भूमि के एवज में उतनी ही मालियत के भूमि के चक कृषकों के बना दिये गये हैं। शेष दो गांव अर्थात विपरावली एवं बरैन्डा में ली गयी भूमि का मुआवजा कृषकों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इन दोनों ग्रामों में भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986 तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

[समय 12·20]

माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त (1) उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, तथा (2) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

बलिया जनपद में गंगा नदी के भयंकर कटाव से जनधन की हानि होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 37 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से श्री मैनेजर सिंह, श्री सरदार सिंह, डा0 दिनेश जौहरी, कर्नल केशरी सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री विष्णु देव और श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की सूचनायें स्वीकार हुई हैं, बाकी सभी अस्वीकार हुई हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से लोक महत्व के अविलम्बनीय निम्न प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। बलिया जनपद में गंगा नदी के भयंकर कटान से मझौवा गांव का तीन चौथाई भाग कटकर गंगा नदी में विलोन हो गया था। एक चौथाई भाग बाढ़ विभाग के कटान अवरोधी कार्य के फलस्वरूप शेष था किन्तु बाढ़ विभाग की लापरवाही, उदासीनता के कारण कटान अवरोधी निर्माण कार्य का रख रखाव व मरम्मत न होने के कारण निर्माण कार्य धीरे-धीरे ध्वस्त होता गया जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष शेष मझौवा की **आबादी एवं पक्के मकान नदी की गोद में** चले गये। ग्रामीणों का सारा सामान नदी में बह गया और आज ग्रामीण असहाय स्थिति में धूप और वर्षा में दिन काट रहे हैं उनके पुनर्वास का कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है उनके सम्मुख भुखमरी की स्थिति पैदा है। गंगा की भयंकर कटान बलिया बैरिया बांध व सा0 नि0 वि0 के मुख्य मार्ग से मात्र तीन सौ मीटर की दूरी पर ही रह गया है, जो कभी भी कट सकती है जिसके फलस्वरूप बलिया बैरिया बांध एवं उस पर निर्मित सा0 नि0 वि0 की पक्की सड़कें कट जायेंगी। जगछपरा, मझौवा, पचरुखिया पर भयंकर खतरा उपस्थित है करोड़ों की धन जन की क्षति होगी। अतः आबादी, बांध, सा0 नि0 वि0 की सड़क की सुरक्षा हेतु सदन के माध्यम

से शासन का ध्यान आकृष्ट कर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

निर्वाचन क्षेत्र गोकुल, मथुरा में मांट, ब्रांच गंगा नहर व उसके रजबाहों व माइनरों की सफाई न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोकुल, जनपद मथुरा में सिंचाई हेतु बहने वाली मांट, ब्रांच गंगा नहर व उसके करीब 25 रजबहे व माइनर गत कई वर्षों से सिल्ट सफाई न होने के कारण पानी बहाने योग्य नहीं रहे हैं। इस कारण क्षेत्र में सीपेज की समस्या के साथ-साथ रजबहे व माइनरों की पटरियां टूट जाती हैं और किसानों की फसलों को तबाह कर देती हैं। क्षेत्र में इससे खारे पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। रबी एवं खरीफ की सिंचाई के लिये इस कैनाल को बहुत कम पानी का कोटा दिया जाता है। समुचित सिंचाई न होने के कारण यह समस्या कोढ़ में खाज का काम कर रही है। सिल्ट सफाई न होने के कारण शासन द्वारा समय से धन का न भेजना बताया गया है। उक्त ब्रान्च रजबहे व माइनरों के पुल भी ध्वस्त हो गये हैं। क्षेत्र की जनता में इन समस्याओं से असन्तोष व्याप्त है। आपके माध्यम से सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए शासन से मांट ब्रांच में रबी व खरीफ की फसल की सिंचाई हेतु पानी का कोटा बढ़ाने, सिल्ट सफाई हेतु अविलम्ब पैसा भेजकर युद्ध स्तर पर विशेष सफाई कराने एवं ध्वस्त पटरियों को दुरुस्त करने की मांग करता हूं।

कताई मिल, काशीपुर, नैनीताल के अधिकारियों द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान काशीपुर कताई मिल के मजदूरों पर अधिकारियों द्वारा किये जा रहे अत्याचार की ओर केन्द्रित करना चाहता हूं। वर्षों से काम कर रहे मजदूरों को मिल में स्थायी नहीं किया गया है, अप्रेन्टिसों से पांच रुपये रोज पर महीने में दस या पन्द्रह दिन ही काम लिया जाता है तथा मजदूरों के ड्यूटी कार्ड रोककर उन्हें ड्यूटी पर से हटा दिया जाता है।

फैक्ट्री के मुख्य अधिशासी एवं अन्य अधिकारी मनमाने ढंग से नियमों का उल्लंघन करके भारी सम्पत्ति पैदा कर रहे हैं और मजदूरों पर जुर्म ढा रहे हैं, एवं फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को नियुक्ति नहीं की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर मजदूरों ने जब भी कोई प्रदर्शन आदि किया तो अधिकारियों द्वारा रखे गये गुन्डों से उसे दबा दिया गया, एक नौजवान मजदूर अवधेश सिंह की निर्मम हत्या करा दी गई एवं सुशील कुमार, राम बाबू व अन्य मजदूरों को निर्ममतापूर्वक पिटाई कराई गई जिसके कारण मजदूर 17 जून, 1986 से हड़ताल पर हैं। एक अन्य मजदूर की कुछ दिन बाद हत्या करा दी गई और मिल बन्द पड़ी है जिससे एक ओर तो सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है तथा दूसरी ओर मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः आपसे अनुरोध है कि तुरन्त मजदूरों की जायज मांगों को पूरा कराने तथा फैक्ट्री को खुलवाने हेतु सरकार को निर्देशित करें।

मुन्डेरवा चीनी मिल, बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व की सूचना माननीय सदन को देना चाहता हूं ।

बस्ती जिले की मुन्डेरवा चीनी मिल में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार अनियमितताएं तथा जनरल मैनेजर के दुर्व्यहारों से घोर असंतोष व्याप्त है । जरनल मैनेजर श्री वी0 के0 वर्मा कर्मचारियों के हितों की घोर उपेक्षा, उनके प्रति दुर्व्यवहार एवं भाई-भतीजावाद से मिल के वातावरण में विस्फोटक स्थिति पैदा कर रहे हैं । श्री वर्मा अधिकारियों एवं कर्मचारियों में गुटबन्दी व झगड़ा की कूटनीति चला रहे हैं जो खतरनाक है । इन्टक की यूनियन को नीचा दिखाना चाहते हैं ।जितनी नई नियुक्तियां की हैं, वह उनकी अपनी जाति के हैं या दो एक दादा लोगों की है । मिल के 40 कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति होने पर उनके सुयोग्य आश्रितों को नहीं रखना चाहते हैं ।श्री वर्मा स्वतः कर्मचारियों को मारते हैं जिनकी पुलिस में रिपोर्ट भी है ।स्थिति विस्फोटक है । बस्ती जिले की मात्र दो चालू चीनी मिलों में सेइस एक के असंतोष का शिकार हो जाने से किसानों की बहुत हानि होगी ।

अतः आपके एवं सदन के माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि श्री वर्मा को मुन्डेरवा चीनी मिल से तत्काल हटाकर उनके कुकृत्यों की जांच करके उचित कार्यवाही की जाये ।

नगर पालिका आजमगढ़ के अधिकारियों द्वारा गृह कर तथा जलकर में वृद्धि किये जाने से जनमानस में रोष उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

नगरपालिका आजमगढ़ में अधिकारियों ने मनमाने ढंग से नियम के विरुद्ध बिना सर्वेक्षण कराये अदायगी की क्षमता से अधिक गृहकर तथा जलकर लगा दिया है । अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण मंदिर मस्जिद तथा स्वयं सेवा संस्थायें भी उपरोक्त कर से प्रभावित हो गई हैं ।

गृहकर, जलकर के मनमाने ढंग से लगाये जाने से नगरपालिका क्षेत्र की समस्त जनता आन्दोलित है । गृहकर जलकर के विरोध में सम्पूर्ण नगर बन्द रहा तथा सभी सरकारी तथा गैर सरकारी काम काज ठप रहे हैं जनता द्वारा अनवरत घेराव प्रदर्शन हो रहा है तथा आज भी काफी संख्या में लोग अनशन पर जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठे हैं । स्थिति भयावह होती जा रही है । किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है । जनहित में गृहकर, जलकर को अविलम्ब समाप्त करने की मांग करता हूं ।

जनपद देवरिया के ग्राम विशुनपुरा व परसिया के निकट घाघरा नदी में भीषण कटाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विष्णु देव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ग्राम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विसुनपुरा व ग्राम परसिया, जनपद देवरिया के निकट घाघरा नदी में तेजी से होने वाले भीषण कटाव से उत्पन्न स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । उक्त कटाव से ग्राम विसुनपुरा व परसिया, जनपद देवरिया के कई सौ मकान व हजारों एकड़ भूमि घाघरा नदी की धारा में विलीन हो चुके हैं। इन ग्रामों के शेष सैकड़ों मकानों, हजारों एकड़ भूमि कट-कर धारा में विलीन हो जाने की स्थिति में है । साथ ही जनपद आजमगढ़ के ग्राम नुरुल्लाइपुर, बखरिया, धर्मपुर, विसुन-पुर, सिसवा की बीसों हजार एकड़ भूमि तथा कई हजार मकानों के कटकर घाघरा की धारा में विलीन हो जाने का खतरा पैदा हो गया है । कटाव पीड़ित प्रभावित जनता में हाहाकार मचा हुआ है । यदि कटाव रोकने के लिए तत्कालीन पक्के ठोकर की शीघ्र व्यवस्था न हुई तो किसी भी क्षण पीड़ित जनता सड़कों पर आ सकती है और कोई अप्रिय घटना हो सकती है । कटाव रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही न होने से स्थानीय जनता में भारी असंतोष एवं आक्रोश पैदा हो गया है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कटाव रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।

हाई स्कूल परीक्षाफल की घोषणा में गणित विषय के प्रति दोहरी नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं वह यह है कि हाईस्कूल परीक्षाफल में अनिवार्य विषय गणित के छात्र/छात्राओं के साथ दोहरी नीति के तहत भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया गया है ।

हाईस्कूल 1986 में सम्मिलित हुये परीक्षार्थियों में केवल गणित-1 का न्यून-तम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत से घटाकर 28 प्रतिशत किया गया है उसी क्रम में गणित-2 का न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत से न घटाकर 33 प्रतिशत ही किया गया है ।

इस भेदभाव के फलस्वरूप गणित-1 के परीक्षार्थी मात्र 20 अंक पाकर उत्तीर्ण घोषित किये गये जब कि गणित-2 के परीक्षार्थी 24 अंक पाकर अनुत्तीर्ण घोषित किये गये जबकि 4 अंक अधिक है। इस दोहरी नीति से तृतीय श्रेणी के कम अंक पाने वाले छात्र/छात्रायें उत्तीर्ण किये गये तथा योग्य प्रथम श्रेणी के छात्र/छात्रायें अधिक अंक पाने के बाद भी अनु-त्तीर्ण होने से उन्हें मानसिक ठेस पहुंची है।

ऐसा करना महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित शिक्षा विनियम-1 अध्याय 13 क्रम संख्या 3 व संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार "राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र में" किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा कानून के समान संरक्षण से बंचित नहीं रखेगी का शिक्षा विभाग द्वारा उल्लंघन किया गया है ।

अतः दोहरी नीति समाप्त कर गणित-1 की भांति गणित-2 का भी न्यूनतम उत्तीर्णांक 28 प्रतिशत करके पुनः परी-क्षाफल घोषित किये जाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत आज दो सूच-नायें प्राप्त हुई (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

माननीय अध्यक्ष जी मैं एक जीवित सांप का बच्चा लाया हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये पहले मैं नियम 300 ले लूं (व्यवधान) आपका किस के अंतर्गत है।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह उन्नाव में नल से निकला है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें (व्यवधान) मैं सब का ख्याल करके चलता हूं। इस तरह से काम कैसे चलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)–

मान्यवर, माननीय मनोहर लाल जी जो सांप लाये हैं वह किसी के आस्तीन से निकल कर तो वहां नहीं पहुंच गया है

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, एक मिनट देख लें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। नियम 300 के अंतर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली सूचना माननीय मित्र सेन जी की है तथा दूसरी सूचना माननीय राम आसरे वर्मा एवं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की है। तो नियम 52 की सूचनायें स्वीकार अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष का है उसके खिलाफ सदन में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। फिर भी यदि माननीय सदस्य मुझसे मेरे कक्ष में मिल लें और मुझे संतुष्ट कर दें कि उनकी चर्चा स्वीकार होनी चाहिए तो मैं जरूर उस पर विचार करूंगा।

सूचना नम्बर दो में मंत्री द्वारा दिया गया जवाब अगर सही नहीं है तो करण संख्या 218, 219 में अथवा विशेषाधिकार भंग की सूचना आप दे सकते हैं। यह नियम 300 में नहीं आता है इसलिये मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री मित्र सेन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके कमरे में कहने के बजाय मैं सदन में कह दूं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष–

नहीं वह मैंने बता दिया। (व्यवधान)

श्री मित्र सेन–

सुन लीजिये। बहुत महत्व का है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे कह दिया (व्यवधान) जो आप बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा। बात खत्म हो गयी।

श्री मित्र सेन–

आप जानबूझ कर हमारी बात नहीं सुनते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्णय दे दिया है। अब आप कृपा करके बैठें।

श्री मित्र सेन–

हम आपकी यह बात बरदास्त नहीं कर सकते हैं कि आप हमारी जो नियमानुसार सूचना होती है उसको भी अस्वीकार कर दें।

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्णय दे दिया है यह कोई बात आपकी नहीं लिखी जायेगी। इसलिये आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप बैठ जायं।

नोटः–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की नियम समिति (1986-87) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की नियम समिति (1986-87) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

पीपली क्षेत्र विकास खण्ड कनालीछीना, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने विषयक याचिका

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं पीपली क्षेत्र विकास खण्ड कनालीछीना, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने विषयक श्री शोबन सिंह एवं श्री रणजीत विश्वकर्मा निवासीगण जनपद पिथौरागढ़, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरे जनपद उन्नाव में जो पीने का पानी नलों से सप्लाई किया जा रहा है उसमें एक सांप का बच्चा निकला है जिसके सम्बन्ध में मैंने लिखकर दिया है। आप मेरी बात को सुन लें। सांप अभी जिंदा है। कल तक मर जायेगा।

(सदन में शीशी में रखे हुए सांप को दिखाया)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं। यह आपके लिये मुनासिब नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री मनोहर लाल जी अपने हाथ में एक संदिग्ध चीज लिये हैं, सदन जानना चाहता है कि उनके हाथ में कौन सी चीज है। आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जांय। इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

ग्राम जालापुर, विकास खण्ड सुमेरपुर, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत सवरई नाला पर पुल बनवाने विषयक याचिका

श्री भगवती सिंह विशारद–

अध्यक्ष, महोदय, आपकी आज्ञा से मैं ग्राम जालापुर विकास खण्ड सुमेरपुर, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत सवरई नाला पर पुल बनवाने विषयक श्री शिव सागर प्रसाद एवं श्री करुणा शंकर निवासीगण ग्राम जालापुर पोस्ट भगवन्त नगर, जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ग्राम पचवस, जनपद बस्ती में डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में याचिका

कर्नल केशरी सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से सैनिक ग्राम पचवस, जनपद बस्ती में डिग्री कालेज की स्थापना विषयक श्री द्वारिका सिंह, श्री विक्रमादित्य सिंह, श्री तमसेर नाथ सिंह तथा श्री देवधर द्विवेदी वैध द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(मद सं0 12 लिये जाने पर, श्री मनोहर लाल द्वारा पुनः सर्पयुक्त शीशी दिखाये जाने पर)

श्री मनोहर लाल द्वारा साफ सुथरे पानी की व्यवस्था किये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

यह आपके लिये कतई शोभा नहीं देता है।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

यह आपके नावदान का है।

(व्यवधान)

---

†(छापा नहीं गया)

श्री सुखपाल पाण्डेय–

(श्री मनोहर लाल के अपने स्थान से जाने पर)–यह सदन की प्रापर्टी बन गया है। यह पहले की भी परम्परा रही है। इसे आप अपने पास मंगवा लें और श्री मनोहर लाल जी को सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, यह आपके दल के लोगों के लिए मुनासिब नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं मनोहर लाल जी से कहूंगा कि वह शीशी बाहर ले जायं, लेकिन आप सरकार से यह व्यवस्था कराइये कि जनता को स्वच्छ और साफ पानी पीने को मिले।

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस बात की जरूरत है कि पीने का पानी सबको मिले और सबके लिए अच्छे और साफ सुथरे पानी की व्यवस्था होनी चाहिये और आपको मालूम भी होगा कि हमारा जो नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम है, उसमें कहा गया है कि सबके लिए साफ सुथरे पानी की व्यवस्था की जायेगी। जो मनोहर लाल जी लाए हैं, उसे वह अपने नाबदान से लाये हैं। यह तो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि साफ-सुथरे पानी की व्यवस्था की जाये और उसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ी न हो।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अंतर्गत 30 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना माननीय अनुग्रह नारायण सिंह की है इलाहाबाद, गोरखपुर तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों को आवासीय विश्वविद्यालय बनाये जाने की घोषणा से छात्रों एवं अध्यापकों में बैचेनी। दूसरी सूचना माननीय अकबर हुसैन बाबर की है, अलाद फैजाबाद के थाना तेवाना में पुलिस द्वारा रमशुद्दीन नामक व्यक्ति का कत्ल। तीसरी सूचना इसी विषय पर माननीय अवधेश प्रसाद जी की है। चौथी सूचना माननीय फजलुल बारी की है जनपद बाराबंकी में पुलिस द्वारा 16 व्यक्तियों की हत्या। पांचवी सूचना पर श्री रेवती रमण सिंह, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जनार्दन प्रसाद अंभा, सदस्य विधान सभा की जान से मारने की धमकी। छठी सूचना है जिस पर हस्ताक्षर करने वाले हैं श्री रमाकान्त, श्री रामजनम, श्री दुर्गा प्रसाद यादव व श्री बलराम यादव जी- आजमगढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के व्यवहार से जनता में बेचैनी। सातवीं सूचना पर श्री शतरुद्ध प्रकाश, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री कमलेश पाठक, श्री किरनपाल सिंह, श्री रमा शंकर कौशिक, श्री भगवती सिंह व श्री बाबू राम यादव की है- जनपद इलाहाबाद एवं मिर्जापुर में दइया चैरिटेबुल सोसाइटी नामक ट्रस्ट द्वारा लाखों रुपये की भूमि के अर्जन के संबंध में । आठवीं और नवी सूचनाएं भी इसी विषय पर क्रमश: माननीय मनोहर लाल जी की व श्री सरदार सिंह जी की हैं। दसवीं सूचना पर हस्ताक्षर हैं श्री सुखपाल पान्डेय व श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी के- उत्तर प्रदेश में छः चीनी मिलों का बन्द किया जाना। ग्यारहवी सूचना भी इसी विषय पर है और उस पर माननीय हर्षवर्द्धन, माननीय रणजीत सिंह व माननीय विष्णु देव के हस्ताक्षर हैं। बारहवीं सूचना पत्रकारों के उत्पीड़न पर श्री रामआसरे वर्मा, श्री हृदय नरायन दीक्षित व श्री हरिशंकर तिवारी की है। तेरहवीं श्री गोपाल सिंह की है- मेरठ के क्षेत्र बरनावां में असामाजिक तत्वों द्वारा दंगा भड़काने की कोशिश पर। 14 वीं सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की प्रदेश में आतंकवादियों की गति-

विधियों से जनता में असुरक्षा की भावना के बारे में है। 15वीं सूचना माननीय बुनियाद हुसैन अंसारी की कानपुर की रजिस्टर्ड हैण्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटी में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में 16वीं सूचना माननीय शारदा प्रताप की बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कन्टेनरों की सप्लाई में घपले के बारे में है। 17वीं सूचना माननीय सूर्य प्रताप शाही जी की जिला देवरिया में छोटी गंडक में बाढ़ के बारे में है। 18वीं सूचना माननीय रिजवानुलहक, माननीय शफीकुर्रहमान बर्क और माननीय हाजी मो0 हयात की जिला मुरादाबाद, पीपल साना में पुलिस द्वारा अव्यवस्था फैलाने के बारे में है। 19वीं सूचना माननीय शारदानन्द अंचल की जिला बलिया में बाढ़ के बारे में है। 20वीं सूचना, माननीय किशन लाल की प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने में अधिकारियों के सहयोग के बारे में हैं। 21वीं सूचना माननीय राम गोविन्द चौधरी की जिला बुलंदशहर में प्रमोद गांगलिक के घर में घुस कर लूट और हत्या के बारे में है। 22वीं सूचना श्री राम नरेश की प्रदेश में बिजली कटौती से किसानों में परेशानी के बारे में है। 23वीं सूचना माननीय राम शरन दास की विभिन्न उत्तर प्रदेश तथा तराई क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा उत्पात किये जाने के बारे में हैं। 24वीं सूचना माननीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी की नगीना जिला बिजनौर में पुलिस द्वारा जनता को परेशान किये जाने के बारे में है। 25वीं और 26वीं सूचना माननीय विजय सिंह राणा और माननीय रघुबर दयाल वर्मा की बिजली दरों में इजाफे से किसानों में परेशानी के बारे में है। 27वीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी की आई0 टी0 आर0 फैक्ट्री के मजदूरों में रोष एवं बेचैनी के बारे में है। 28वीं सूचना माननीय काशी सिंह एरी की सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन से जनजीवन अस्तव्यस्त होने के बारे में है। 29वीं सूचना माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह, माननीय राम सजीवन, मा0 मित्रसेन, और माननीय राजकिशोर सिंह की काशीपुर (नैनीताल) कताई मिल में मजदूरों के कत्ल के बारे में है। 30 वीं सूचना माननीय अशोक बाजपेयी की उत्तर प्रदेश सरकार एवं सचिव राजस्व परिषद् की लापरवाही से प्रदेश को करोड़ों रुपये के नुकसान होने के बारे में है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में, बैठी हुयी अफसरशाही और उसके प्रभाव से तमाम इस प्रकार के सरकार के निर्णय होते जा रहे हैं जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा असंतोष है। पिछले दिनों, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय बनाये जाने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण इन तीनों विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध डेढ़ सौ महाविद्यालयों और डेढ़ लाख छात्रों और हजारों अध्यापकों और कर्मचारियों में भीषण असंतोष है। अध्ययन-अध्यापन कार्य ठप है। लोग सड़कों पर अपनी बात कहने के लिये आ चुके हैं। आवासीय विद्यालय बनाये जाने से शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर उच्च शिक्षा में कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इसलिये तमाम छात्रों के भविष्य को देखते हुये, प्रवेश का समय है और सत्र वैसे भी पूरी तरह से अनियमित चल रहे हैं और सरकार भी इस पर चिंता प्रकट करती है कि सत्र नियमित हों तो इस अविवेकपूर्ण निर्णय से जो शिक्षा विदों के साथ न बैठकर बल्कि अफसरशाही के प्रभाव में आकर लिया गया है इससे चारों तरफ असंतोष व्याप्त है।

महाविद्यालयों के लगभग डेढ़ लाख छात्रों सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं जबकि इस समय उनको कक्षाओं में बैठकर अध्ययन करना चाहिये था। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर इन तीनों महान विश्वविद्यालयों से जो महाविद्यालयों को असम्बद्ध किया जा रहा है इससे बढ़ते हुये असंतोष पर चर्चा करायी जाय जिससे कि पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और शांति एवं सुरक्षा को खतरा न पहुंचे।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, अभी माननीय अनुग्रह नारायण सिंह ने जो कुछ कहा, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय को आवासीय सुविधा देने के संबंध में कहा और यह भी कहा कि वहां पर पठन-पाठन की क्रिया चल नहीं रही है । मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। दो विश्वविद्यालय लखनऊ और इलाहाबाद को आवासीय सुविधा प्रदान करने का शासन ने सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया । शासन के इस निर्णय का स्वागत भी किया गया है। बहुत से अध्यापक हमसे मांग कर रहे थे कि हमको अमुक विश्वविद्यालय से असम्बद्ध किया जाय ताकि स्नात्तकोत्तर कक्षायें चलाई जा सकें हमारी सूचना यह है कि पठन-पाठन ठीक चल रहा है। शासन का निश्चित ही यह दायित्व है कि सत्र सुधरे । मान्यवर , इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों के सत्र साधारणतया: नियमित हो चुके हैं, लखनऊ में केवल ला के क्लासेज पिछड़े हुए हैं और इलाहाबाद में जो स्नातकोत्तर कक्षाएं हैं, वह पिछड़ी हुई हैं । मान्यवर, जब तक विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन नहीं किया जायगा, कोई निर्णय ऐसे तो हो नहीं जायेगा। तो यह कहना कि प्रवेश नहीं हो पा रहा है, मान्यवर, जब विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन हो जायगा, तब असम्बद्धता का निर्णय पूर्ण होगा । इसलिए मान्यवर, माननीय अनुग्रह नारायण जी का प्रस्ताव, कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में पठन-पाठन नहीं हो रहा है और साथ ही साथ प्रवेश भी रुके हुए हैं । लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सत्र स्नात्तकोत्तर और ला के डेढ़ साल से ज्यादा पिछड़े हुए हैं । इस प्रकार के मान्यवर, अनर्गल बयान सदन में नही मिलने चाहिए माननीय मंत्री जी का जवाब तथ्यों पर नहीं बल्कि अफसरों की गलत सूचनाओं पर आधारित है । हमारा यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव अपनी जगह पर स्टैण्ड करता है ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, जनपद फैजाबाद के बेवाना थाने में 7/8 अगस्त, 1986 की रात में ग्राम अहथा के निवासी शमसुद्दीन नामक एक तीस वर्षीय नवयुवक को मिट्टी का तेल छिड़क कर पुलिस हिरासत में जला दिया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 10-8-86 को जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर में उसका देहान्त हो गया । जनपद फैजाबाद में पुलिस की हवालात में जला कर मार डालने की यह तीसरी घटना है । वर्ष 1983 में ठीक इसी प्रकार मालीपुर थाने के हवालात में लाल बहादुर वर्मा नामक व्यक्ति को मिट्टी का तेल छिड़क कर जला कर मार डाला गया था । वर्ष 1985 में सुरेश मिश्रा नामक नवयुवक को खड़ासा थाने में इसी प्रकार जला कर मार डाला

गया था । 1983 से पहले फैजाबाद जनपद के किसी भी थाने में इस प्रकार की कोई वारदातें नहीं हो रही थी । लाल बहादुर वर्मा हत्या काण्ड में 1983 में आत्म दाह की कहानी जो पुलिस ने गढ़ी थी, अक्षरशः वही कहानी सुरेश मिश्रा हत्या काण्ड में दोहराई गयी और अब पुनः शमशुद्दीन हत्या काण्ड में भी वही कहानी दोहराई जा रही है । पुलिस का यह कहना है कि शमशुद्दीन को न पुलिस द्वारा मारा-पीटा गया, न उसे धमकी दी गयी, न ही उसे अन्य किसी प्रकार प्रताड़ित किया गया । जब उसका किसी प्रकार उत्पीड़न नहीं हुआ, तो आत्मदाह का कोई कारण नहीं है । यह कहानी पुलिस द्वारा अपने बचत के लिए गढ़ी गयी है । फैजाबाद से प्रकाशित होने वाले दैनिक जनमोर्चा ने दिनांक 9-8-86 को सहायक पुलिस अधीक्षक फैजाबाद का प्रकाशित यह बयान कि "शमसुद्दीन को घटना स्थल पर गांव वालों ने जलाया" घटना को और भी रहस्यमय बना देता है । इस संबंध में माननीय संसद सदस्य राम प्यारे सुमन ने भी पुलिस पर, शमशुद्दीन को हिरासत में जलाने का आरोप लगाते हुए घटना की न्यायिक जांच और मृतक परिवार को क्षतिपूर्ति देने की मांग की है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है । पुलिस इस कथन पर कि शमसुद्दीन ने स्वयं यह बयान दिया है कि उसने आत्म दाह किया है, विश्वास करना संभव नहीं । जिस प्रकार पुलिस ने अपने हिरासत में जलाया था, भय और आतंक के वातावरण में शमशुद्दीन से पुलिस की हिरासत में उसके विरुद्ध किसी बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती । इंजेक्शन लगते ही शमसुद्दीन का फौरन मर जाना उसके घर वालों के इस संदेह को पुष्ट करता है कि उसे पुलिस वालों ने जहर देकर मरवाया है । इस घटना से पूरे फैजाबाद जनपद की जनता में आक्रोश है। जनता के विभिन्न वर्ग लगातार जलसे, जुलूस, निकाल कर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं । इस जघन्य अपराध से जनता और पुलिस के बीच किसी भी समय टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोक करके विस्तृत चर्चा कराई जाय।

श्री फजलुलबारी–

मान्यवर, मैं अपनी बात कहने से पहले एक शेर कहूंगा यह दो मिसरों में है :–

जो चुप रहेगी जुबान-खंजर
लहू पुकारेगा आस्ती का ।

श्री अध्यक्ष–

शेर के साथ ही अपनी बात भी खत्म कर दीजिए ।

श्री फजलुलबारी–

[* * *]

मान्यवर, 30 अप्रैल को बाराबंकी के पीरबंटावन मोहल्ले में हजारों की तादाद में लोग अपना रोष प्रकट करने के लिए, अपने गमों-गुस्से का इजहार करने के लिए, गिरफ्तारी देने के लिए आए । होना यह चाहिए था कि जो लोग गिरफ्तारी दे रहे थे उनको जेल भेज देते, लेकिन जिस तरह से जलियांवाले बाग में अंग्रेजों के सिपाहियों ने गोलियों से भून दिया था, उसी तरह से पीरबंटावन मोहल्ले में उस पुर अमन जलसे को [illegible]

श्री अध्यक्ष–

अब खतम करिए।

नोटः–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने जिस अवांछनीय तरीके से उपेक्षा की है उसको कार्यवाही से निकाला जाए ।

श्री फजलुल बारी–

मैं अर्ज कर रहा था जिस तरह से पुलिस ने जलसे में लोगों को बेरहमी से मारा उसका बयान करना, उसका वर्णन करना किसी भी जनतांत्रिक माहौल में शर्मनाक है, इसलिए मुनासिब नहीं कि बयान किया जाए । मान्यवर, पूरे हिन्दुस्तान के अखबारों में विरोधी दल के नेताओं ने उस मामले की भर्त्सना की । आज भी बाराबंकी में आतंक व्याप्त है।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मुख्य मंत्री के लिए इन्होंने किसी जनरल डायर की उपमा दी है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिए । तभी कार्यवाही चलेगी ।

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही को मैं देख लूंगा ।फिर जैसा मुनासिब होगा किया जाएगा।

(व्यवधान)

कुमारी अलमेलु अम्माल–

यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष

मैं कार्यवाही देख लूंगा ।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

आप व्यवस्था दीजिए जो उपमा दी उसको आप कार्यवाही से निकलवाइए

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही देखकर जैसा उचित होगा, करूंगा।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

मान्यवर, यह शब्द अशोभनीय है, इसे कार्यवाही से हटाइये।

श्री फजलुलबारी–

मान्यवर, यह मेरा आरोप है, आप संरक्षण दें जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो उसको शान्ति का माहौल मिलना चाहिए।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

मान्यवर, व्यवस्था दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था दी है, आपने सुना नहीं। मैंने कहा है कि कार्यवाही देखकर अगर उचित होगा तो निकाल दूंगा।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

मान्यवर, आपका धन्यवाद है।

श्री फजलुल बारी–

मैं मान्यवर, यह अर्ज कर रहा था कि उसके बाद जब उस स्थिति को देखने के वास्ते हम लोगों ने जाना चाहा तो इस सरकार ने पाबन्दी लगा दी। हम यहां पर मुख्यमंत्री से मिले और कई बार मिले तो उन्होंने जैसा तरीका है शिष्टता का, वह करते हुए कहा कि हम इन्क्वायरी करायेंगे और जो कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाया जायेगा उसको सजा दी जायेगी। जब यह कहा गया कि वहां के पुलिस के अधिकारी कुछ लोगों को बेगुनाह फंसाना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री ने वायदा किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 13/14 मई को 5 प्रमुख नेताओं को 302 के मुकदमें में फंसा दिया कि एक होमगार्ड का कमाण्डेन्ट मारा गया है सत्य यह था कि होमगार्ड का कमाण्डेन्ट बाराबंकी के कोर्ट में एक वकील का मुंशी था और बहुत मकबूल व्यक्ति था जब उसने पी0ए0सी0 वालों को मना किया कि हमारे आदमियों को मत मारो तो पी0ए0सी0 वालों ने उस होमगार्ड के

कमान्डेन्ट को बन्दूक के कुन्दों से मार डाला इसमें 5 आदमियों को फंसाया गया है जिनके नाम उबेदुर रहमान, सुराज कुमार, फरीद, मुहम्मद अली और अब्दूल सत्तार है। इन 5 आदमियों को 302 में इस सरकार ने फंसवा दिया, उनकी जायदादें कुर्क कर ली गयी जबकि बार बार मुख्य मंत्री यह आश्वासन देते रहे कि मुकदमा नहीं चलाया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें।

(घोर व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, अभी बारी साहब ने बाराबंकी में जो घटना घटी उसके सम्बन्ध में यहां कुछ बातें कहीं। मान्यवर, जैसा सब को मालूम भी है सरकार का यह प्रयास रहा है कि कहीं भी प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव न बढ़ने पाये। यह मान्यवर, जो बाराबंकी की घटना घटी, पहले भी लोगों को मालूम है कि कुछ असामाजिक तत्व जिसके बारे में लोग जानते भी हैं कि यहां स्मगलिंग होती है, बड़े-बड़े स्मगलर लोग पकड़े गये हैं अफीम की तस्करी में। पुलिस का उनका बहुत पुराना झगड़ा चलता आ रहा है और आज भी है। अब ऐसे लोगों की मदद आप बेकार करना चाहते हैं। सरकार समाज में अमन चैन कायम करना चाहती है इसलिये ऐसे तमाम तत्वों को दबाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो साम्प्रदायिक भावना बढ़ेगी। इसलिये जो असामाजिक तत्व हैं चाहे कहीं भी किसी जगह पर हों, कोई व्यक्ति हो, किसी का व्यक्ति हो सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं होगा। और उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही हो पायेगी सरकार करेगी।

(एक सदस्य द्वारा कुछ बोलते रहने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इनका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाराबंकी के संबंध में जिस तरह का बयान दिया है, माननीय सदस्य का कहना यह था, मूल भावना यह थी कि बाराबंकी में निहत्थे लोगों पर अमानुषिक तरीके से गोली चलाकर हत्या की थी। सरकार के अनुसार 16 लोग मारे गये, हमारे हिसाब से तो और मरे हैं मैं मौके पर गया था। बहुत से लोग किस तरह से भागे और छिपाकर किस तरह से लोगों को घाघरा में बहा दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा असामाजिक तत्व थे क्या उस भीड़ में छांट-छांट कर ऐसे लोगों को मारा गया या आम लोगों पर गोलियां चलाई गईं। जब आप इसको उचित नहीं ठहरा रहे हैं तो कलेक्टर और एस0पी0 का ट्रान्सफर क्यों किया। सरकार की और पुलिस की पूरी तरह से योजना थी कि हिन्दू और मुसलमान में तनाव बढ़े। मैं बधाई देना चाहता हूं बाराबंकी के लोगों को जिन्होंने सरकार के इस नापाक इरादे को तोड़ कर रख दिया और हिन्दू मुसलमान में तनाव नहीं बढ़ने दिया। आप कहते हैं कि हिन्दू और मुसलमान में तनाव था मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर हिन्दू मुसलमान ने एक दूसरे को अपने घरों में बन्द करके जान बचाई, वहां के एक वकील साहब थे उनकी जान एक हिन्दू महिला ने बचायी। कर्फ्यू लगा था वकील साहब अन्दर रह गये, उस महिला के घर के लोग लौटे नहीं तो वकील साहब संकोच करने लगे एक महिला के साथ उसके घर में कैसे रहे तो उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिला ने अपनी धोती बांधकर उनको पीछे से घर से बाहर निकाल दिया और उनकी जान बच गई। वहां हिन्दू मुसलमान का कोई तनाव नहीं था। सरकार और पुलिस मिलकर वहां तनाव पैदा कर रही थी।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 16 लोग मारे गये क्या वह सब असामाजिक तत्व थे यह किस आधार पर आप कह रहे हैं। वहां जो काण्ड हुआ उसके लिये वहां की पुलिस जिम्मेदार है। अगर 8-10 बसें और दे दी जाती और लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देते तो 16 लोगों की जान बच जाती। माननीय मुख्य मंत्री जी ने किस आधार पर बताया कि यह लोग असामाजिक तत्व थे, किस एजेन्सी की रिपोर्ट है, और उन लोगों पर क्या-क्या अपराध थे आप तस्करी की बात करते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता की कार पकड़ी गई तस्करी में आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। आप कह रहे हैं कि कार्यवाही करेंगे। किस जांच रिपोर्ट के आधार पर आप कह रहे हैं कि वह लोग असामाजिक तत्व थे, क्या उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही, जैसा वहां पर तनाव था।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

इस काण्ड के लिये मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। यह हत्यारा है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

तुम कम्यूनल हो बैठे । तुम महा कम्यूनल आदमी हो। माननीय अध्यक्ष जी जो बाबरी एक्शन कमेटी की स्थानीय शाखा है, उसने कहा था कि हम शान्ति ढंग से 500 लोग इकट्ठा होंगे। 500 लोगों को गिरफ्तार कर लें। यह समझौता हुआ था, मान्यवर लेकिन मान्यवर, वहां बहुत से लोग इकट्ठा हो गये। उसमें यह नहीं है कि सब के सब गलत तत्व ही थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे गलत तत्व आ गये, जिन्होंने यह कराया। बाबरी एक्शन कमेटी ने कोशिश भी की कि ऐसा गलत काम न हो, लेकिन कुछ गलत लोगों ने वहां पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिये। इस पर गोली चली। हमने उसकी जांच बैठाई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मालूम हो जायगा कि किसकी गलती है। जिसकी भी गलती होगी, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। हमसे लोगों ने कहा कि वहां के डी0एम0 और एस0पी0 को हटा दें तो जांच सही होगी, तो वहां के उन अधिकारियों को तुरन्त हटा दिया गया, ताकि सही जांच हो सके । लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ न कुछ झगड़ा होना चाहिये और झगड़ा कराने के लिये तैयार रहते हैं। ऐसे तत्वों के लिये यह सरकार कोई स्थान नहीं देगी।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि वहां पर 200-400-500 या पांच हजार लोग इकट्ठा हो गये और उद्दण्डता करने लगे । वहां पर पांच घंटे मीटिंग चली लेकिन वहां पर डी0एम0 या एस0एस0पी0 मौजूद नहीं थे। उन्हें उस मीटिंग में होना चाहिये था। वहां कोई कन्ट्रोल करने वाला नहीं था, इसलिये हंगामा हुआ। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनका स्थानान्तरण कर दिया तो स्थानान्तरण कोई पनिशमेंट नहीं है। वहां के डी0एम0 और एस0

एस0पी0 को निलम्बित किया जाना चाहिये क्योंकि वे मौके पर मौजूद नहीं थे। वे मौजूद होते तो वारदात न होती। उनकी लापरवाही की वजह से यह वारदात हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बारी जी आपसे अनुरोध है कि इस सदन को सुचारू रुप से चलाने में मेरी मदद करें। अब मैं सूचना नम्बर पांच लेता हूं।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, श्री जनार्दन प्रसाद आभा इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। उनके ऊपर मान्यवर, एक मामूली सरकारी कर्मचारी ने प्राणघातक हमला 17 जुलाई को कराया, जब वे अपनी माताजी का श्राद्ध करके लौट रहे थे। रात्रि के समय जब मिल के गेट के सामने उनकी कार आयी तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी कार पर हमला किया। मान्यवर, यह बाल-बाल बचे गये। इन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर तथा पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया कि जान का खतरा है, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मान्यवर, इसी तरह से असावधानी के कारण जनरल वैद्य को हत्या हो गयी। आज इस तरह का वातावरण पूरे देश में बना हुआ है। असामाजिक तत्व उस चीनी मिल घुघली में सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो रिपोर्ट लिखायी गयी जिस पर जांच के आदेश हुए, उस जांच में पाया गया कि उनकी हिस्ट्रीशीट है, तमाम अपराधिक कृत्यों में फंसे हुए हैं और सजा भी पा चुके हैं। जिस सामान्य प्रबन्धक को 4 साल तक निलम्बित रखा गया, फिर से नौकरी में आने पर वे वही घृणित कार्य कर रहे हैं। उनके खिलाफ कई लाख के गबन का मामला है। उनके विरुद्ध बिजली की चोरी का मामला है, ज्यादा दर पर कोयला क्रय करने का मामला है, इसी तरह के करीब 9 बिन्दु हैं उनके खिलाफ। मान्यवर, सामान्य प्रबन्धक घृणित कार्य करे और जिनका चरित्र संदिग्ध रहा हो, जिनकी हिस्ट्रीशीट हो वह सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं मिल में। यह तो गंभीर आपत्तिजनक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, कठोर कार्यवाही न होने की दशा में किसी दिन आभा जी के ऊपर प्राणघातक हमला होने पर हम कुछ नहीं कर पायेंगे।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्रा जा रोज स्वच्छ प्रशासन का नारा देते हैं और उसके प्रति अपनी कटिबद्धता जाहिर करते हैं। माननीया सरस्वती अम्माल जी यहां बैठी हुई हैं मैं कहूंगा कि आप उन्हीं से पूछ लीजिये कि वे सामान्य प्रबन्धक श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव भ्रष्ट हैं या नहीं। यदि वे कह देंगी कि भ्रष्ट नहीं हैं तो हम अपना चार्ज वापस ले लेंगे और आभा जी भी स्वयं सुरक्षा कर लेंगे। उस पर तमाम गंभीर आरोप हैं, उसे निलम्बित किया जाना चाहिये।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, इसमें जो बात कही गयी है, मैं इस चीज को खुद देख लूंगा। जो भी कार्यवाही हो सकती है, करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं सूचना नं0 1, 2 व 3 पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। सूचना नं0-5 के सम्बन्ध में यह है कि आभा जी की पूरी सुरक्षा की जाय। सभी सूचनायें कार्य-स्थगन के रूप में अस्वीकार की गयीं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

(श्री अध्यक्ष के उक्त निर्देश पर श्री किरन पाल सिंह श्री मनोहर लाल, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री भोपाल सिंह, श्री दिवाकर विक्रम सिंह व अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये । यह कोई तरीका नहीं है । (श्री सुखपाल पाण्डे, श्री किरनपाल सिंह व अन्य सदस्य मांग करने लगे कि उन्हें उनके विषय पर सुना जाय)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये। यह कोई तरीका नहीं है। सदन को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग दें। (श्री सुखपाल पाण्डेय और श्री भोपाल सिंह के माननीय अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित हुई । 1 बजकर 40 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया है । 2 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन आधा घंटे के लिए बढ़ा दिया है । 2 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने पुनः सदन को सूचना दी कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है । 3 बजे मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है ।

तदुपरान्त 3 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की सूचना में नम्बर 7 दइया चैरिटेबुल सोसाइटी नामक ट्रस्ट वाला मामला कल लिया जायेगा । सूचना नम्बर 10, 11 के बारे में.....

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है आज का प्रश्न कल कैसे लेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह नेता विरोधी दल ने तय किया है। तो सूचना नम्बर 10, 11 उत्तर प्रदेश में 6 चीनी मिलों के बन्द होने के बारे में मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है ।

श्री रमाकान्त यादव की सूचना आजमगढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के व्यवहार से जनता में आतंक के बारे में सुन रहा हूं ।

(व्यवधान)

माननीय रमाकान्त यादव जी आपको क्या कहना है । (व्यवधान) कार्य स्थगन के रूप में मैंने सबको अस्वीकार किया है ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत जो व्यवस्था है उसमें विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व का होना चाहिए और वह घटना 7 दिन के भीतर घटी हो उसकी ग्राह्यता पर आप सुनेंगे । लेकिन देखने में यह आता है हमारी एक सूचना जो अति लोक महत्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की है और अविलम्बनीय घटना है नैपाल पावर हाउस से एकाएक बहुत पानी छोड़ दिया गया जिससे देवरिया जिले में छोटी गंडक से बाढ़ आ गई और उससे साढ़े चार सौ गांव डूब गए हैं जिसमें से 206 गांव बिल्कुल जलप्लावित हैं लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई राहत कार्यों के लिए धनराशि नहीं दी गई । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं एक निवेदन कर दूं । आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं आप बैठें । मैंने रमाकान्त जी को बुला लिया है ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रदेश के 43 जिले साम्प्रदायिक आग से झुलस रहे हैं लेकिन आज तक केवल हमारा आजमगढ़ जिला ऐसा है जो कभी साम्प्रदायिकता का शिकार नहीं हुआ। लेकिन अब एक पुलिस अधिकारी को सरकार ने वहां भेज दिया है जो जातिवाद और साम्प्रदायिकता की आग में उस जिले को खड़ा करना चाहता है । जातिवादी के नाम पर वहां हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है । बहुत से गांवों से हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग विशेषकर यादव वर्ग के लोग गांव छोड़ कर भाग रहे हैं । वह अधिकारी विशेषकर यादवों को वहां से निकाल तथा उत्पीड़न कर रहा है वह कहता है कि हम आजमगढ़ से यादवों को खत्म करा देंगे । यहां तक कि हमारे चुने हुए विधायक रमाकान्त यादव जी और श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जान भी खतरे में है । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस जातिवादी अधिकारी के वहां रहते हुए साम्प्रदायिकता की आग गोरखपुर आदि में भी फैलेगी और यह भयंकर रूप धारण कर लेगी ।

मान्यवर, श्री रमाकांत पिछले दिनों अपने घर पर थे तो उन पर दो-दो बार पुलिस ने हमला किया और उनपर गोली चलाई गयी है । वहां के पिछड़े वर्ग और हरिजन लोग जो अध्यापक और प्रधानाचार्य हैं, आज अपने घर और गांव एवं जिला छोड़ने के लिये मजबूर हो गये हैं। ऐसे अधिकारी के खिलाफ आप जांच करायें और उसका स्थानान्तरण करें अन्यथा जातीय आधार पर जो भयंकर घटना एवं संघर्ष होने जा रहा है उसको आप नहीं रोक पायेंगे, इसलिये इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। ऐसे अधिकारी को वहां शांति व्यवस्था को कायम करने के लिये नहीं नियुक्त किया गया है बल्कि उन्हें पिछड़े एवं हरिजन वर्ग को समाप्त करने के लिये नियुक्त किया गया है। इस तरह की घृणित मानसिकता के पुलिस अधीक्षक ने पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था को झकझोर दिया है। इसलिये इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर आप चर्चा करायें और आजमगढ़ को जातीय संघर्ष में जाने से बचायें ।

श्री रमाकान्त–

मान्यवर, मैं अपने घर पर था तो हमारे यहां पुलिस (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जे0 एन0 सिंह व पदई इन्चार्ज श्री फूलराज सिंह) ने छापा मारा और हमारे ऊपर पुलिस ने फायर किया लेकिन मैं यहां से किसी तरह बचकर भागकर अपनी जान बचाई। उसके बाद हमारे छोटे-छोटे बच्चों, हमारी बूढ़ी मां को

बंदूकों के कुंदों से मारा गया और जाते समय कहा कि जबतक मैं उनको या उनके भाई का इनकाउन्टर नहीं कर दूंगा तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। इसलिये मुझे डर है कि वह कभी भी हमारी हत्या करवा सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, श्री रमा कान्त नये विधायक हैं इसलिए वह अपनी तकलीफ को अपने मुंह से अच्छी तरह नही रख सके। जैसा कि श्री बलराम यादव ने अभी बताया है **और मैं इस पुलिस अधिकारी को पहले से** जानता हूं, इसलिए मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी मानसिकता शुरू से ही ऐसी रही है जो आजमगढ़ में है। यह अधिकारी पहले मेरे पड़ोसी जिले में था तो वहां भी इसी तरह की इसके खिलाफ शिकायत थी। इसके पीछे भूमिका है कि इनके पिता का कत्ल बिहार में एक जाति के वर्ग ने किया था और तब से इस जाति को इसने पूरी तरह से दुश्मन मान लिया है। पूरे समुदाय के सामने और अधिकारियों से कहा है और अधिकारियों ने स्वीकार किया है, जिनसे मेरी व्यक्तिगत बात भी हुयी है कि इस अधिकारी की इस तरह की मानसिकता है। इसका ज्वलन्त उदाहरण है कि वह अधिकारी स्वयं श्री रमाकांत के घर जाकर पुलिस फोर्स लेकर चढ़ाई किया और श्री रमाकांत पर फायरिंग की गयी किन्तु किसी तरह वह वहां से बचकर लखनऊ भागकर आये। उसके बाद वहां उनकी मां और बच्चों को, उनके भाई को मारा गया। मान्यवर, यह नहीं कि क्या अपराध है बल्कि यह केवल किस जाति से संबंधित हैं इसको आधार मानकर इन पर अत्याचार शुरू किया गया है। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिला राजनीतिक दृष्टि से जागृत है, वहां किसी प्रकार का जातीय संघर्ष नहीं हुआ है। और न मुझे उम्मीद है कि होगा, लेकिन इस अधिकारी के रहते वहां भी वह आग भड़कने जा रही है। इसलिए आप इस विषय पर चर्चा कराइये और इस दोषी अधिकारी को मुख्य मंत्री जी दंडित करने की कृपा करें। आजमगढ़ जिला ऐसा शान्त और जागृत जिला है कि वहां पर कोई भी किसी किस्म का जातीय संघर्ष नहीं है, जो कि इस अधिकारी के रहते होने वाला है इसलिए आप जिले को इस अधिकारी से बचाने की कृपा करें।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल और हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो सूचनाएं यहां पर दी हैं उसको हम जांच करायेंगे और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अब और किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं । सूचनाएं अस्वीकार हुई हैं। **अब मद संख्या 22 लेते हैं ।**

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इन बिलों का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष–

यह बाद में ले लिए जायेंगे आज ही।

(मद सं0 22 पर श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर)

(इस समय 3 बजकर 26 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री विजय सिंह राणा–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष–

इस मद 22 ली गई है ।

श्री विजय सिंह राणा–

व्यवस्था का प्रश्न मान्यवर, यह कभी भी उठ सकता है । उस पर ऐसा कोई

प्रतिबन्ध नहीं है । मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है. . . .

श्री उपाध्यक्ष–

शतरुद्र प्रकाश जी, आप बोलें । आप जिस बात को उठाना चाहते हैं, उसको अध्यक्ष जी ने अस्वीकार कर दिया है । कहने की बात नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 1986-87 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा

*श्री शतरुद्र प्रकाश –

मान्यवर, वर्ष 86-87 के वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा यह जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और करीब 4,99,44,39,000 रुपये का यह अनुपूरक बजट है । इसमें कुछ ऐसी मूलभूत खामियां हैं, जो किसी भी स्वस्थ एवं आदर्श सरकार के लिए शोभा नहीं दे सकती है । मैं समझता हूं कि यह अनुपूरक बजट रखना ही अपने आप में वित्तीय अनुशासनहीनता है । जो सरकार सातवीं योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर विकास की दर 6 प्रतिशत के हिसाब से तय कर रही है और प्रति वर्ष जिसका आय-व्ययक तैयार हो रहा है, उस सरकार की तभी चार-पांच महीने के अन्दर अनुपूरक बजट पेश करने की जरूरत पड़ जाए, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि मौजूदा सरकार नियोजित विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गई है और इस समय कोई भी नियोजित प्रक्रिया वित्तीय मामलों में कहीं भी नहीं चल पा रही है । आए दिन सरकार के सामने ऐसे खर्चे आ रहे हैं, जिसकी कल्पना भी सरकार नहीं कर पा रही है और कई खर्चे ऐसे हैं, जो विभिन्न योजनाओं के समय से पूरा न होने के कारण हुए हैं । महंगाई की दर जो बढ़ रही है और उस महंगाई दर के बढ़ने के कारण निर्धारित अवधि में योजना के पूरा न होने के कारण जो लागत धनराशि बढ़ गई है, उसमें कई प्रतिशत बढ़े खर्चे की जरूरत हो रही है । यही कारण है कि ऊर्जा विभाग की कई परियोजनायें ऐसी हैं जो 500 करोड़ रुपयों में और पांच साल में पूरी होने वाली थीं पर 10 साल हो गये हैं और आज तक नहीं पूरी हुई हैं तथा उनकी लागत 15 सौ करोड़ या 2 हजार करोड़ पहुंच गयी है। मान्यवर, 90 विभाग हैं और 90 विभागों में करीब 49 विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास हैं ।

एक सदस्य –

आपको क्या कष्ट है ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

इसलिए कि आप बेकार बैठे हुए हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश –

5 अरब की धनराशि जो है उसकी 54 परसेंट धनराशि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं लिया है चूंकि 49 विभाग उनके पास हैं और जो मंत्री बचते हैं उनको अनुदान बजट का पैसा देने की मुख्य मंत्री जी ने आवश्यकता नहीं समझी है । 54 परसेंट हिस्से के हिसाब से 2 अरब 70 करोड़ रुपया माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पास रखा है जिसको अपने जरिए खर्च करने का इरादा रखते हैं । बाकी जो विभाग हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय इनके जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं उनको इस तरह की धनराशि, पैसा देने का प्राविधान इस अनुदान बजट में दयनीय दशा में दृष्टिगोचर हो रहा है। ज्यादा

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

से ज्यादा विभाग अपने पास रखने की हवस और ताकत और पैसा भी ज्यादा रखने की हवस भी इस अनुदान बजट में दिखायी दे रही है । 5 अरब में से 2 अरब 70 करोड़ रुपया इन 49 विभागों के लिये रखकर माननीय मुख्य मंत्री जी खर्च कर रहे हैं । किसी भी प्रदेश की औद्योगिक प्रगति और कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी, कानून और व्यवस्था का सुचारु रुप से चला पाना तभी संभव है जब ऊर्जा का उत्पादन और उसकी आपूर्ति उचित मात्रा में हो । लेकिन आप इस अनुदान बजट में देखें, चूंकि बिजली विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास नहीं है, इसलिये सुचारु रूप से उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की गयी है । 1985-86 में भारत सरकार से एडवांस लिया गया था । बाढ़ से कुछ विद्युतगृह क्षतिग्रस्त हो गये थे उनकी मरम्मत के लिए और पुनः स्थापन के लिये खाली 80 लाख रुपयों का प्रतिपूर्ति के रूप में इस बजट में प्राविधान किया है । इसके अलावा 5 करोड रुपये 1985-86 में टांडा और आनपारा परियोजनाओं के लिये लिये गये थे जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान पेश किया गया है । मैं कहना चाहूंगा कि टांडा और आनपारा यह 2 महत्वपूर्ण परियोजनायें हैं । इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जो मियाद तय की गयी थी वह बीत गयी है लेकिन यह परियोजनायें पूरी नहीं हो सकी है। यही कारण है कि इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं की लागत की धनराशि 2 और 3 गुनी बढ़ गयी है । इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात किसी सरकार के लिये क्या हो सकती है कि जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उस अवधि के अंदर इनको पूरा नहीं किया जा सका है । इसके अलावा 2 करोड़ रुपये ऐसे क्षेत्रों में जो डाकू ग्रस्त हैं वहां के विद्युतीकरण के लिये रखे गये हैं । अभी डाकू अंधेरे में आते थे अब उजाले में आयेंगें या नहीं, उजाले में डकैती पड़ेगी कि नहीं यह मैं नहीं जानता । इसके अलावा 52 करोड़ 59 लाख 99 हजार रुपये का प्राविधान मैदानी क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिये किया गया है ।

पिछला जो 1985 का आय-व्ययक बजट था, उसमें 57 करोड़, 59 लाख, 99 हजार रु0 की कमी पड़ गयी। इस समय पूरे के पूरे सूबे में बिजली की हालत बहुत खराब है । अभी हाल में 20-25 करोड़ रु0 का कर्मचारियों और जूनियर इंजीनियरों को, उनके वेतन, एलाउन्स वगैरह को देने में अतिरिक्त भार पड़ा है और कर्मचारियों और जूनियर इंजीनियरों से समझौता करने के बाद प्रदेश की सरकार ने पूरी की पूरी जनता की विद्युत की दरों में बढ़ोत्तरी करके उसकी पूर्ति की है । इस समय माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां पर नहीं है । मैं उम्मीद करता था कि यहां पर वह मौजूद होंगे इस अनुपूरक बजट के दौरान । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मंहगी बिजली अगर मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में मिलती है । इसकी दर 75 पैसे से बढ़ा कर 1 रु0 कर दी गयी है, जबकि देश के किसी भी सूबे में इतनी मंहगी बिजली नहीं दी जा रही है और बिजली का उत्पादन 30-35 सैकड़ा हो रहा है । यहां पर विद्युत परिषद् के अध्यक्ष नहीं मौजूद हैं । लेकिन बकौल उनके 30 सैकड़ा बिजली की चोरी हो रही है । यह चोरी 50 सैकड़ा भी हो सकती है । मगर 25 सैकड़ा बिजली 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से सरकारी अधिकारियों को दी जा रही है, जबकि प्रदेश की गरीब जनता को 70 और 75 पैसे तथा 1 रु0 प्रति यूनिट की

दर से बिजली दी जा रही है और खेती में 22-साढ़े 22 बी0 एच0 पी0 की दर को बढ़ा कर 30 रु0 कर दिया गया है । 75 करोड़ रु0 का जो प्राविधान है कि मैदानी इलाके में विद्युत परियोजनाओं को चलाने में यह खर्च किया जायगा, हाल में जो विद्युत कर्मचारियों और जूनियर इंजीनियरों के एलाउन्स में बढ़ोत्तरी की गयी है, उसका खामयाजा इस बजट में देखने को मिल रहा है । उत्तर प्रदेश में जितनी खराब हालत बिजली की है, वह किसी भी प्रदेश में नहीं है । जो आपूर्ति बिजली की की जा रही है, वह 15-20 सैकड़ा से ज्यादा नहीं है । 30-35 सैकड़ा बिजली के उत्पादन की आपूर्ति आ पा रही है । मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश का विद्युत परिषद् सजग है या नहीं, लेकिन करोड़ों रुपये का जो टैक्स बढ़ाया गया है, इसकी जितनी निन्दा की जाय, वह कम है ।

अगर स्वास्थ्य विभाग को देखा जाय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, इस स्वास्थ्य विभाग के अनुपूरक बजट के अन्दर, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर कहीं पर है, तो वह उत्तर प्रदेश में है । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि सबसे ज्यादा बच्चे मौत के मुंह में अगर कहीं जाते हैं, तो वह उत्तर प्रदेश के जाते हैं । बनारस यूनिवर्सिटी के बाल विभाग के प्रोफेसर ने रिसर्च किया है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों की मरने की दर सबसे ज्यादा है। इस अनुपूरक अनुदान में कई चीजों का प्राविधान किया गया है । स्वास्थ्य विभाग ने कहीं मेटाडोर खरीदने के लिए, कहीं भवन बनाने के लिए, कहीं डाक्टरों को नियुक्ति करने के लिए प्राविधान किया है । लेकिन बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कोई भी ठोस प्राविधान नहीं दिखाई पड़ रहा है । बल्कि मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री का, बनारस जनपद में पचबार में ब्लाक सेवापुरी के अंतर्गत 8 जुलाई 1986 को 6 बच्चों की मौत हुई और उसका कारण स्वास्थ्य विभाग के जो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं वहां की टीम है जो वहां, पोलियों के ड्राप पिलाने के लिए, टिटनेस की सुई लगाने के लिए, चेचक का टीका लगाने के लिए. डी0 पी0 टी0 लगाने के लिए गई थी । स्वास्थ्य विभाग की उस टीम ने ढाई साल के, दो साल के और तीन साल के बच्चों को पोलियों की दवाई दी और जो टीके लगाए हैं उसके कारण छः बच्चों की मौत हो गई है । पांच बच्चे तो गांव में ही मर गए थे छठे बच्चे की मौत सरकारी अस्पताल शिवप्रसाद गुप्त में हुई । इस संदिग्ध मौत को देखते हुए जो पोस्टमार्टम करना चाहिए था वह नहीं किया, पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं समझी गई । स्वास्थ्य विभाग ने जो जांच दल भेजा उसकी रिपोर्ट मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो बच्चे मर गये थे उनके मां बाप और रिश्तेदारों ने मुआवजे की मांग की । मान्यवर, उन बच्चों के अभिभावकों को दो हजार रुपये मुआवजे के रूप में दिए गये हैं, उन बच्चों की मौत की कीमत दो हजार रुपये अदा की गई है सरकार द्वारा ।

दो साल, ढाई साल और तीन साल के बच्चों की मौत सरकार की वजह से हो रही है । स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो टीके लगाए उसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हो रही है । सरकार की तरफ से एलान किया जाता है मुआवजा देने का । बनारस में जो बच्चे मरे हैं उसकी कीमत सरकार

दो हजार लगा रही है इसमें मैं न्याय की मांग करता हूं । मान्यवर, जो मौत हुई है उसमें कौन जिम्मेदार है सरकार ने दो हजार रुपये देकर उनका मजाक उड़ाया है । इसमें कम से कम 50 हजार रुपये, एक लाख रुपये उनके परिवार वालों को देने चाहिए थे । मैं उम्मीद करता था कि अनुपूरक बजट में इसके बारे में भी कुछ जिक्र आएगा कि सरकार इस घटना से बहुत चिन्तित है सरकार को इस घटना से चिन्ता है लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जहां तक पर्यटन विभाग का सवाल है इस बजट में 1985-86 में बनारस में घाटों के लिए 21 लाख 50 हजार की अग्रिम की पूर्ति का प्राविधान किया गया है अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल है या नहीं ।

बनारस में गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए प्लान बना था, केन्द्र से टीम आई थी उन्होंने तकनीकी मुआयना किया है उसमें 3, 4, 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और उसमें बनारस के घाटों को सुधारने की योजना बनाई गई है । यह योजना सन् 1984 से चल रही है कागजों में, समझ में नहीं आ रहा है । उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग करीब 21 लाख रुपये का प्राविधाम इस बजट में बता रहा है । अगर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में घाटों को सुधारने के लिए तालमेल नहीं रहेगा तो आप प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता का पैसा निकालकर बजट में पास कराते रहेंगे और उसका दुरुपयोग करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा । अभी दस दिन पहले अस्सी घाट पूरे के पूरे साफ हो गये मान्यवर, पूरा का पूरा असी घाट साफ हो गया, यह घाट पहली बार नहीं साफ हुआ है । यह पिछले सात महीने में दूसरी बार साफ हुआ है । जिस तरीके से पैसा लिया गया है, पैसा लेकर लगाया जा रहा है और लगाने के 2 महीने एक महीने के बाद पूरा का पूरा घाट साफ होता जा रहा है । मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ।

इसके अलावा आवास और नगर विकास की जो यहां पर धनराशि का जिक्र किया गया है इस बजट में, मैं समझता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश के जितने भी नगर है, सब बदसूरत हो चुके है, सब रोती हुई शक्ल में प्रदेश की शोभा को बढ़ा रहें है । सीवर की व्यवस्था, जल जमाव की समस्या और नियोजित विकास की प्रक्रिया का कार्य देख लें तो प्रदेश के अन्दर चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर एसा एक भी नगर नहीं है जहां पर नियोजित विकास चल रहा हों। यहां पर जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है चाहे वह लखनऊ हो, बनारस हो, चाहे वह इलाहाबाद हो चाहे कबाल टाउन हो, जहां विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है इसमें एक भी एसा शहर नहीं है जिस शहर में नियोजित विकास किया जा रहा हों । अभी एक डेढ़ महीने के अन्दर नगर जल संस्थान के जरिये नगर विकास के जरिये पानी के टैक्सों में वृद्धि कर दी गयी है। बनारस में 90 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपया चौगुनी वृद्धि की गयी है। इसी तरह से लखनऊ में भी की गयी है । कानपुर में भी की गयी है। मंत्री जी अब तो खुद मुख्तार हो गयी है नगर विकास में, पहले माननीय मुख्यमंत्री के मातहत में थी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर विकास विभाग को सही रूप में चलाना है, उसको सही दिशा देनी है तो स्वायत्तशासी संस्थाओं को जनतांत्रिक जामा पहनाना पड़ेगा, चुने

हुए प्रतिनिधियों की शिरकत उसमें करनी पड़ेगी । आई० ए० एस० अधिकारियों के चलते, पी० सी० एस० अधिकारियों के चलते स्वायत्तशासी संस्थाओं की जो हालत हो गयी है इससे ज्यादा बद्तर हालत कोई दूसरी नहीं हो सकती है । अगर नगर विकास मंत्री या नगर आवास विभाग का जनतांत्रिकीकरण नहीं करती है, स्वायत्तशासी संस्थाओं को तो यह व्यूरोक्रैसी, नौकरशाही नगर महापालिका के टाउन एरियाज का क्या हस्र करेगी, मैं नहीं कह सकता । आज पूरा का पूरा नगर एक घंटे बरसात हो जाय तो 8 घंटे का जल जमाव हो जाता है निकासी का कोई रास्ता नहीं है । बनारस में दो जगह सड़क धंसी है जिससे हमारे पूरे के पूरे बनारस शहर को खतरा हो गया है ।उसका कारण यह है कि नगर महापालिका, विकास प्राधिकरण किसी भी स्थिति को जाने बगैर वहां की सीवर व्यवस्था को जाने बगैर, वहां की प्राचीन **वास्तविकता को जाने बगैर जिस तरह से** सीवर की व्यवस्था का इन्तजाम कर रहे **हैं पानी की आपूर्ति का इन्तजाम कर रहे** हैं वह वहां के अनुकूल है ही नहीं । जब तक वहां चुने हुए नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है जो उस शहर के इतिहास से, उसके रस्मोरिवाज से, रीति रिवाज से जुड़े हुए हों । ऐसे लोग जब तक नहीं आयेंगे इन शहरों की विकृति **इसी रूप में रहेगी । पर्यटन विभाग द्वारा** जबकि 16 लाख 79 हजार रुपया लिया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा माघ मेला जो हुआ था इसमें निर्माण के लिए 2 लाख 75 हजार की जरूरत पड़ी थी उसका प्राविधान किया है । मेरे मित्र **यहां गोपाल यादव जी मौजूद हैं, इलाहाबाद** के रहने वाले हैं । मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद में जो माघ मेला हुआ है उसमें लाखों रुपए की गड़बड़ी का समाचार सुनने को मिला है माननीय, मैं अपनी बात कह रहा था । मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं । लेकिन इलाबाद में जो माघ मेला हुआ है, उसमें आर्थिक अनियमितता की शिकायत आई है, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए ध्यान न देकर अगर मनमाने रूप में अफसरों की मांग अगर पूरी कर दी जायेगी तो आर्थिक नियोजन या आर्थिक अनुशासन उत्तर प्रदेश में नहीं आ पायेगा ।

माननीय, हरिद्वार के कुम्भ मेले के लिए 70 लाख 32 हजार रुपया दिया गया और उसकी प्रतिपूर्ति का प्राविधान इसमें किया गया है । लेकिन माननीय हरिद्वार कुम्भ में जो एक हादसा हुआ था जिससे पूरे देश की जनता के रोंगटे खड़े हो गए थे और सरकार ने उसकी जांच की घोषणा की थी, वहां पर जो एस०एस०पी० तैनात था उसे मुअत्तल किया लेकिन जिस पुलिस अफसर की देखरेख में यह काण्ड हुआ, उसे देहरादून का एस० पी० बनाकर तैनात कर दिया गया । ताकि जो हरिद्वार में जांच हो रही है, वह प्रभावित की जा सके । इससे प्रशासनिक निष्पक्षता नहीं आ पायेगी, जांच को निष्पक्ष अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। कुम्भ की जांच प्रभावित हो जायेगी । उद्योग के बारे में कहना चाहूंगा । उत्तर प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सुल्तानपुर और गोरखपुर के खजनी थाना में एक-एक कम्बल मिल खोलने की बात कही गई है । खजनी में माननीय मुख्य मंत्री जी का घर है और दूसरा सुल्तानपुर एक प्रतिष्ठित एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्ति का क्षेत्र है । इन दोनों जगहों पर एक-एक कम्बल मिल लगाने का प्राविधान किया गया है । इस प्रकार से अगर खास-खास लोगों के क्षेत्रों में उद्योग लगाए जायेंगे तो मैं समझता हूं कि औद्योगिक विकास की सर्वांगीण दिशा नहीं हो पायेगी ।

इसी प्रकार से मान्यवर बाम्बे में कांग्रेस का जो शताब्दी समारोह मनाया गया है वहां पर हथकरघा निगम द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई उसकी प्रतिपूर्ति के लिए 10 लाख का प्राविधान किया गया है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कई एसी वित्तीय अनियमितताएं हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन इस अनुपूरक बजट के दौरान उसको पेश कर दिया गया । अगर सरकार सही माने में वित्तीय अनुशासन रखना चाहती है, विकास की दर अर्जित करना चाहती है तो इस तरह के अनुपूरक बजट पेश करने की आवश्यकता नहीं है । अगर सरकार आर्थिक नियोजन और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखना चाहती है तो इस अनुपूरक को वापस ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी खड़े हुए थे और आप में से कोई खड़ा नहीं हुआ, इसलिये मैंने उनको बोलने की अनुमति दे दी । अब आपको 2-2 मिनट का समय दे देता हूं।

***श्री लाल प्रताप सिंह–**

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही शान्तिपूर्वक मैंने शतरुद्र प्रकाश जी की बातें सुनीं और उनकी बातें सुनकर दुःख हुआ। बहुत ही आसान है एक-एक बात को उठाना कि एक बच्चे को पोलियों हुआ, या एक आदमी को कुछ हुआ या एक घाट पर कोई बात हुई । लेकिन, एक भी बात उन्होंने रचनात्मक नहीं कही कि कैसे हमारे प्लान के रिसोर्सेज को मुहय्या किया जाय या कैसे एकत्रित किया जाय । हमारे प्लान का आउट-ले कैसा हो या किस तरह से हमारी प्रगति हो, कहां त्रुटियां हैं या कैसे इसको दुरुस्त किया जाय और बेहतर बनाया जाय । केवल आलोचना ही की गयी है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक विशाल डायनिमिक इकानमी में अनुपूरक मांगें सदैव पेश की गयी हैं और इनको पेश करना उचित है । उनकी जरूरत है । बहुत सी जरूरतें एसी होती हैं, जिनके लिये पैसा लेना पड़ता है, कन्टीजेंसी फण्ड या दूसरे सोर्सेज से । चाहे बिजली की मद हो, घाट की मद हो या क्वार्टर बनाना हो । बहुत से खर्च एसे होते हैं जिनके ऊपर खर्च का पहले से अनुमान नहीं होता है और जो प्लान होता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है और अनुपूरक मांगें पेश करनी पड़ती हैं। ये मांगें भी उसी को पेशनजर करके रखी गयीं हैं। आपने कहा कि प्रगति बहुत नहीं हुई । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस दृष्टिकोण से चीजों को देखते नहीं हैं । यू0पी0 को बीस सूत्री कार्यक्रम में पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है सारे भारतवर्ष में। आप देखना ही नहीं चाहते। कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है और जो गौरव हासिल हुआ है, जो इनाम एवार्ड मिला है, वह और किसी भी राज्य को नहीं मिला है।

आप उद्योग की बात करते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने अपने एक जिले में लगा लिया । तो कहीं तो लगाएंगे ही । उद्योग लगाने में देखना होता है कि रा-मैटीरियल कहां मिलेगा, या और क्या जरूरतें हैं, बहुत सी बातों को देखकर लगाया जाता है । यदि सुल्तानपुर में लगाया जाता है तो भी सारे भारत की प्रगति होती है । आज हमारा उत्तर प्रदेश सारे भारत के किसी भी प्रान्त के बीच खड़ा हो सकता है । किसी भी दृष्टि से ले लें । स्वास्थ्य के संबंध में ले लें । आपने कहा कि माटिर्लिटी रेट हर बच्चे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का बढ़ गया है, लेकिन यह हर व्यक्ति का कम हो गया है । मा0 शतरुद्र प्रकाश ने एक प्रोफेसर को कोट कर दिया तो उन्हें उसे प्रोफेसर का नाम, किताब का नाम और टाइटिल भी कोट करना चाहिए था। मैं भी कह सकता हूं कि एक प्रोफेसर साहब ऐसा कह रहे थे, एक साहब ऐसा फरमा रहे थे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

वह श्री अग्रवाल हैं, जो वी0 एच0 यू0 में हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जानते हैं ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

ठीक है, आप उनकी लिखी किताब अपने सामने रखते, उनके कुछ अंश यहां उद्धरित करते तो कुछ बात समझ में आती ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

उनकी कोई किताब नहीं है, उन्होंने रिसर्च किया है।

श्री लाल प्रताप सिंह–

इसके मतलब अभी उनका बचपना है उस क्षेत्र में ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप से कम उम्र के वे नहीं हैं ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, ला एण्ड आर्डर की बात कही जाती है, जो ला एण्ड आर्डर की स्थिति यू0पी0 में इस वक्त है, ऐसी 15 साल के अंदर कभी नहीं हुई है । मुझे एक कहावत याद आती है हमारे पूरब में कहा जाता है– "नदी बही जाय, कलवाइन छाती पीटे" वही हाल इस वक्त आपका हो रहा है । विपक्ष सरकार को अपना सहयोग नहीं दे रहा है, विपक्ष का रोल आप ठीक अदा नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

आप इधर आकर हमें सिखाइये ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा हूं सर्वांगीण विकास हुआ है, सिंचाई क्षमता बढ़ी है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है, औद्योगिक प्रगति हुई है, शान्ति व्यवस्था की हालत बहुत अच्छी हुई है।

मान्यवर, अन्त में मैं अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, देखिये आ गये क्षेत्र के ऊपर ।

(हंसी)

श्री लाल प्रताप सिंह–

मैं क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में कहना चाह रहा था । खैर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने अनुपूरक बजट पर अपनी चर्चा में जिन बिन्दुओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की, उस पर माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने जिस तरह से अपने आपको शासन को प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हुए, अंत में बैठते समय कह गये अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

क्षेत्र का ध्यान तो रखना ही चाहिये, यह सही बात है ।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार बहुत ही सजग हैं इस प्रदेश के बजट की एक-एक पाई को ईमानदारी से खर्च करने के लिये और उस पैसे का पूरा-पूरा सदुपयोग करने के लिये बहुत ही व्याकुल हैं। लेकिन, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कोई भी मंत्री या माननीय सदस्य अपने-अपने विभाग के सम्बन्ध में अपनी आत्मा पर हाथ रखकर कह दे कि भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हुए हैं, बिना पैसे के उनके विभाग में कोई काम होता है ?

मान्यवर, अनुपूरक बजट की भावना यह है कि जिन कार्यों के लिये, जितना रुपया संकलित किया गया और जहां पर आपको कठिनाइयां आयी हैं उसे पूरा करने में, वह वांछित रुपया आपको मांगना चाहिये इस एक्सचेकर से। लेकिन स्थिति क्या है हमारे विभाग के मंत्री अपने विभाग की फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने पर असमर्थ हैं। जैसे, निर्माण कार्य – उनका इस्टीमेट्स क्या होना चाहिये और उन्हीं इस्टीमेट्स का खर्च किस प्रकार से समायोजित होना चाहिये–इस प्रक्रिया को कर पाने में हमारे इंजीनियर्स असमर्थ हैं। इसी प्रकार अनुपूरक बजट की अरबों रु0 की राशि पुन: पेश की जाती हैं। श्रीमन्, यह बहुत ही सोचनीय विषय है। अनुपूरक बजट की आड़ में फिजूलखर्ची की जो बड़ी धनराशि और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की अक्षमता–इन दोनों मुद्दों पर नजर रखते हुए मैं शासन से कहना चाहूंगा कि अनुपूरक बजट के इस प्रस्ताव के साथ ही साथ आप को इस पर भी निगाह रखनी चाहिए थी कि जो इस तरह के फिजूलखर्ची के प्रस्ताव आये हैं उन्हें आप स्वयं निरस्त कर देते तो श्री शतरुद्र प्रकाश जी को आज यह नहीं कहना पड़ता कि बाम्बे में जो अधिवेशन हुआ था उसके लिए वहां पर प्लाट खरीदने के लिए जिस प्रकार से खादी बोर्ड का करोड़ों रुपया खर्च करवाया गया है क्या वह फिजूलखर्ची नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं और साथ ही साथ लघु उद्योगों के बारे में भी कहना चाहता हूं। अभी यहां पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम की चर्चा कर दी गयी भले ही आप अपने को हिन्दुस्तान में पहले स्थान पर रख लें लेकिन जब आप अपने क्षेत्र में देखेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि क्या प्रगति हुई है। आगरा में अभी कुछ दिन पहले 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक हुई थी। अकेले मेरे ही जिले में 18 नलकूल बन्द पड़े थे लेकिन आपके आंकड़ों में सभी कुओं को सही दिखाया गया है और उन्हें ठीक करने के लिए इस अनुपूरक बजट में धनराशि को न दिखाकर फिजूलखर्ची के लिए आप धनराशि मांग रहे हैं। एक कुआं को सिंचाई के लिए बनाया जाता है उस पर लगभग 5 लाख रुपये का खर्च आता है लेकिन आज वह बन्द पड़ा है फिर भी उसके लिए आप पैसा लिये जा रहे हैं तो फिर यह धन की बरबादी नहीं है तो और क्या है ? इससे प्रदेश की प्रगति कहां जायेगी यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक सिंचाई नलकूप का कमान्ड एरिया लगभग तीन सौ एकड़ होता है। हमें इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री जी भी किसान के घर से आये हैं लेकिन उन नलकूपों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वास्तविकता यह है कि उनसे केवल 25 एकड़ भूमि का ही सिंचन हो पाता है लेकिन आपके आंकड़ों में तीन सौ एकड़ सिंचाई के लिए दिखाया गया है इससे आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि देश कहां जा रहा है। श्री लाल प्रताप सिंह जी एक बहुत ही योग्य आदमी हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्दर प्रगति के बारे में जब हमने उनका भाषण सुना तो हमें बहुत ही अफसोस हुआ। अभी मानवीय दिवस के आंकड़े बताये गये। ठेकेदार सड़क पर काम करने वालों व उनकी कार्य क्षमता के सारे कार्य दिवसों को गिनकर आंकड़ा निकाल देता है और उसी आधार पर मानवीय दिवस निकाल कर बता दिया जाता है कि इतने लोगों के लिए रोजगार सृजित कर दिये गये। होता यह है कि ठेकेदारों और इंजीनियरों की झोली भरकर श्रम दिवस के आंकड़े निकाल दिये जाते हैं जिसकी वजह से प्रदेश की उन्नति में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए मेरा कहना है कि जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है सही मायने में वह अनुपूरक बजट की भावनाओं के विपरीत है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री हरदेव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक बजट में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि मा0 सदस्य वर्मा जी अब अपने क्षेत्र की ओर जाने लगे हैं और उन्हें ट्यूबवेल की खराबी दिखाई देने लगी है। मेरा अन्य मा0 सदस्यों से भी निवेदन है कि वह अपने क्षेत्र में जायं और जहां-जहां खराबी है उन्हें बतायें ताकि उनका सुधार कर विकास तेजी से हो सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट के रूप में खर्चा इस सदन की अनुमति मांग-कर हमारी सरकार खर्च करती है। इस विषय के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा मैं करना चाहता हूं। 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रदेश और देश के हित में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका लाभ हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य भी अपने-अपने क्षेत्र में उठाते हैं। चाहे ट्यूबवैल हो, चाहे सम्पर्क मार्ग हो या पी0 डब्लू0 डी0 की सड़कें हों, लेकिन आवश्यकता मुझे इसमें धन की है, तो जो धन जरूरी है, इसलिये बजट लेना आवश्यक होता है। मुझे खुशी है कि 20-सूत्रीय कार्य-क्रम में हमारा प्रदेश पूरे भारत में प्रथम रहा। दूसरी बात गरीबी की रेखा से ऊपर लोगों को उठाया गया। हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया। इतने दिनों के शासन में कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। जो भी हुआ है विरोधी दल के पोलिटिकल गेम के कारण हुआ है। उसे भी तुरन्त दबा दिया गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि असामाजिक तत्वों का शासन से नियंत्रण रहा है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने उन असामाजिक तत्वों का विनाश करने के लिये बहुत कोशिशें की हैं। जो भी राजनीतिक या असामाजिक जो तत्व बाकी हैं या ऐसे डाकू हैं उनको भी सुधारने की मुख्य मंत्री जी ने कोशिश की है। खाद्य सामग्री में आवश्यक वस्तु हमारे प्रदेश की जनता को काफी मात्रा में उप-लब्ध हुई है। सस्ते गल्ले, तेल चीनी की दुकान, सस्ते कपड़े की दुकान हर जिले में है। गेहूं और चावल के क्षेत्र में भी रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

सदन में बैठने वाले हमारे माननीय सदस्य पहले अमेरिका से आये हुए सड़े गेहूं, बाजरे, मक्का का प्रयोग किये हैं। हमारे प्रदेश में गेहूं और चावल की भरपूर फसल हुई है। अब जनता को गेहूं चावल मिल रहा है। बिजली में कोई कटौती नहीं हुई। काफी मात्रा में प्रदेश में बिजली उपलब्ध रही। इसी के साथ ही मैं अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं। मैं चाहूंगा कि कटौती के प्रस्ताव को अमान्य किया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

अभी सत्ता पक्ष की ओर से बोलते हुए माननीय सदस्य ने कहा है कि विपक्ष सत्ता पक्ष का सहयोग नहीं कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष की कमियों को जितना ही उजागर किया जायगा और जनभावना के जितना ही नजदीक लाया जायगा, वही विपक्ष का सहयोग होगा। विपक्ष की ओर से सदा यह काम होता आ रहा है, इसलिये यह आरोप गलत है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे कि अगर कहीं से असहयोग है तो अपने मंत्रियों के द्वारा है और सत्ता पक्ष में अपने आपको मानने वाले सदस्यों के द्वारा है, अपने प्रशासन के द्वारा है, पुलिस विभाग के द्वारा है। 4 महीने के अन्दर 35 लोगों की पुलिस ने हत्या कर डाली। हुकूमत के चले जाने के लिये पूरा प्रबन्ध कर दिया है। आपको अपनी कमियां जानने की कोशिश करनी चाहिये।

जनता की कठिनाइयों को, जनता की परेशानियों को अगर हम सत्ता पक्ष के नजदीक लाते हैं तो यह सबसे बड़ा हमारा सहयोग है, इसलिये उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिये।

अभी थोड़े दिनों पहले ही सदन ने बजट पास किया था। बजट में जिन मदों का उल्लेख नहीं हुआ था, उन मदों को ये अनुपूरक बजट में लाये हैं और उसके लिये पैसा मांग रहे हैं। सरकार को बजट का पैसा कम पड़ गया, जो काम हुए उनके भुगतान के लिये आज आप पैसा मांग रहे हैं। आपका बहुमत है, अनुपूरक बजट तो पास हो ही जायेगा, लेकिन यदि विपक्ष की ओर से कोई बात उठायी जायेगी तो वह आपके लिये मदद ही होगी।

पुलिस के लिये आपने इसमें पैसा मांगा है। जिस पुलिस को आप सुसज्जित करने जा रहे हैं, हमने वह लाठी ले रखी है जो हमारे ही सर पर पड़ रही है, अगर बन्दूक वह थाम ली है तो जिससे हमारे ही सीने छलनी हो रहे हैं, वह हमारे प्राण हरने के लिये उतारू है। आज आप पुलिस के लिये अनुपूरक बजट की मांग को लेकर आये हैं तो क्या विपक्ष को अपनी बात को कहने का भी अधिकार नहीं है ?

सिंचाई के लिये भी इसमें पैसा मांगा गया है। मैं दूर न जा करके अपने जिले बस्ती की बात कहता हूं जो कि मुख्य मंत्री जी के जिले से भी बहुत ही नजदीक है। इस अनुपूरक बजट में 839 ट्यूबवेलों के लिये पैसा मांगा गया है और इसे आप ले भी लेंगे। परन्तु बस्ती जिले में क्या हो रहा है। तेज धूप और पछुवा हवा जोरों से चल रही है पानी नहीं बरस रहा है। आप 839 ट्यूबवेलों के लिये पैसे की मांग करेंगे लेकिन बस्ती जिले में आपके 70% ट्यूबवेल बन्द खड़े हैं, चल नहीं रहे हैं, क्या वे वैसे ही बने रहेंगे। नहरों का तो जिले में नगण्य स्थान है। हाहा-

कार मचा हुआ है। अगर यह सदन 7 दिन और चल जायेगा तो बात आपके भी सामने आ जायेगी कि मजदूरों को निराई का काम नहीं मिल पा रहा है, खेतों में काम नहीं रह गया है, मजदूर भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। बस्ती में चार आदमी इसी भूख से मर गये हैं। बस्ती जिले में धान की फसल सूख गयी है, निराई नहीं हो पा रही है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। पंजाब वह जा नहीं पा रहा है, भूख से त्राहि-त्राहि मची हुई है। ट्यूबवेल के लिये आप पैसे की मांग करेंगे और सूखे को आप दूर नहीं कर पायेंगे। किस मुंह से आप मांग रहे हैं और हम कैसे उसका समर्थन कर पायेंगे ?

इस अनुपूरक बजट में पैसे की मांग की गयी है सड़कों के लिये । मैं बनारस की बात कहता हूं, एक माननीय मंत्री जी जो यहां उपस्थित हैं उनका बनारस में ही निवास भी है। वे स्वयं जाकर देख लेंगे कि जब बनारस में प्रधान मंत्री जी आने वाले थे, तैयारियां हो रही थीं तो महमूरगंज से हो कर जाने वाली सड़क भी बनायी गयी और वह आधी ही बन पायी थी कि प्रधान मंत्री जी वहां आये और चले भी गये । वह सड़क आज भी आधी ही बनी पड़ी हुई है वैसे की वैसी ही पड़ी हुई है। कोई कल्पना कर सकता है कि कोई सड़क बननी शुरू हो और वह आधी ही बना कर छोड़ दी जाय ? बनारस जो कि एक ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, वहां की सड़क धंसती जा रही है शिवाजी नगर कालोनी की सड़कें तालाब बन गई हैं। गोरखपुर पानी में डूब रहा है। बांसी और मेंहदावल टाउन एरिया की सड़कें जर्जर होकर टूट गयी हैं।

मैं अपने जिस क्षेत्र का विधायक हूं और जनता के लिये कार्य कराना चाहता हूं। काम करने के लिये मैं कहता हूं कि जो काम नहीं करेगा वह रह नहीं पाएगा। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो कि डट कर काम करता है उसे मैं हाथों पर लिये घूमता हूं और जो काम नहीं करते हैं तो मैं कहता हूं कि आप रह नहीं पाओगे । वहां निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए दो अवकाश प्राप्त इन्जीनियर लगा रखे हैं। मैंने गोपनीय तरीके से पता कराया कि सीमेन्ट और बालू का कितना रेशियो डाला जा रहा है। जो सड़क निर्मित की गयी है, जो सड़कें बनी हैं उसके लिये आप 6 महीने के बाद हमें भी गाली दिलवायेंगे।

आज जो निर्माण होता है वह 6 महीने में खराब हो जाता है, ऐसा घटिया निर्माण होता है कि वह 6 महीने में जवाब दे जाता है, तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा । आपके सामने कुछ चीजें लाना चाहूंगा, जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के लिये पैसा दिया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा, लेकिन जो दुर्दशा है वह अकथनीय है। भवन बन कैसे रहे हैं, आपने आदेश किया है कि भवन बनेंगे, लेकिन ईंट कच्चे गारे से जोड़ी जायेगी, लिन्टर सीमेन्ट का होगा, ऊपर की छत सीमेन्ट की बनेगी और दीवाल मिट्टी के गारे की बनायी जायेगी, तो वह भवन कितने दिन रह पायेगा, कुछ समय के उपरान्त वह ढह जायेगा। मेरा कहना है कि आप रुपया दें, लेकिन ऐसे कामों के लिये दें जो टिकाऊ हों, भवन काफी समय तक मौजूद रह सकें, तभी हमारे खर्च का कोई औचित्य होगा। मैंने पहले ही कहा कि 40 प्रतिशत आपके बजट का बिचौलिये खा जाते हैं और 60 प्रतिशत

लग रहा है और 1 : 4 के अनुपात में सीमेंट और बालू लगनी चाहिये लेकिन लग रही है 1 : 10 के अनुपात में और वह निर्माण 6 महीने बाद ढह जाता है। 40 प्रतिशत में बांट करेंगे और 60 प्रतिशत में घटिया किस्म का निर्माण होगा, तो जो अनुपूरक बजट लेकर आये हैं, उसका क्या औचित्य है। इसलिये मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक अनुदानों पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय शतरुद्र प्रकाश तथा हरीश जी ने तो अभी जो प्रस्ताव रखा है और विरोध किया है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे सामान्य बजट प्रस्तुत किया गया हो और उस पर वे कटौती का प्रस्ताव रख रहे हों। इस तरह से वह बोले। जब कि यह संवैधानिक तरीका है। अनुपूरक बजट जब पेश किया जाता है तो देखना यह चाहिये कि प्रदेश के रचनात्मक कार्यों के लिये उदेश्य क्या है। अनुपूरक अनुदान जो पेश किया गया है, उसके पीछे हमारी मंशा यह है कि जो रचनात्मक कार्य हैं, उनको पूरा करना है और उनको पूरा करने में जो कमी आयी है, उनके लिये अनुपूरक अनुदानों को रखा गया है। पहले से ही हर चीज की सम्भावना नहीं की जा सकती है, लेकिन अचानक कोई बात आ जाती है, तो उसको पूर्ति कान्टिन्जेंसी से और भारत सरकार से पूरा किया जाता है और उसके लिये हमें अनुपूरक अनुदान को प्रस्तुत करना पड़ता है।

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने एक बात कही कि मृत्यु दर बढ़ी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए मृत्यु दर में कमी आयी है। मान्यवर, पहले चेचक और हैजा के कारण गांव के गांव साफ हो जाते थे और हमारी मृत्यु दर बढ़ जाती थी, लेकिन आज आप देखें कि मृत्यु दर में कमी आयी है। मान्यवर, सड़क निर्माण, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की दृष्टि से आप देखें तो जो उद्देश्य है सरकार का, ला एन्ड आर्डर को दुरुस्त करने का है। जो इनकी हुकूमत पहले थी, उसके समय में अलीगढ़ और मुरादाबाद में साम्प्रदायिक दंगे हुए और जघन्य अपराध हुए, लेकिन आज हमारी सरकार ने साम्प्रदायिक मामलों पर काबू पा लिया है, उस पर नियंत्रण कर लिया है। विकास कार्यों की ओर आप देखें तो पहले एक लट्टू सा बल्ब जला करता था परन्तु अब सड़कों पर ट्यूब लाइट जलती है। श्री हरीश जी ने कहा कि विरोध पक्ष सत्ता पक्ष को सहयोग दे रहा है, विरोध पक्ष का उद्देश्य सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करना है और उनको सामने रखना है, यह विपक्ष का कार्य होता है। आलोचना हो। हमारी सरकार या उसके मंत्रीगण ऐसी आलोचना से नहीं घबड़ाते। वह आलोचना होनी चाहिए। मान्यवर, एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखें कि जो भी कार्यक्रम हो वह टाइम बाउन्ड हो। जितने भी कार्य हो रहे हैं, निर्माण के कार्य हो रहे हैं वे समयबद्ध हों और समय से वे पूरे हों। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री मित्रसेन–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो 1986-87 की 5 अरब रुपये की अनुपूरक मांगें

प्रस्तुत की गई है उसमें विभिन्न विभागों की जो मदें हैं, उनको देखने से ऐसा लगता है कि हमारी सरकार इस बजट का कितना सदुपयोग कर रही है। जैसा कि माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जरा एक नजर उनकी तरफ देखने की कोशिश तो करें तो उनको मालूम हो जायेगा कि कितनी फिजूलखर्ची इन विभागों में टी0 ए0, डी0 ए0 आदि के रूप में आप करना चाहते हैं। जहां हम यह पैसा खर्च करना चाहते थे, वहां खर्च किया गया है या नहीं और उससे जनता का लाभ हुआ है या नहीं।

शिक्षा के क्षेत्र में हम जिक्र करना चाहते हैं कि आज जो हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं, वे भवनहीन हैं उनमें जितनी देर पढ़ाई होती थी 10 बजे से 4 बजे तक, अब वहां पर 7 बजे से 11 बजे तक शिक्षण कार्यक्रम चलता है और दूसरे टाइम पर अनौपचारिक शिक्षा चलती है प्रौढ़ शिक्षा का कार्य चलता है। एक तरफ तो 11वीं से लेकर बी0 ए0 और एम0 ए0 तक छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता है, वहीं पर दूसरी ओर कब्र में पैर रखने वाले लोगों को शिक्षा दी जाती है, उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं हमारे बच्चे भवनहीन विद्यालयों में पढ़ते हैं और दूसरी तरफ हमारी मंत्रि-परिषद् के एक माननीय सदस्य डाक्टर संजय सिंह आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये उनको लाने और ले जाने का काम दून स्कूल से स्टेट प्लेन द्वारा करते हैं। मुख्य मंत्री जी, जरा आप चश्मा उतार कर तो देख लें। बहुत से विभागों का लाखों रुपया फिजूल खर्च किया जा रहा है। आप देखें कि राजनैतिक कार्यक्रमों के नाम पर कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय अर्जुन सिंह को लाने के लिये लखनऊ से चले दिल्ली और दिल्ली से उन्हें कानपुर लाये, कानपुर से उन्हें दिल्ली ले गये और फिर लखनऊ आये। इस तरह से इस अनुपूरक बजट का दुरुपयोग किया गया है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, हमारे जितने भी निर्माण कार्य हैं उन्हें आप देखें। जितने हमारे वित्तीय निगम हैं, दूसरे निगम हैं वे सारे घाटे में चल रहे हैं। उनमें सेतु निगम को छोड़कर बाकी सब में अरबों रुपये का घाटा है। हमारे जमपद में एक कृषि विश्वविद्यालय है। 1985-86 में आपके शासन का वहां पर वित्त नियंत्रक बैठा। उनसे आप 1985-86 की वित्त रिपोर्ट मंगा लीजिये 8 लाख रुपया केवल आडियो विजुअल की स्थापना उसके कैमरे और बैटरी खरीदने के लिये खर्च किया गया है। कहां-कहां किस तरह से खर्च किया गया है इस ओर आप अपनी निगाह तो डालें। तब आपको पता चलेगा। जैसा कि माननीय हरीश जी ने कहा है अगर आपके दिल में सही रूप से इस पैसे को खर्च करने का दर्द है तो निगाह डालकर देखिये, आप उसे पकड़ सकते हैं। आज 30 से 40 प्रतिशत तक यह पैसा लोगों की जेबों में जा रहा है। । जनता के हित में जो काम होने चाहिए, जिनको मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल रहा है। चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो या कोई अन्य संस्था हो, आप उन्हें देखना चाहें तो देख लें। इस अनुपूरक बजट को आप हमसे पास कराना चाहते हैं। इसे आप पास भी करा लेंगे, हम भी इसमें

आपकी मदद दे देंगे लेकिन हमारा कहना यह है कि इस पैसे का सदुपयोग जनहित में, उसके नियोजन में और समन्वित विकास में होना चाहिए। नीतियां निधारित जब आपने कर दीं, जब आपने पोस्टिंग और ट्रांसफर का काम खत्म कर दिया तो फिर आप उनकी फाइल क्यों मांगते हैं। फाइलें इसलिए मंगाते हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा लेना है। जब आपने एक नीति निर्धारित कर दी तो उसका कार्यान्वयन नीचे के अधिकारियों को करना चाहिये। आपके स्तर पर फाइलें इसलिए आती हैं कि आपको उससे पैसा मिलता है। आप अपने दामन को देखें हम तो आपकी आंखों में जो कुर्सी का चश्मा लगा है उसको उतारना चाहते हैं। आपने जो चुनाव में वायदे किये हैं उनको आप भूल गये हैं और जो नौकरशाही की रिपोर्ट आती है उससे संतुष्ट हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री मित्रसेन–

आप देखें पूरे उत्तर प्रदेश में जिला और तहसील स्तर पर आपने कहीं अग्नि शमन यूनिट्स नहीं खोली हैं लेकिन केवल अमेठी और रायबरेली में यह यूनिटें क्यों खोल दी गयी हैं, यह दोहरी मापदंड क्यों अपनाया गया है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मुझे भी दो मिनट बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब बहुत हो गया 9 तो ऐसे ही बज जायेंगे।

श्री विजय सिह राणा–

हमारे अकेले बोलने पर कितना समय लग जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, अब नहीं।

[समय 4.30]

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, अभी प्रथम अनपूरक अनुदान पर यहां चर्चा हो रही थी। जैसा आपको मालूम है कि 499.44 करोड़ रुपये का यहां पर अनुदान पेश किया गया है। बहुत से पूर्व वक्ताओं ने शायद इसे ठीक से पढ़ा नहीं है क्योंकि अगर पढ़ा होता तो जो बात कही है वह शायद नहीं कहते। एक तो इसमें जो 108.40 करोड़ रुपया की मांग है यह 1985-86 में जो खर्च हो गया है उसका पैसा है। दूसरी मुख्य मद जो हमारा 2150 करोड़ का इस वर्ष का प्लान है उसे हम केवल जब पहला बजट पेश किया था उसमें 1830 करोड़ रुपया पेश किया था उसे पूरा नहीं किया गया था क्योंकि प्लान फाइनलाइज नहीं हो पाया था जिस कारण कम पेश किया था इसलिये उसमें 276.55 करोड़ उस प्लान का हम पेश कर रहे हैं। उसको देखने से यह मालूम हो रहा है कि यह बहुत ज्यादा है। इसको माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने देखा नहीं कि यह जो हमारा सबसे बड़ा खर्च है वह बिजली पर है और वह 2150 करोड़ का हमारा प्लान है उसमें से 706 करोड़ केवल बिजली पर खर्च हो रहा है। इतना बड़ा परिव्यय एक विभाग पर खर्च हो रहा है। अगर हम इसके महत्व को नहीं समझते तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतना खर्च नहीं करते । आज इस बात की आवश्यकता है कि हम बिजली ज्यादा से ज्यादा पैदा करें । बिना उसके उद्योग नहीं चल सकते हैं और न ही सिंचाई का कार्य हो सकता है इसी प्रकार हमारे रोजमर्रा के काम भी इसके बिना नहीं हो सकते हैं । इसके महत्व को देखते हुये ही ऐसा किया गया है । एक तरफ वह कहते हैं कि यह है और अधिक होना चाहिये लेकिन उसके साथ ही यह कहते हैं कि कम पैसा दिया जाय । मान्यवर, हमारे पास जो धन है उसी में हमें काम करने हैं । हमें यह देखना है कि खेती की पैदावार और बढ़े । आपको मालूम है कि जो सिंचाई बढ़ी है और जो बिजली पैदा की है तथा किसानों को नये किस्म के बीज और खाद देकर पैदावार को बढ़ाया है उससे किसानों की हालत सुधरी है । उसी के परिणाम स्वरूप हमारे उत्तर प्रदेश में रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ है और आज उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान के बहुत से प्रदेशों को गल्ला भेजकर अपनी हालत अच्छी कर रहा है ।

मैं कहता हूं कि आज किसान को रबी की पैदावार में जितना पैसा मिला है उतना शायद कभी नहीं मिला था । उसे पहले स्पोर्ट प्राइस से कम पैसा मिलता था लेकिन आज उससे ज्यादा पैसा मिला है। हम चाहते हैं कि किसान जो पैदा करता है उसकी उसको अच्छी कीमत मिलनी चाहिये, अगर वह नहीं मिलेगी तो वह काम नहीं करेगा । वह पैदावार नहीं करेगा । हमारा प्रयास है कि हम उस पर ज्यादा खर्च करें और हमने ज्यादा पैसा कृषि पर खर्च करने के लिये रखा है । इस प्रकार अधिक धन हमने कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए रखा है । मान्यवर, 20.77 करोड़ रुपये कृषकों की सुविधा प्रदान करने के लिये, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये रखा है । इसी प्रकार उर्वरकों के लिये 12.96 करोड़ रुपयें और चावल की पैदावार बढ़ाने के लिये 2.6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । यह सब खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये किया गया है ।

मान्यवर, आवागमन के लिये सड़कों की बहुत आवश्यकता है जिसके लिये 18.03 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । इसी प्रकार से सिंचाई के लिये आपको मालूम है कि यदि प्रदेश में सिंचाई नहीं होती तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में सूखा की स्थिति होती । आप देखें कि प्रदेश में कहीं वर्षा अधिक और कहीं 50 प्रतिशत भी वर्षा नहीं हुई है । जहां नहरें है वहां सूखे से बच रहे हैं और जहां नहरें नहीं है वहां सूखे की स्थिति है। जहां टयूबवेल हैं वहां उनसे काम ले रहे हैं । इस प्रकार यदि सिंचाई के साधन नही होते तो प्रदेश की हालत कैसे सुधरती । इसलिये जरूरी है कि सिंचाई की सुविधा बढ़ायें तभी हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं । इसलिये सिंचाई में काम करने के लिये 14.42 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । इसीप्रकार बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिये 57.60 करोड़ रुपये विद्युत विभाग को हम दे रहे हैं ।

मान्यवर, इसी प्रकार से अन्य मदें हैं जो आवश्यक हैं जैसे शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा में हमारे प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के भवन बहुत जगह नही है जिससे बरसात में बच्चों की पढ़ाई अच्छी नही हो पाती है, इसलिये प्रयास किया गया है कि इस वर्ष प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के भवन बनाने के लिये 30 करोड़ रुपये हम खर्च करने जा रहे

हैं और आगे भी प्रयास होगा कि अधिक खर्च करके भवन बनायेंगें ।

मान्यवर, हमारा यह भी प्रयास है कि पालीटेक्नीक अर्थात् आई0 टी0 आई0, टेक्निकल एजूकेशन की आज बहुत आवश्यकता है । आज हम औद्योगीकरण चाहते हैं और जब प्रदेश में देखते हैं तो इंजीनियर्स और टेक्निकल हैन्ड की बहुत कमी दिखाई पड़ती है और इलेक्ट्रानिक्स के जानकर लोग नही मिलते हैं जिससे उद्योग, धंधों और कल कारखानों में टेक्निकल हैन्ड न मिलने से वे अच्छी तरह से नहीं चल पा रहे हैं । इसलिये प्रयास है कि आई0 टी0 आई0 बड़ी मात्रा में खोले जांय जहां लोगों को ट्रेन्ड किया जाये ताकि अधिक से अधिक लोगों को काम में लगाया जा सके ।

मान्यवर, मिर्जापुर, बुंदेलखंड, वाराणसी, इलाहाबाद का क्षेत्र सूखाग्रस्त है जहां पीने के पानी की समस्या रहती है । इसलिये अलग से पीने के पानी की समस्या के लिये अलग से पीने के पानी का समस्या के निवारण हेतु व्यवस्था कर रहे हैं । मान्यवर, खासतौर से हम पर्वतीय क्षेत्र के लिये 5 करोड़ 40 लाख रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं ।

मान्यवर, हमारे यहां विदेशों से पर्यटक बहुत आते हैं किन्तु हमारे यहां जो बुद्धिस्ट एरिया है वहां पर्यटकों के लिये सुविधायें न होने से हमारे प्रदेश की इमेज बहुत खराब होती है, इसलिये हमारी जिम्मेदारी है कि बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको अच्छी सुविधा प्रदान करें जिसके लिये हमने 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था किया है । ताकि उसको सुविधा मिल सके । इसलिये हम उन स्थानों पर इससे सड़कें ठीक रखना चाहते हैं और आवास की सुविधा आदि भी देना चाहते हैं । तो आप देखेंगें कि बहुत से ऐसे कार्य हैं, जिन पर हम ज्यादा जोर देने जा रहे हैं । हमारा ध्यान हार्टीकेल्चर की ओर गया है, क्योंकि इस पर अभी तक हमारा ध्यान कम गया है । हम हार्टीकल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं और विशेषकर पहाड़ों पर उसकी बड़ी गुंजायश है । मैदानों में भी उसकी गुंजायश है । तो हम अपने प्रयासों से हार्टीकेल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसके लिए व्यवस्था की है । इसी प्रकार से हमारे सामने सेरीकल्चर की भी बात है । जहां भूमि ठीक नहीं है, ऊसर आदि है इसके माध्यम से हम वहां पर पेड़ आदि लगाकर ऊसर बढ़ने और फैलने से रोकने के साथ-साथ उसे ठीक बनाना चाहते हैं । यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें खेती के साथ-साथ लोगों को रोजगार भी मिल सकता है । यह कार्य ऐसे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्पादन कार्यों में हमारा ज्यादा व्यय हो रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम उत्पादन के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा व्यय करें। अभी उधर से श्रीवास्तव जी ने कहा कि मितव्ययता की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किन्तु यह बात ठीक नहीं है, हमारा प्रयास है कि हम मितव्ययिता करें, एक-एक पैसे का सदुपयोग करें और साथ ही क्वालिटी भी सही रखी जाय । मितव्ययिता के साथ-साथ हमने यह भी किया है-हम टाईम बाउन्ड यानी समयबद्ध रूप से अपने काम को करेंगे । जहां समय पर कार्य नहीं होगा और कहीं कोई गड़बड़ी होगी, तो ऐसे लोगों के लिए इस सरकार में कोई स्थान नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं । आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपको सही दृष्टि से देखना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि इसमें

हमें आपका, पूरे सदन का पूरा सहयोग मिलेगा और अनुपूरक अनुदानों को आप लोग पास करेंगे ।

वित्तीय वर्ष 1986-87 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत 18,99,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत 18,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या—2 आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 2—आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत 5,34,85,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2—आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अंतर्गत 5,34,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986—87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 3—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 3—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अंतर्गत 26,21,51,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986—87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत 26,21,51,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986—87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खान और खनिज)

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खान और खनिज) के अन्तर्गत 80,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986—87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खान और खनिज) के अंत-

गत 80,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय [1]

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 7,99,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 7,99,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 4,78,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 4,78,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 16,38,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 16,38,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-9-उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)–

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9– उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अंतर्गत 2,56,94,000 रुपये की अनुपूरक

मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9-उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अंतर्गत 2,56,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 10-ऊर्जा विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10-ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 65,39,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10-ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 65,39,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अंतर्गत 32,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अंतर्गत 32,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 12--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह–)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 25,56,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 25,56,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 8,79,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 8,79,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 1,23,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 1,23,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 7,96,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 7,96,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 35,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 35,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,08,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,08,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 22,37,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 22,37,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-19–कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-19 कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 13,06,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 13,06,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

अनुदान संख्या-20–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

उर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 11,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 11,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

अनुदान संख्या-22–खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-22 खाद्य तथा रसद विभाग के अंतर्गत 26,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 26,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

अनुदान संख्या-23–खेल विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-23 खेल विभाग के अन्तर्गत 7,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-23 खेल विभाग के अन्तर्गत 7,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

अनुदान संख्या-24–गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अंतर्गत 2,03,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अंतर्गत 2,03,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-25–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-25 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 9,31,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 9,31,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-26–गृह विभाग (कारागार)

सहकारिता राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 7,29,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (कारागार) के अंतर्गत 7,29,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-27–गृह विभाग (पुलिस)

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 17,77,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 17,77,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत 2,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत 2,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 29–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अंतर्गत 15,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अंतर्गत 15,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अंतर्गत 14,12,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 14,12,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 88,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अंतर्गत 88,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 12,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 12,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35– चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 10,10,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 10,10,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 3,05,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 3,05,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अंतर्गत 1,64,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,64,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 26,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 26,07,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39–नियुक्ति विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39–नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 5,80,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39–नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 5,80,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 84,02,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 84,02,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग के अंतर्गत 3,56,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग के अंतर्गत3,56,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 43—परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 34,67,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43—परिवहन विभाग के अंतर्गत 34,67,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग के अंतर्गत 2,95,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग के अंतर्गत 2,95,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 45—प्रशासनिक सुधार विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45—प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 1,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45—प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत 1,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 46—प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2,72,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2,72,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 47–पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम अतार दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47–पर्वतीय विकास विभाग के अंतर्गत 30,67,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47–पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 30,67,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अंतर्गत 1,74,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अंतर्गत 1,74,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत 92,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत 92,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 52–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या

52–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अंतर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अंतर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53–वन विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53–वन विभाग के अंतर्गत 9,87,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53–वन विभाग के अंतर्गत 9,87,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–54–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत 3,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत 3,00,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 56–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अंतर्गत 2,16,45,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अंतर्गत 2,16,45,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

अनुदान संख्या 57–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह

प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अंतर्गत 16,93,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अंतर्गत 16,93,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 3,52,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अंतर्गत 3,52,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान स्ख्या–59 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 4,37,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 4,37,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60–विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 1,51,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 1,51,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61–विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61–विधान सभा सचिवालय के अंतर्गत 84,60,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 84,60,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 63–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

पर्यावरण राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा कौल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 63–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 3,88,48,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 3,88,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–64 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 1,49,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 1,49,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 65–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 68,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 68,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 66–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-66–शिक्षा विभाग माध्यमिक (शिक्षा) के अन्तर्गत 2,92,87,000 रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-66-शिक्षा विभाग । (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,92,87,000 रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 67–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत 41,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत 41,11,000रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 69–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,10,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,10,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 70–श्रम विभाग (सेवा योजना)

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित) -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70–श्रम विभाग (सेवा योजना) के अन्तर्गत 1,90,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70–श्रम विभाग (सेवा योजना) के अन्तर्गत 1,90,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986–87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अंतर्गत 16,70,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अंतर्गत 16,70,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अंतर्गत 16,97,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अंतर्गत 16,97,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अंतर्गत 12,55,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक के अंतर्गत 12,55,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अंतर्गत 24,50,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 24,50,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अंतर्गत 38,78,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अंतर्गत 38,78,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये लिये स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 78–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम-प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 29,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अंतर्गत 29,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 79–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अंतर्गत 1,39,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अंतर्गत 1,39,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 82–सचिवालय प्रशासन विभाग

उर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82–सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत 1,02,49,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 1,02,49,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 83–सर्तकता विभाग

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83–सर्तकता विभाग के अन्तर्गत 1,08,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83–सर्तकता विभाग के अंतर्गत 1,08,000

रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 85—सांस्कृतिक कार्य विभाग

पर्यावरण राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा कौल)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 85—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 1,04,56 000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अंतर्गत 1, 04,56,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 86—सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ला)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86— सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत 13,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86— सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत 13, 82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 88—सूचना विभाग

पर्यावरण राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा कौल)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 88—सूचना विभाग के अंतर्गत 1,70,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88— सूचना विभाग के अंतर्गत 1,70,21, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 90—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 90—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 41,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90— हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 41,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेशीय विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायें ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ रुक कर)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे अवसर दिया जाये । जब विचार करने की बात है, तो उस पर बोलने की भी व्यवस्था है । मान्यवर, जब यह पास हो जायेगा तो सारी धनराशि कार्य पालिका के पास चली जायेगी और उस धन को खर्च करने का अधिकार उनको हो जायेगा। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 202 में वित्तीय वर्ष में खर्च का विवरण बनाने की व्यवस्था है और वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग देता है, लेकिन विभागीय स्वीकृति नहीं मिल पाती है और वह मार्च के महीने में मिलता है, तो वित्तीय संकट आ जाता है और कार्य नहीं पूरा हो पाता है और तमाम प्रकार की अनियमिततायें उत्पन्न हो जाती हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ लेने के उपरान्त घोषणा की थी कि हर तीसरे महीने इस बात का परीक्षण करायेंगे कि वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है या नहीं । लेकिन आप देखें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, ग्राम्य विकास और शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनकी वित्तीय स्वीकृति साल भर नहीं जाती है । चीफ इन्जीनियर और सचिव उसकी स्वीकृति नहीं देते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में पूरा खर्च नहीं हो पाता है और काम रुक जाता है और जो निर्माण होना होता है उसकी कास्ट बढ़ जाती है जिससे प्रदेश के विकास की गति रुक जाती है, तो मेरा निवेदन है कि इस पर आप गम्भीरता से सोचें और इसको लागू करें ।

[समय 5.37]

*श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय माता प्रसाद जी ने जो बात कही है, उनको भी मालूम है कि इस साल बजट समय के अन्दर पास हुआ है और वित्तीय स्वीकृति टाइम से भेजी गयी है, लेकिन एक चीज आपको जानना चाहिये कि पहले और अब में अन्तर यह है कि अब यह पैसा विभाग को भेजा जाता है, एक बार नहीं भेजा जाता है, जब काम हो जाता है तो पैसा दिया जाता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमने कहा है कि 3 महीने का टारगेट रखा जायेगा और तीन महीने का काम देखने के उपरान्त ही पैसे का प्राविजन किया जायेगा। लेकिन उसको तीन-तीन महीने की अवधि में देखते रहने की बात इसलिए कही है ताकि काम ठीक से हो रहा है या नहीं, इसको देखा जा सके। मार्च के महीने में यह कहने का मौका न मिले कि उसी महीने क्यों खर्च किया। इस तरह की जो दिक्कतें होती थीं, वह न हों और काम ठीक से हो सके।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986

31 मार्च, 1987 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त शीर्ष नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) अधिनियम, 1986 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1986–87 के लिये 4,99,44,39,000 रुपये का दिया जाना।

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1987 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन का कुल योग 4,99,44,39,000 रुपये (चार अरब निन्यानबे करोड़ चौवालिस लाख उन्तालिस हजार रुपये केवल) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हैं।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
			रु0	रु0	
1	आबकारी विभाग	राजस्व	18,99,000	..	18,99,000
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	राजस्व	10,00,000	..	10,00,000
		पूंजी	5,24,85,000	..	5,24,85,000
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)	राजस्व	25,81,51,000	..	25,81,51,000
		पूंजी	40,00,000	..	40,00,000
4	उद्योग विभाग (खान और खनिज)	राजस्व	80,000	..	80,000
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	3,20,22,000	..	3,20,22,000
		पूंजी	4,78,96,000	..	4,78,96,000
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	3,66,34,000	..	3,66,34,000
		पूंजी	1,12,24,000	..	1,12,24,000
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	70,25,000	..	70,25,000
		पूंजी	15,68,31,000	..	15,68,31,000
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	71,92,000	..	71,92,000
		पूंजी	1,85,02,000	..	1,85,02,000
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	80,00,000	..	80,00,000
		पूंजी	64,59,99,000	..	64,59,99,000

11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	..	राजस्व	2,90,000	..	2,90,000
			पूंजी	29,10,000	..	29,10,000
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	..	राजस्व	10,43,32,000	..	10,43,32,000
			पूंजी	15,13,21,000	..	15,13,21,000
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	..	राजस्व	7,66,18,000	..	7,66,18,000
			पूंजी	1,13,26,000	..	1,13,26,000
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	..	राजस्व	1,23,49,000	..	1,23,49,000
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	..	राजस्व	5,70,18,000	..	5,70,18,000
			पूंजी	2,26,64,000	..	2,26,64,000
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	..	राजस्व	48,000	..	48,000
			पूंजी	35,22,000	..	35,22,000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	..	राजस्व	1,06,79,000	..	1,06,79,000
			पूंजी	1,50,000	..	1,50,000
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	..	राजस्व	4,48,39,000	..	4,48,39,000
			पूंजी	17,89,05,000	..	17,89,05,000
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	..	राजस्व	4,50,00,000	.	4,50,00,000
			पूंजी	8,56,00,000	..	8,56,00,000
20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	..	राजस्व	11,80,000	..	11,80,000
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	..	राजस्व	..	2,50,000	2,50,000
22	खाद्य तथा रसद विभाग	..	राजस्व	26,46,000	..	26,46,000
23	खेल विभाग	..	राजस्व	1,78,000	..	1,78,000
			पूंजी	6,00,000	..	6,00,000
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	..	राजस्व	2,03,24,000	..	2,03,24,000
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	..	पूंजी	9,31,75,000	..	9,31,75,000
26	गृह विभाग (कारागार)	..	राजस्व	2,01,76,000	..	2,01,76,000
			पूंजी	5,27,30,000	..	5,27,30,000

1	2		3		
			रु0	रु0	रु0
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	4,86,20,000	1,22,000	4,87,42,000
		पूंजी	12,91,76,000	..	12,91,76,000
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	2,11,000	..	2,11,000
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	15,94,000	..	15,94,000
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	20,000	20,000
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	4,93,41,000	..	4,93,41,000
		पूंजी	9,18,89,000	..	9,18,89,000
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	88,23,000	..	88,23,000
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	12,09,000	..	12,09,000
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	9,72,81,000	..	9,72,81,000
		पूंजी	38,08,000	..	38,08,000
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	3,05,79,000	..	3,05,79,000
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	1,64,03,000	..	1,64,03,000
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	26,07,000	..	26,07,000
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	5,80,000	..	5,80,000
40	नियोजन विभाग	राजस्व	84,02 000	..	84,02,000
42	न्याय विभाग	राजस्व	93,58 000	..	93,58,000
		पूंजी	2,63,03,000	..	2,63,03,000
43	परिवहन विभाग	राजस्व	8,41,000	..	8,41,000
		पूंजी	34,59,00,000	..	34,59,00,000
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	32,66,000	..	32,66,000
		पूंजी	2,63,08,000	..	2,63,08,000
45	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	1,23,000	..	1,23,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	..	राजस्व	2,52,57,000	..	2,52,57,000
			पूंजी	19,79,000	..	19,79,000
47	पर्वतीय विकास विभाग	..	राजस्व	14,92,71,000	.	14,92,71,000
			पूंजी	15,74,31,000		15,74,31,000
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	..	राजस्व	90,40,000	35,000	90,75,000
			पूंजी	84,16,000		84,16,000
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	..	राजस्व	92,94,000		92,94,000
52	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	..	राजस्व	3,000		3,000
53	वन विभाग	..	राजस्व	9,87,52,000		9,87,52,000
54	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	..	पूंजी	3,00,00,000	..	3,00,00,000
56	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	..	राजस्व	53,84,000	..	53,84,000
			पूंजी	1,62,61,000	..	1,62,61,000
57	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	..	पूंजी	16,93,000	..	16,93,000
58	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	..	राजस्व	3,52,000	..	3,52,000
59	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	..	पूंजी	4,37,000	..	4,37,000
60	विधान परिषद् सचिवालय	..	राजस्व	1,51,000	..	1,51,000
61	विधान सभा सचिवालय	..	राजस्व	84,60,000	17,000	84,77,000
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	..	राजस्व	3,88,48,000		3 88,48,000
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	..	राजस्व	1,24,90,000		1,24,90,000
			पूंजी	25,00,000		25,00,000
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	..	राजस्व	65,63,000		65,63,000
			पूंजी	3,00,000		3,00,000
66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	..	राजस्व	2,92,87,000	4,80,000	2,97,67,000
67	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	..	राजस्व	41,11,000		41,11,000
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	..	राजस्व	1,10,44,000	..	1,10,44,000
70	श्रम विभाग (सेवायोजन)	..	राजस्व	1,84,06,000	..	1,84,06,000
			पूंजी	6,67,000	..	6,67,000

1	2			3		
				रु0	रु0	रु0
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	..	राजस्व	1,29,94,000	..	1,29,94,000
			पूंजी	15,40,77,000	..	15,40,77,000
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	..	राजस्व	8,25,000	..	8,25,000
			पूंजी	16,88,76,000	..	16,88,76,000
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन'	..	राजस्व	3,84,60,000	..	3,84,60,000
			पूंजी	8,71,06,000	..	8,71,06,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन	..	राजस्व	3,85,00,000	..	3,85,00,000
			पूंजी	20,65,48,000	..	20,65,48,000
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	..	राजस्व	18,76,20,000	..	18,76,20,000
			पूंजी	20,02,38,000	14,06,000	20,16,44,000
78	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	..	पूंजी	29,99,000	..	29,99,000
79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	..	राजस्व	39,37,000	..	39,37,000
			पूंजी	1,00,25,000	..	1,00,25,000
82	सचिवालय प्रशासन विभाग	..	राजस्व	1,02,49,000	..	1,02,49,000
83	सतर्कता विभाग	..	राजस्व	1,08,000	..	1,08,000
85	सांस्कृतिक कार्य विभाग	..	राजस्व	1,04,56,000	..	1,04,56,000
86	सामान्य प्रशासन विभाग	..	राजस्व	13,82,000	..	13,82,000
88	सूचना विभाग	..	राजस्व	63,78,000	..	63,78,000
			पूंजी	1,06,43,000	..	1,06,43,000
90	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	..	राजस्व	41,49,000	..	41,49,000
	योग	..	राजस्व	1,76,86,89,000	9,24,000	1,76,96,13,000
			पूंजी	3,22,34,20,000	14,06,000	3,22,48,26,000
	कुल योग			4,99,21,09,000	23,30,000	4,99,44,39,000

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(मद संख्या 13 पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, पहले नियम 51 ले लें ।

नियम 51 के अंतर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अंतर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई । जिनमें से माननीय शतरुद्र प्रकाश तथा माननीय माता प्रसाद पाण्डेय की उत्तर प्रदेश खाद्य एवं दवाई नियंत्रक के पद पर डा0 एम0सी0 जिन्दल की नियुक्ति के संबंध में जो सूचना है, स्वीकार की गई है । शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई ।

कार्य-सूची की विधेयकों से संबंधित मदों को अन्य दिन लिये जाने का सुझाव

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है, यह किसी दूसरे दिन लिये जायं और बिजली के संबंध में जो चर्चा है वह शुरू कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो सदन की अनुमति से होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहें ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पांडेय जी ने एक बात कही है । हम लोग तो उनकी हर बात मानने के लिये तैयार हो जाते हैं किन्तु वे हमारी कोई भी बात नहीं मानते हैं । मेरा प्रस्ताव यह है कि यह आज का बिजनेस किसी और दिन के लिये रख दिया जाय और सदन को आज स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(कोई आपत्ति न होने पर)

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
2 सितम्बर, 1986

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

मार्गों को चौड़ा किए जाने व सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 1985–86 के लिए जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण:––

जनपद	मार्ग का नाम	1985–86 में आवंटित धनराशि
1	2	3
1––बरेली	(1) बरेली–मथुरा मार्ग किमी0 65 से 78 (रा0मा0–33)।	20.00 लाख
	(2) बरेली–बागेश्वर मार्ग किमी0 5 से 42 (रा0मार्ग–33)।	26.50 लाख
	(3) बरेली–बागेश्वर मार्ग किमी0 41 से 56 (रा0मा0–33)	26.10 लाख
	(4) किला बाईपास किमी0 1 से 3 (रा0मा0–33)	(सुदृढ़ीकरण) 1.80 मिलाकर
	योग ..	74.40 लाख
2––मुरादाबाद	(1) मुरादाबाद–फर्रुखाबाद मार्ग किमी0 4 व 7 से 14 (रा0मा0–43)	0.45 लाख (सुदृढ़ीकरण मिलाकर)
	(2) मुरादाबाद–फर्रुखाबाद मार्ग किमी0 15 से 17 व 21 (रा0मा0–43)	3.15 लाख
	(3) मुरादाबाद–ठाकुरद्वारा–कांशीपुर मार्ग किमी0 16 से 24 व 41 से 51 (रा0मा0-41)	5.55 लाख
	(4) चन्दौसी–अलीगढ़–आगरा मार्ग किमी0 1 से 4 (रा0मा0–39)	2.85 लाख
	(5) मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून मार्ग किमी0 6 से 10 व 12 से 16 (रा0मा0–49)	5.00 लाख
	योग	17.00 लाख
3––एटा	(1) पीलीभीत–भरतपुर मार्ग किमी0 142 से 151	15.00 लाख
	(2) जी0टी0मार्ग के एटा नगर से पड़ने वाले मार्ग को चार लेन में चौड़ा करना	15.00 लाख
	योग	30.00 लाख

1	2	3
4—बुलन्दशहर	(1) चन्दौसी-तातपुर कोर्ट मार्ग किमी 0–92 ।	1.00 लाख
	(2) जी 0टी 0 मार्ग के किमी 0–88 को 4 लेन चौड़ा करना ।	2.00 लाख
	योग	3.00 लाख
5—अलीगढ़	(1) चन्दौसी-तातपुर कोर्ट मार्ग के किमी 0 115 से 162 के मध्य 9 किमी 0	14.00 लाख
	(2) पीलीभीत–भरतपुर मार्ग किमी 223 से 236 ।	8.00 लाख
	(3) चन्दौसी–तातपुर कोर्ट मार्ग किमी 0 94 से 111 ।	6.00 लाख (सुदृढ़ीकरण मिलाकर)
	(4) जी 0 टी 0 मार्ग के किमी 0 131 व 132 ।	1.00 लाख (सुदृढ़ीकरण मिलाकर)
	(5) जी 0टी 0 मार्ग के शहरी भाग 133 से 136 किमी 0 व 172 किमी 0 में ।	9.00 लाख (सुदृढ़ीकरण मिलाकर)
	योग	38.00 लाख
6—फर्रुखाबाद	(1) जी 0टी 0 रोड किमी 0 323 से 327 (रा 0मा 0 22)	22.85 लाख

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर।)

मार्गों की सूची

क्रमांक	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी0)	स्वीकृत लागत (लाख में)	31-3-86 तक किया आवंटन (लाख में)	31-3-86 तक व्यय (लाख में)
1	2	3	4	5	6
	(अ) मार्ग जिन पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ है (मोटर मार्ग)—				
1	जाख मेलडुगरी मो0मार्ग	4.00	13.36	0.09	0.09
2	ऐंचोली–जाखपुरान आवला-घाट मो0मार्ग।	3.00	10.00	0.03	0.03
3	मडमानले–दौवांस मो0मार्ग	4.00	13.36	0.05	0.05
4	घ०डाक–छेड़ा–रसियापाटा मो0मार्ग।	2.00	6.68	..	..
5	पिथौरागढ़–रई–रोड़ीपाली मो0मार्ग।	3.00	10.00	1.09	1.09
6	मरसोलीमाट पहुंच मार्ग	4.00	13.36	..	..
7	वांस–आंवलाघाट मो0मार्ग किमी0 6 से 18।	13.00	36.354	..	..
8	क्वोतड़–बड़ावे पंचेश्वर	3.00	10.00	..	..
9	झूलाघाट–बगड़ीहाट मो0मार्ग	3.00	14.52	0.01	0.01
10	मूनाकोट–जाखपन्त सिरकुच-कटियानी लछैर मोटर मार्ग।	30.00	..	0.03	0.03
11	चर्मा–दुर्लेख–मुवानी मो0मार्ग का विस्तार (किमी0 9 से 11)	3.00	12.00	..	..
12	मेर्थी से मेर्थी तल्ली तक मो0मार्ग।	4.00	13.36	..	..
13	किमतोली–रीसाल मो0मार्ग	5.00	13.60	0.20	0.20
14	बाराकोट–खेतीखान मो0मार्ग	3.00	12.00	0.10	0.10
15	पुल्ला सिलिंग मो0मार्ग का निर्माण।	3.00	..	..	..
16	छिर कलां सोवला मो0मार्ग का विस्तार।	2.00	6.00	..	..
17	नारायण आश्रम सिर्खा जिप्ती मो0मार्ग।	3.00	10.04	..	..
18	न्यू-दुग्तू मो0मार्ग	3.00	10.02	..	..
19	स्वाला–विरगुल–गुंजिला मो0मार्ग।	3.00	9.00	0.10	0.10

1	2	3	4	5	6
20	चम्पावत–मंच–तामिली मो0मार्ग।	53.00	180.52	1.32	1.32
21	ठूलीगाड़–भैरव मन्दिर मो0मार्ग।	6.00	12.80	1.36	1.36
22	दशाईथल–आवला घाट मो0मार्ग (किमी0 1 से 10)।	10.00	40.00	0.06	0.06
23	नैनी–सेराघाट -पव्वाधार गंगोलीहाट मो0मार्ग।	3.00	12.00	0.03	0.03
24	पनार–चहज–मुगली–सिन-लेख–पौखाल वुसेल एवं सर-तोला होते हुए मल्ली सेरा-घाट मार्ग का निर्माण (पनार घाट से तल्ली सेराघाट)	35.00	..	0.03	0.03
25	गंगोलीहाट से पव्वाधार मो0 मा0 मो0मा0 पव्वाधार से चौरपाल तक सम्पर्क मार्ग।	12.00	..	0.03	0.03

(ब)–मार्ग जिन पर कार्य केवल कुछ लम्बाई में आरम्भ हुआ है—

26	वड़डा–क्वीतड़ मो0मा0 का विस्तार (किमी0 4 से 18)	15.00	24.207	15.97	15.97
27	थरकोट से विषाड लिंक मार्ग	2.00	6.68	4.96	4.96
28	वन विश्राम गृह अस्कोट लिंक मार्ग।	2.00	6.00	2.40	2.40
29	तवाघाट–जिप्ती मोटर मार्ग	22.20	111.00	22.60	22.60
30	तवाघाट–नारायण आश्रम मो0मार्ग।	38.025	240.29	132.36	132.36
31	बन्दरलीमा–अनागांव–ख्वांकोट मो0 मार्ग।	4.00	15.76	2.56	2.56
32	ककराली–ठूलीगाड मो0मार्ग का सुधार।	5.325	27.23	15.46	15.46
33	दशाईथल–गनाई मो0मार्ग का विस्तार किमी0 6–20।	15.00	46.70	10.49	10.49
34	बेरीनाग–विनायक मुवानी मो0मार्ग का विस्तार (किमी0 9 से 25।	17.00	51.00	0.48	0.48

नत्थी 'ब'

(देखिए अता0प्र0सं0 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर।)

बांस कटान के नियमों का संक्षिप्त विवरण—

(1) कार्य कक्ष में ऊपर से नीचे की ओर क्रमानुसार किया जायगा। एक बेड़ी में होने वाला कटान एक ही बार में पूरा किया जावेगा इनमें दुबारा कटान के लिए आना वर्जित होगा।

(2) कार्य 40–50 हेक्टर क्षेत्रफल की इकाइयां बनाकर किया जायगा।

(3) साधारण तथा उसी वर्षात की कल्मों (एक सीजन पुराने) को नहीं काटा जायगा। नई कल्मों से कुचित बेड़ियों में मुड़-मुड़ कर लिपटी हुई कल्मों को उक्त अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानीय राजि अधिकारी की लिखित अनुमति के पश्चात् काटे जा सकते हैं।

(4) प्रत्येक बेड़ी में चारे की ओर अर्थात् बेड़ी की परिधि पर कम से कम 5 पुराने बांस के कल्म चारे के लिए छोड़े जावेंगे। बेड़ी में पुरानी कल्में 5 या 5 से कम होने पर उसमें से कोई बांस नहीं काटा जायगा।

(5) कटे बांस की ठूंठ की ऊंचाई जमीन की सतह से 15 से0मी0 से कम और 30 से0 मी0 से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसमें कम से कम एक गांठ रहनी चाहिए। बांस काटने में ठूंठ को काटना या चीरना नहीं चाहिए। बांस को फटने या चीरने से बचाने के लिए केवल तेज धार वाले हथियार काम में लाने चाहिए। किसी भी बेड़ी में आधा कटा बांस नहीं छोड़ा जावेगा।

(6) कोई बेड़ी बिना कार्य किए इसलिए नहीं छोड़ी जायगी कि उसका बांस बिक्री योग्य नहीं है। बेड़ी की वृद्धि में विघ्न डाल रहे टेढ़े मेढ़े पुराने बांसों को अनिवार्य रूप से काटना होगा। इसी प्रकार टूटे व झुंके बांस के ठूंठों को तेज धार से काटकर ठीक करना होगा।

(7) पशु चारे के लिए कल्मों का सिरा काटना वर्जित है।

(8) फूले हुए बांस के क्षेत्र मे बांस कटान नहीं किया जावेगा।

(9) बांस के सामान्य पुष्पण होने पर बीज के तैयार होने के पश्चात् ही कटान किया जायगा।

(10) जड़ खोदकर, जड़ सहित बांस निकालना निषिद्ध है।

(11) बांस कटान नवम्बर से फरवरी तक किया जायगा। फरवरी माह के बाद बांस कटान न किया जायगा।

(12) बांस के बण्डल बांधने के काम में आने वाली कोपलों का कटान नहीं होगा।

(13) बांस बेड़ियों को क्षति पहुंचा रही लताओं को काटना होगा।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर।)

नगरपालिका सीमा में बहुमंजिले भवनों (दो मंजिल से अधिक) की स्वीकृति का विवरण

क्रम-सं0	नाम	स्वीकृति की तिथि
1	श्री मुरलीधर शर्मा	23-12-83
2	श्री विश्व नाथ मुकर्जी (होटल नटराज)	31-12-83
3	श्री राम आसरे जायसवाल (जगदीश होटल)	8-8-83
4	श्री मोहम्मद उस्मान	25-2-84
5	श्री गोपी चन्द्र अनाजा	28-2-84
6	श्रीमती पवन आनन्द	27-3-84
7	श्री राजेन्द्र कुमार	12-4-84
8	श्री मथुरादत्त तिवारी	8-6-84
9	श्री के0एस0 सकुमार एण्ड कं0 (होटल सौरभ)	10-8-84 पुनः कम्पाउंडिंग बाद 1-7-86
10	जगदीश प्रसाद (उत्तरायणी होटल)	22-6-85
11	भागीरथी देवी (होटल)	19-9-85

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर।)

सूची संख्या-1

वादीगण-

1---गुरु दयाल
2---नन्द किशोर
3---श्रीमती अन्जना
4---मेवाराम
5---रामा
6---रुस्तम
7---श्रीमती मुन्नी
8---श्रीमती पियारा
9---सिद्दीकी
10---सुबराती
11---छूट्टन
12---हनुमान प्रसाद अवस्थी
13---विशेसर
14---सूरजदीन अवस्थी
15---मैकू लाल
16---श्रीमती सुरजा
17---राम आसरे
18---मैकू लाल
19---महाबीर
20---मनोहर लाल
21---बदलू राम
22---मूल चन्द्र
23---भागवती
24---जीवन लाल अवस्थी
25---राम आसरे
26---सूर्य नाथ चौबे
27---मंगल
28---खुशाल
29---टुल्लू
30---मैकू लाल
31---लाला राम
32---राम प्रसाद
33---नन्हें
34---त्रिलोकी नाथ
35---श्रीमती हन्सा
36---कालिका राम
37---श्रीमती लखना
38---पंचम
39---हुसैनी
40---महिपाल
41---उठई
42---जगत नारायन सिंह यादव]

प्रतिवादीगण---

1---उत्तर प्रदेश सरकार
2---प्रशासक, म्युनिसिपल बोर्ड, लखनऊ
3---भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, लखनऊ।

सूची संख्या-2

1---श्री हुसैनी धोबी
2---श्री सुबराती
3---श्री सिद्दीक
4---श्रीमती बरातन
5---श्रीमती हमीदन
6---श्रीमती हसीना
7---श्री मुन्ना पुत्र धिद्दन
8---श्री सिद्दीक
9---श्री शफीक
10---श्री लतीफ
11---श्री रफीक

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर।)

1—दिनांक 10-8-85 और 12-8-85 को दैनिक सान्ध्य समाचार में प्रकाशित समाचार की पुष्टि हुई।

2—जांचोपरान्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 27-6-85 को धारा 406/498-ए भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

3—दिनांक 27-8-85 को थाना स्थानीय पर अ0सं0 226/85 धारा 408/498-ए भा0दं0वि0 का अभियोग जय प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री राजेन्द्र लाल श्रीवास्तव, श्रीमती विद्यावती श्रीवास्तव पत्नी राजन्द्र लाल श्रीवास्तव तथा कु0 मीना श्रीवास्तव पुत्री राजेन्द्र लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त दिनांक 24-8-85 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। मुकदमा विचाराधीन न्यायालय है। उपरोक्त चारों मुल्जिमान ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।

श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव ऊर्जा विभाग में अवर वर्ग सहायक के पद पर कार्यरत हैं तथा उनके निलम्बन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही उसी विभाग द्वारा की जानी है। ऊर्जा विभाग को प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों से अवगत करा दिया गया है।

पी0एस0यू0पी0—एल—203 विधान सभा—(381)—1987—813।